



तीसरी THIRD

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

(रेलवे को छोड़कर)
(Excluding Railways)

2011-2012

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च March, 2012

परिचायक टिप्पणी

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का तीसरा बैच, 2011-2012

INTRODUCTORY NOTE

Subject : Third Batch of Supplementary Demands for Grants, 2011-2012.

वर्ष 2011-12 के लिए अनुदानों की पूरक मांगों के तीसरे बैच में 78 अनुदान और 3 विनियोग शामिल हैं। ₹ 4,30,228.64 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों की कुल राशि ₹ 42,605.78 करोड़ है और मंत्रालयों/विभागों की बचतों द्वारा अथवा बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों द्वारा पूरे किए गए सकल अतिरिक्त व्यय के तकनीकी पूरक प्रस्तावों की राशि ₹ 3,87,621.79 करोड़ है। इसके अलावा, 107 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की गई है जिसमें व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपए हैं जिससे कि नई सेवा अथवा सेवा के नए लिखत वाले मामलों में बचतों का पुनर्विनियोजन किया जा सके।

The third batch of Supplementary Demands for Grants for 2011-2012 includes 78 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹ 4,30,228.64 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹ 42,605.78 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹ 3,87,621.79 crore. Besides, token provision of ₹ 107 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नगद व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नलिखित हैं

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कृषि मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE			
2. कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(i) कृषि विस्तार (₹ 132.69 करोड़), (ii) कृषि, शिक्षा (₹ 1 करोड़), (iii) केरल पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, केरल ((₹ 50 करोड़), (iv) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेष परियोजना/विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं/स्कीम (₹ 14.70 करोड़), (v) अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (₹ 7.48 करोड़) तथा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के अन्तर्गत सम्बन्धित अन्य अनुदान (₹ 374.16 करोड़)।	For (a) Grants-in-aid General under the scheme (i) Agricultural Extension (₹ 132.69 crore), (ii) Agricultural Education (₹ 1 crore), (iii) Kerala Veterinary and Animal Sciences University, Kerala (₹ 50 crore), (iv) National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Projects/Schemes (₹ 14.70 crore), (v) Other Natural Resource Management Institutes (₹ 7.48 crore), and (b) other Grants related expenditure under Agricultural Research and Education (₹ 374.16 crore).	50.00	-	50.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
5. नाभिकीय विद्युत योजनाएं	5 Nuclear Power Schemes			
बाह्य देशों से ईंधन की वृद्धित परम्परागत आपूर्ति और अधिप्राप्ति पर व्यय ((₹ 312.44 करोड़) की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure (₹ 312.44 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries.	-	74.77	74.77
रासायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILISERS			
7. उर्वरक विभाग	7 Department of Fertilisers			
(क) आयातित उर्वरक (₹ 200 करोड़) (ख) आयातित विनियंत्रित उर्वरक (₹ 3,501.07 करोड़) (ग) स्वदेशी विनियंत्रित उर्वरक (₹ 400 करोड़) और (घ) स्वदेशी उर्वरक (₹ 3,100 करोड़)।	For subsidy on (a) imported fertilisers (₹ 200 crore), (b) imported decontrolled fertilisers (₹ 3,501.07 crore), (c) indigenous decontrolled fertilisers (₹ 400 crore), and (d) indigenous fertilisers (₹ 3,100 crore).	-	7,201.07	7,201.07
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) खाद्य सब्सिडी (₹ 9,988.58 करोड़) और (ख) नाबार्ड (₹ 5.01 करोड़) के माध्यम से सहकारी	For (a) providing Food Subsidy (₹ 9,988.58 crore), and (b) subsidies for interest			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
चीनी मिल को ब्याज सहायता के लिए सब्सिडी हेतु।	subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD (₹ 5.01 crore).	-	9,858.57	9,858.57
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
(क) (i) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अतिरिक्त व्यय (₹ 5 करोड़), (ii) सामान्य सहायता अनुदान (1) क्षेत्रीय संस्कृति केन्द्र (₹ 0.40 करोड़), (2) राष्ट्रीय संस्कृति निधि (₹ 0.45 करोड़) और (3) सांस्कृतिक विरासत स्वयं सेवक योजना (₹ 0.50 करोड़)	(a) For (i) additional expenditure (₹ 5 crore) for Archaeological Survey of India, (ii) Grants-in-aid General (1) to Zonal Cultural Centres (₹ 0.40 crore), (2) to National Cultural Fund (₹ 0.45 crore), and (3) under 'Cultural Heritage Volunteers Scheme' (₹ 0.50 crore).	5.00	-	5.00
(ख) 'गुरु -ता-गद्दी की त्रि-शताब्दी समारोह' के अवसर पर योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General under the scheme 'Commemoration of Tercentenary of Guru-ta-Gaddi'.	-	20.00	20.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
(क) वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय के खाते पर अतिरिक्त व्यय (i) तटरक्षक संगठन (₹50.27 करोड़), (ii) सचिवालय (₹20.97 करोड़), जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री (₹60 करोड़) और (ख) रक्षा संपदा संगठन कार्यालय भवनों का रखरखाव (₹0.98 करोड़) को पूरा करना।	For (a) meeting additional expenditure on account of salaries and other establishment related expenditure of (i) Coast Guard Organisation (₹ 50.27 crore), (ii) Secretariat (₹ 20.97 crore), (iii) Jammu and Kashmir Light Infantry (₹ 60 crore), and (b) maintenance of office buildings (₹ 0.98 crore) of Defence Estates Organisation.	-	116.03	116.03
22 रक्षा सेवाएं - थल सेना	22 Defence Services-Army			
(क) न्यायालय के आदेश के कारण (₹3.65 करोड़) और (ख) वेतन, कार्य पूर्व सेवा कर्मियों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय राइफल्स आदि (₹3,412.07 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure (a) arising out of Court's order (₹ 3.65 crore), and (b) on account of salaries, works, ex-servicemen contributory health scheme, Rashtriya Rifles, etc. (₹ 3,412.07 crore).	-	356.72	356.72
23 रक्षा सेवाएं - नौ सेना	23 Defence Services-Navy			
मुख्यतया वेतन, मरम्मतों और पुनर्निर्माण, पाइरेसी प्रतिरोधी और तटीय सुरक्षा प्रचालनों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय (₹ 752.76 करोड़) को पूरा करना।	For meeting additional expenditure (₹ 752.76 crore) mainly under salaries, repairs and refits, anti-piracy and coastal security operations.	-	513.90	513.90
24 रक्षा सेवाएं - वायु सेना	24 Defence Services-Air Force			
(क) न्यायालय आदेशों के कारण (₹1.09 करोड़), और (ख) (i) वेतनों (₹15 करोड़), (ii) परिवहन (₹25.26 करोड़) और (iii) वीवीआईपी यात्रा हेतु वायु यानों के रख-रखाव संबंधी लागत के कारण एयर-इंडिया (₹108.98 करोड़) को भुगतान के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	For meeting additional expenditure (a) arising out of Court's order (₹ 1.09 crore), and (b) towards (i) salaries (₹ 15 crore), (ii) transportation (₹ 25.26 crore), and (iii) payment to Air India (₹ 108.98 crore) on account of maintenance cost of Aircraft for VVIP travel.	-	123.87	123.87
25 रक्षा आयुध निर्माणी	25 Defence Ordnance Factories			
(क) कोर्ट आदेशों के कारण (₹8.50 करोड़) और (ख) उपरि भत्तों और बकाया (₹858.93 करोड़) के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure (a) arising out of Court orders (₹ 8.50 crore), and (b) towards payment of Overtime allowances and arrears thereof (₹ 858.93 crore).	-	818.26	818.26
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
स्टैंडबाय ऋण सुविधा हेतु मालदीव को सहायता मुहैया कराना।	For providing aid to Maldives for Standby Credit Facility.	-	100.00	100.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
वित्त मंत्रालय				
34 विनियोग - ब्याज भुगतान				
(क) बाजार ऋण (₹6,323.75 करोड़), (ख) नकदी प्रबंधन हुंडियों पर छूट (₹1,010.88 करोड़) (ग) 91-दिवसों राजकोषीय हुंडियों (₹3,734.26 करोड़) (घ) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों (₹2,026.10 करोड़) (ङ) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर छूट (₹3,090.83 करोड़) (च) अर्थोपाय अग्रिम (₹1,258.50 करोड़) (छ) राज्य भविष्य निधि (₹412.36 करोड़) (ज) विशेष जमा (₹101.87 करोड़) (झ) विदेशी ऋण (₹35.73 करोड़) (ञ) पीएलआई को जारी प्रतिभूतियां (562.80 करोड़)।	34 Appropriation-Interest Payments For meeting additional expenditure under (a) Market loans (₹ 6,323.75 crore), (b) Discount on Cash Management Bills (₹ 1,010.88 crore), (c) 91 days Treasury Bills (₹ 3,734.26 crore), (d) 182 days Treasury Bills (₹ 2,026.10 crore), (e) Discount on 364 days Treasury Bills (₹ 3,090.83 crore), (f) Ways and Means Advance (₹ 1,258.50 crore), (g) State Provident Funds (₹ 412.36 crore), (h) Special Deposits (₹ 101.87 crore), (i) External Debt (₹ 35.73 crore), and (j) Securities issued to PLI (₹ 562.80 crore).	-	7,631.53	7,631.53
38 व्यय विभाग				
(क) लेखा महानियंत्रक के कार्यालय के नए भवन निर्माण से संबंधित संविदा कर्मचारियों और व्यय के भुगतान में किए गए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	38 Department of Expenditure (a) For meeting additional expenditure towards making payment to contractual staff and expenses related to new accommodation of Office of Controller General of Accounts.	-	0.67	0.67
(ख) नई पेंशन योजना के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा निक्षेपागार लिमिटेड को सेवा प्रभागों के भुगतान के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹8.95 करोड़)।	(b) For meeting the additional expenditure (₹ 8.95 crore) towards payment of service charges to National Security Depository Limited for the New Pension Scheme.	-	7.43	7.43
40 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षा विभाग				
अतिरिक्त वेतन और स्थापना संबंधी व्यय (₹17.09 करोड़) को पूरा करना।	40 Indian Audit and Accounts Department For meeting additional salary and establishment related expenditure (₹ 17.09 crore).	-	9.56	9.56
गृह मंत्रालय				
53 मंत्रिमंडल				
(क) विदेश यात्रा व्यय (₹ 8.65 करोड़), (ख) वीवीआईपी यात्रा हेतु प्रयुक्त वायुयान के रख-रखाव लागत का भुगतान (₹181.64 करोड़) और (ग) सब्सिडी दावा हेतु उत्तर रेलवे कैटरिंग यूनिट को संवितरण (₹ 0.40 करोड़ रुपए)।	53 Cabinet For (a) meeting additional expenditure under Foreign Travel Expenses (₹ 8.65 crore), (b) payment of maintenance cost of aircraft utilised for VVIP travel (₹ 181.64 crore), and (c) reimbursement to the Northern Railway Catering Unit for subsidy claim (₹ 0.40 crore).	-	190.69	190.69
मानव संसाधन विकास मंत्रालय				
58 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
(क) राष्ट्रीय बाल भवन (₹0.20 करोड़), (ख) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद् (₹53.05 करोड़), (ग) नवोदय विद्यालय समिति (₹13.10 करोड़) (घ) तिब्बती शरणार्थी बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं (₹3.65 करोड़)।	58 Department of School Education and Literacy For Grants-in-aid towards salary expenditure to (a) National Bal Bhawan (₹ 0.20 crore), (b) National Council of Educational Research and Training (₹ 53.05 crore), (c) Navodaya Vidyalaya Samiti (₹ 13.10 crore), and (d) Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (₹ 3.65 crore).	-	69.99	69.99
विधि एवं न्याय मंत्रालय				
64 विनियोग - भारत का उच्चतम न्यायालय				
वेतन और अन्य स्थापना व प्रशासनिक व्यय को पूरा करना।	64 Appropriation-Supreme Court of India For meeting, salary and other establishment and administrative expenditure.	-	17.53	17.53

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
73 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय पेट्रोलियम उत्पाद की बिक्री के कारण तेल विपणन कम्पनियों के कम अनुमानित वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति को उपलब्ध कराना (₹ 15,000 करोड़ रुपए)।	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas For providing compensation towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products (₹ 15,000 crore).	-	14,838.11	14,838.11
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
77 लोक सभा अतिरिक्त वेतन व्यय को पूरा करना और उत्तर रेलवे के सब्सिडी दावे को भी बढ़ाया जाना।	77 Lok Sabha For meeting additional salary expenditure and also increased subsidy claim of Northern Railway.	-	11.00	11.00
78 राज्य सभा अतिरिक्त वेतन व्यय को पूरा करना और उत्तर रेलवे के सब्सिडी दावे को भी बढ़ाया जाना।	78 Rajya Sabha For meeting additional salary expenditure and also increased subsidy claim of Northern Railway.	-	33.02	33.02
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (क) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि (₹ 600 करोड़) को योजना अंतरण के अंतर्गत अंतर खाता अंतरण (ख) केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 176.82 करोड़) को अंतरण संबंधी व्यय को पूरा करना।	81 Ministry of Road Transport and Highways For meeting expenditure (a) on Inter Account Transfer under the scheme Transfer to National Highways Permanent Bridges Fee Fund (₹ 600 crore), and (b) on transfer to the Central Road Fund (₹ 176.82 crore).	176.82	-	176.82
वस्त्र मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93 वस्त्र मंत्रालय (क) समन्वित हैंडलूम विकास योजना के अन्तर्गत नए निगमित घटक का क्रियान्वयन (₹ 10 करोड़) (ख) हैंडलूम सेक्टर हेतु कार्यक्षम, सुधार और पुनर्संरचना पैकेज का क्रियान्वयन (₹ 200 करोड़) और (ग) समन्वित हैंडलूम विकास योजना के अंतर्गत व्यय संबंधी सहायता अनुदान (₹ 51.38 करोड़)।	93 Ministry of Textiles For (a) implementation of newly incorporated component under Integrated Handloom Development Scheme (₹ 10 crore), (b) implementation of Revival, Reform and Restructuring Package for Handloom Sector (₹ 200 crore), and (c) Grants-in-aid related expenditure under Integrated Handloom Development Scheme (₹ 51.38 crore).	210.00	-	210.00
संघ शासित क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
97 चंडीगढ़ (क) अतिरिक्त वेतन व्यय (₹ 4.03 करोड़) (ख) होम गार्ड स्वयंसेवकों को दैनिक भत्तों का भुगतान (₹ 1 करोड़) और (ग) विद्युत के उपभोग में वृद्धि के कारण अधिक ऊर्जा की खरीद (₹ 69.97 करोड़)।	97 Chandigarh For (a) additional salary expenditure (₹ 4.03 crore), (b) payment of Daily Allowance to the Home Guard volunteers (₹ 1 crore), and (c) purchase of more Power due to increase in consumption of Electricity (₹ 69.97 crore).	-	75.00	75.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101 शहरी विकास विभाग (क) लेखा परीक्षा (₹ 8 करोड़), (ख) कार्मिक एवं प्रशिक्षण (₹ 2 करोड़) और (ग) लोक सभा/राज्य	101 Department of Urban Development For meeting additional expenditure on Major Works for (a) Audit (₹ 8 crore), (b)			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सभा (₹ 20 करोड़) हेतु प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	Personnel and Training (₹ 2 crore), and (c) Lok Sabha/Rajya Sabha (₹ 20 crore).	-	10.00	10.00
102 लोक निर्माण	102 Public Works			
(क) वेतन (₹47.97 करोड़), (ii) पट्टा प्रभार (₹13.87 करोड़) और (iii) अनुदान संबंधी व्यय (₹0.40 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(a) For meeting additional expenditure on (i) Salaries (₹ 47.97 crore), (ii) Lease Charges (₹ 13.87 crore), and (iii) Grants related expenditure (₹ 0.40 crore).	-	62.24	62.24
(ख) प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय (₹30.70 करोड़) की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure (₹ 30.70 crore) on Major Works.	-	24.00	24.00
कुल नगद व्यय	Total Cash Outgo	441.82	42,163.96	42,605.78
3. अनुदानों की पूरक मांगों के इस बैच में ₹3,87,621.79 करोड़ के तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के प्रभाव शामिल हैं, जिनकी पूर्ति मंत्रालयों/विभागों को अतिरिक्त बचतों/वसूलियों या अनुवर्ती बचतों में से की जानी है। ये मदें इस प्रकार से हैं:	3. This Batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹ 3,87,621.79 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows:			
तकनीकी पूरक अनुदानों की मांगों	Technical Supplementary Demands for grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
भाभा परमाणु ऊर्जा केन्द्र, मैसूर के रेयर सामग्री संयंत्र द्वारा अधिगृहीत भूमि के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा।	For meeting enhanced compensation for land acquired by Rare Material Plant, Bhabha Atomic Research Centre, Mysore.	16.60	-	16.60
5 नाभिकीय विद्युत योजना	5 Nuclear Power Schemes			
बाहरी देशों से ईंधन तथा वर्धित देशज आपूर्ति पर व्यय (₹312.44 करोड़) की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure (₹ 312.44 crore) on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries.	-	237.57	237.57
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9 नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
हज चार्टर 2011 के प्रचालन लिए सब्सिडी (₹ 85 करोड़)।	For subsidy (₹ 85 crore) for operation of Haj Charters, 2011.	-	9.77	9.77
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10 कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
'कोयला क्षेत्रों का अधिग्रहण' स्कीम के तहत भारतीय कोल इंडिया लि. की विविध अनुषंगी कम्पनियों के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए भू-मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे की पूर्ति हेतु।	For meeting expenditure for payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited under the scheme "Acquisition of Coal Bearing Areas".	-	46.83	46.83
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
उत्पाद विविधीकरण, फैक्ट्रियों के आधुनिकीकरण, पारम्परिक चाय विनिर्माण की स्थापना, लघु चाय उत्पादकों आदि को प्रशिक्षण देने व उनके प्रमाणन के लिए गुणवत्ता एवं उत्पाद विविधरूपण स्कीम (क्यूयूपीडीएस) को लागू करने हेतु टी-बोर्ड को सब्सिडी (₹41.15 करोड़) मुहैया कराना।	For providing subsidy (₹ 41.15 crore) to Tea Board to implement the Quality and Product Diversification Scheme (QUPDS) for product diversification, modernisation of Factories, installation of Orthodox tea manufacturing, certification, training to Small Tea growers, etc.	30.22	-	30.22

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) कोर्ट डिक्री के कारण होने वाले व्यय (0.86 करोड़) तथा (ख) वेतन (₹333.21 करोड़) तथा पेंशनों (₹102 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For (a) meeting expenditure (₹ 0.86 crore) arising out of court decrees, and (b) meeting additional expenditure on salaries (₹ 333.21 crore) and pensions (₹ 102 crore).	-	240.91	240.91
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) खाद्य सब्सिडी (₹9,988.58 करोड़) मुहैया कराने (ख) नाबार्ड के माध्यम से सहकारी चीनी मिलों को ब्याज सहायता देने हेतु (₹5.01 करोड़)।	For (a) providing Food Subsidy (₹ 9,988.58 crore) and (b) subsidies for interest subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD (₹ 5.01 crore).	-	15.16	15.16
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
(i) तटरक्षक संगठन (₹50.27 करोड़), (ii) सचिवालय (₹20.97 करोड़), (iii) जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैन्ट्री (₹60 करोड़) और (ख) रक्षा सम्पदा संगठन के कार्यालय भवनों के रख-रखाव से सम्बन्धित वेतन एवं अन्य संस्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	For (a) meeting additional expenditure on account of salaries and other establishment related expenditure of (i) Coast Guard Organisation (₹ 50.27 crore), (ii) Secretariat (₹ 20.97 crore), (iii) Jammu and Kashmir Light Infantry (₹ 60 crore), and (b) maintenance of office buildings (₹ 0.98 crore) of Defence Estates Organisation.	-	12.75	12.75
21 रक्षा पेंशन	21 Defence Pensions			
सशस्त्र सेना ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए आदेशों के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure arising out of orders awarded by Armed Forces Tribunal.	-	0.29	0.29
22 रक्षा सेवा - थल सेवा	22 Defence Services-Army			
(क) न्यायालय के आदेश के अनुपालन के कारण (₹3.65 करोड़) तथा (ख) भूतपूर्व सैनिक स्वास्थ्य स्कीम के वेतनों, कार्यों, तथा राष्ट्रीय रायफल आदि (₹3,412.07 करोड़) के अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure (a) arising out of Court's order (₹ 3.65 crore), and (b) on account of salaries, works, ex-servicemen contributory health scheme, Rashtriya Rifles, etc. (₹ 3,412.07 crore).	-	3,059.00	3,059.00
23 रक्षा सेवा - नौ सेना	23 Defence Services-Navy			
मुख्य रूप से, वेतनों, रिपेयर एंड रेफिट्स, पाइरेसी विरोधी और तटीय सुरक्षा कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹752.76 करोड़)।	For meeting additional expenditure (₹ 752.76 crore) mainly under salaries, repairs and refits, anti-piracy and coastal security operations.	-	238.86	238.86
24 रक्षा सेवा - वायु सेना	24 Defence Services-Air Force			
(क) न्यायालय आदेश लागू करने (1.09 करोड़), तथा (ख) (i) वेतनों (₹15 करोड़), (ii) परिवहन (₹25.26 करोड़), और (iii) वीवीआईपी यात्राओं के लिए विमानों की मरम्मत हेतु लागत के रूप में एयर इंडिया को देय (₹108.98 करोड़) आदि सम्बन्धी अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure (a) arising out of Court's order (₹ 1.09 crore), and (b) towards (i) salaries (₹ 15 crore), (ii) transportation (₹ 25.26 crore), and (iii) payment to Air India (₹ 108.98 crore) on account of maintenance cost of Aircraft for VVIP travel.	-	26.46	26.46
25 रक्षा आयुध निर्माणी	25 Defence Ordnance Factories			
(क) न्यायालय आदेश (₹8.50 करोड़) तथा (ख) समयोपरि भत्ते तथा उसके बकायों के भुगतान के अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु (₹858.93 करोड़)।	For meeting additional expenditure (a) arising out of Court orders (₹ 8.50 crore), and (b) towards payment of Overtime allowances and arrears thereof (₹ 858.93 crore).	-	49.17	49.17

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
27 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परियोजना न्यायालय के आदेशों के कारण अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु	27 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure arising out of court orders.	-	46.71	46.71
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारतीय प्राणिविज्ञान पार्क के सम्बन्ध में न्यायालय आदेशों के अनुपालन के कारण अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु।	30 Ministry of Environment and Forests For meeting expenditure arising out of court decree in respect of Zoological Park of India.	-	0.13	0.13
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
33 वित्तीय सेवा विभाग निम्नलिखित के लिए (क) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शेयर पूंजी के संबंध में अभिदान हेतु (₹1,000 करोड़), (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूँजीकरण के संबंध में अतिरिक्त राशि प्रदान करने हेतु (₹6,000 करोड़) और (ग) भारतीय जीवन बीमा निगम की इक्विटी पूँजी (₹95 करोड़)।	33 Department of Financial Services For (a) subscribing (₹ 1,000 crore) towards share capital of National Bank for Agriculture and Rural Development, (b) providing additional amount (₹ 6,000 crore) towards recapitalisation of Public Sector Banks, and (c) equity capital (₹ 95 crore) of Life Insurance Corporation of India.	6,497.42	-	6,497.42
34 विनियोग-ब्याज अदायगी निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) बाजार ऋण (₹ 6,323.75 करोड़), (ख) नकद प्रबंधन बिलों पर बट्टा (₹ 1,010.88 करोड़), (ग) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडिया (₹ 3,734.26 करोड़), (घ) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडिया (₹ 2,026.10 करोड़), (ङ) 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर बट्टा (₹ 3,090.83 करोड़), (च) अर्थापय अग्रिम (₹ 1,258.50 करोड़), (छ) राज्य भविष्य निधियाँ (₹ 412.36 करोड़), (ज) विशेष जमा राशियाँ (₹ 101.87 करोड़), (झ) विदेशी ऋण (₹ 35.73 करोड़), और पीएलआई को जारी प्रतिभूतियाँ (₹ 562.80 करोड़)।	34 Appropriation-Interest Payments For meeting additional expenditure under (a) Market loans (₹ 6,323.75 crore), (b) Discount on Cash Management Bills (₹ 1,010.88 crore), (c) 91 days Treasury Bills (₹ 3,734.26 crore), (d) 182 days Treasury Bills (₹ 2,026.10 crore), (e) Discount on 364 days Treasury Bills (₹ 3,090.83 crore), (f) Ways and Means Advance (₹ 1,258.50 crore), (g) State Provident Funds (₹ 412.36 crore), (h) Special Deposits (₹ 101.87 crore), (i) External Debt (₹ 35.73 crore), and (j) Securities issued to PLI (₹ 562.80 crore).	-	4,272.79	4,272.79
35 राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय आयोजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण राहत हेतु।	35 Transfers to State and Union Territory Governments For Debt Relief to State Governments for Centrally Sponsored Schemes and Central Plan Schemes as per the recommendations of the 13th Finance Commission.	-	555.00	555.00
37 विनियोग-ऋण की वापसी अदायगी निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (क) 91-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों का उन्मोचन (₹ 82,766.79 करोड़), (ख) 182-दिवसीय राजकोषीय हुंडियाँ (₹ 13,005.55 करोड़), (ग) अर्थापय अग्रिम (₹ 5,85,943 करोड़), (घ) नकद प्रबंधन बिल (₹ 73,000 करोड़), (ङ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष-वित्तीय लेन-देन आयोजना (₹ 2,592.86 करोड़), (च) एशियाई विकास बैंक (₹ 9.80 करोड़), (छ) अफ्रीकी विकास निधि (₹ 1.82 करोड़), (ज) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1987 (₹ 1.58 करोड़), (झ) 10% राहत बॉण्ड, 1993 (₹ 0.09 करोड़), (ञ) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1993 (₹ 0.57 करोड़), (ट) 10 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1995 (₹ 2.40 करोड़), (ठ) 9 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 1999 (₹ 112.45 करोड़), (ड) 8.50 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2001 (₹ 23.07 करोड़), (ढ) 8 प्रतिशत राहत बॉण्ड, 2002 (₹ 27.64 करोड़),	37 Appropriation-Repayment of Debt For meeting additional expenditure towards (a) Discharge of 91 days Treasury Bills (₹ 82,766.79 crore), (b) 182 days Treasury Bills (₹ 13,005.55 crore), (c) Ways and Means Advance (₹ 5,85,943 crore), (d) Cash Management Bills (₹ 73,000 crore), (e) International Monetary Fund-Financial Transaction Plan (₹ 2,592.86 crore), (f) Asian Development Bank (₹ 9.80 crore), (g) African Development Fund (₹ 1.82 crore), (h) 9% Relief Bond, 1987 (₹ 1.58 crore), (i) 10% Relief Bond, 1993 (₹ 0.09 crore), (j) 9% Relief Bond, 1993 (₹ 0.57 crore), (k) 10% Relief Bond, 1995 (₹ 2.40 crore), (l) 9% Relief Bond, 1999 (₹ 112.45 crore), (m) 8.50% Relief Bond, 2001 (₹ 23.07 crore), (n) 8% Relief Bond, 2002 (₹ 27.64 crore),			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ण) 7 प्रतिशत बचत योजना, 2002 (₹ 8.16 करोड़), (त) 6.50 प्रतिशत बचत बॉण्ड, 2003 (गैर-कराधेय) (₹ 32.36 करोड़), (थ) 8 प्रतिशत (कराधेय) बॉण्ड, 2003 (₹ 163.25 करोड़), (द) राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन (₹ 9,000 करोड़), और (ध) विदेशी ऋण की वापसी अदायगी (₹ 1,545.55 करोड़)।	(o) 7% Savings Scheme, 2002 (₹ 8.16 crore), (p) 6.50% Savings Bonds, 2003 (Non-Taxable) (₹ 32.36 crore), (q) 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 (₹ 163.25 crore), (r) redemption of securities issued to National Small Saving Fund (₹ 9,000 crore), and (s) repayment of External Debt (₹ 1,545.55 crore).		- 369,496.27	369,496.27
38 व्यय विभाग नई पेंशन स्कीम के लिए राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड के सेवा प्रभार के भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 8.95 करोड़)।	38 Department of Expenditure For meeting the additional expenditure (₹ 8.95 crore) towards payment of service charges to National Security Depository Limited for the New Pension Scheme.		- 0.97	0.97
40 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग अतिरिक्त वेतन एवं स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 17.09 करोड़)।	40 Indian Audit and Accounts Department For meeting additional salary and establishment related expenditure (₹ 17.09 crore).		- 7.53	7.53
42 प्रत्यक्ष कर निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय हेतु (क) आय-कर विभाग के संबंध में स्थापना संबंधी व्यय (₹ 15.33 करोड़), और (ख) सम्पत्ति कर, प्रतिभूति लेन-देन और अन्य करों के संग्रहण हेतु व्यय (₹ 0.39 करोड़)।	42 Direct Taxes For additional (a) establishment related expenditure (₹ 15.33 crore) in respect of Income Tax Department, and (b) expenditure (₹ 0.39 crore) for collection of Wealth Tax, Security Transaction Tax and other Taxes.		- 15.72	15.72
43 अप्रत्यक्ष कर (क) सीमाशुल्क (₹ 3.06 करोड़), और (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (₹ 5.14 करोड़) के तहत स्थापना संबंधी व्यय के संवर्धन हेतु।	43 Indirect Taxes For augmenting establishment related expenditure under (a) Customs (₹ 3.06 crore), and (b) Union Excise Duties (₹ 5.14 crore).		- 7.50	7.50
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
47 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होमियोपैथी (आयुष) भारतीय औषधि की 'फार्माकोपिया प्रयोगशाला, गाजियाबाद' योजना के तहत अतिरिक्त गृह के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय हेतु।	47 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH) For additional expenditure under the scheme 'Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad' for construction of guest house.	0.40	-	0.40
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
50 भारी उद्योग विभाग एण्ड्रयू यूल एंड कम्पनी लिमिटेड संबंधी गारंटी शुल्क की माफी संबंधी आवश्यक समायोजन हेतु (₹ 0.64 करोड़)।	50 Department of Heavy Industry For carrying out necessary adjustment (₹ 0.64 crore) relating to waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule and Company Limited.		- 0.63	0.63
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52 गृह मंत्रालय (क) मानव अधिकार भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। (ख) निम्नलिखित के लिए (i) निम्नलिखित में पूँजी परिव्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज (₹ 1 करोड़), (2) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (₹ 22.51 करोड़) और (ii) नेशनल डिफेंस	52 Ministry of Home Affairs (a) For meeting additional expenditure on construction of Manav Adhikar Bhawan. (b) For (i) meeting additional expenditure towards Capital Outlay in (1) National Civil Defence College (₹ 1 crore), (2) National Fire Service College (₹ 22.51 crore), and (ii) meeting additional	1.00	-	1.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
कॉलेज की मशीन एवं उपस्कर के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.09 करोड़)।	expenditure under Machinery and Equipment of National Civil Defence College (₹ 0.09 crore).	-	23.60	23.60
54 पुलिस केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	54 Police For meeting additional expenditure on Salaries of Central Reserve Police Force.	-	0.50	0.50
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
59 उच्च शिक्षा विभाग सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु (₹ 389.20 करोड़)।	59 Department of Higher Education For Grants-in-aid related expenditure (₹ 389.20 crore)	69.67	-	69.67
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
60 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (क) प्रसार भारती को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 50 करोड़)। (ख) प्रसार भारती को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	60 Ministry of Information and Broadcasting (a) For providing Grants-in-aid to Prasar Bharati (₹ 50 crore). (b) For providing Grants-in-aid to Prasar Bharati.	40.00	-	40.00
प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS			
69 प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय 'सचिवालय सामान्य सेवाएं' और 'विदेश मामला' के शीर्षों तहत अतिरिक्त व्यय हेतु।	69 Ministry of Overseas Indian Affairs For additional expenditure under the heads of 'Secretariat General Services' and 'External Affairs'.	-	6.50	6.50
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
72 कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (क) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निम्नलिखित संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) वेतन (₹ 6 करोड़), (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.55 करोड़), और (ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 2.52 करोड़)।	72 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions For (a) meeting additional expenditure of Central Bureau of Investigation on (i) Salaries (₹ 6 crore), (ii) Domestic Travel Expenses (₹ 1.55 crore), and (b) providing Grants-in-aid Salaries to Indian Institute of Public Administration (₹ 2.52 crore).	-	10.07	10.07
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
73 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु।	73 Ministry of Petroleum and Natural Gas For additional equity investment in the form of bonus shares issued by Oil and Natural Gas Corporation Limited.	-	0.01	0.01
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
74 योजना मंत्रालय जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	74 Ministry of Planning For meeting additional expenditure under Census Surveys and Statistics.	197.00	-	197.00
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
75 विद्युत मंत्रालय (क) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग की स्थापना संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	75 Ministry of Power (a) For meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission.	-	1.81	1.81

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. को आवंटित कोयला ब्लॉकों के संबंध में कोयला उत्पादन क्षेत्रों (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिगृहीत भूमि की क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु।	(b) For payment of compensation of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 in respect of coal blocks allotted to National Thermal Power Corporation Limited.	179.61	-	179.61
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) निम्नलिखित संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (i) राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि को अंतरण योजना के तहत अंतर लेखा अंतरण पर (₹ 600 करोड़), और (ii) केन्द्रीय सड़क निधि को अंतरण पर (₹ 176.82 करोड़)।	(a) For meeting expenditure (i) on Inter Account Transfer under the scheme Transfer to National Highways Permanent Bridges Fee Fund (₹ 600 crore), and (ii) on transfer to the Central Road Fund (₹ 176.82 crore).	305.00	-	305.00
(ख) सड़कें एवं पुल के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 28.18 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure under Roads and Bridges (₹ 28.18 crore).	-	3.33	3.33
(ग) (i) स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्त पोषित योजना के तहत निवेश संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 600 करोड़), (ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सड़क निधि (₹ 131.37 करोड़) और सड़क कनेक्टिविटी के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम पर अतिरिक्त व्यय हेतु (₹ 50 करोड़)।	(c) For (i) meeting expenditure on investment under the scheme financed from Permanent Bridges Fee Fund (₹ 600 crore), (ii) Central Road Fund (₹ 131.37 crore) by National Highways Authority of India, and (iii) additional expenditure on Special Programme for Development of Road connectivity (₹ 50 crore).	731.37	-	731.37
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
85 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	85 Department of Science and Technology			
न्यायालय की डिक्री के फलस्वरूप अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure arising out of court decree.	-	0.03	0.03
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
88 पोत परिवहन मंत्रालय	88 Ministry of Shipping			
बकाया ऋणों को राइट डाउन करने हेतु (₹166.42 करोड़), (ii) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड संबंधी दंड ब्याज सहित ब्याज माफी (₹465.12 करोड़), और (ख) महानिदेशालय (प्रकाश स्तंभ और प्रकाश पोत) संबंधी सामान्य प्रारक्षित निधि पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 7.03 करोड़)।	For (a) (i) writing down of outstanding loans (₹ 166.42 crore), (ii) waiver of interest including penal interest (₹ 465.12 crore) in respect of Hoogly Dock and Port Engineers Limited, and (b) meeting additional expenditure (₹ 7.03 crore) on General Reserve Fund in respect of Directorate General (Light Houses and Light Ships).	-	638.56	638.56
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
95 जनजातीय कार्य मंत्रालय	95 Ministry of Tribal Affairs			
(क) किराया दर और करों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under Rent, Rates and Taxes.	-	0.14	0.14
(ख) 'अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण शीर्ष के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु (₹ 25.17 करोड़)।	(b) For Grants related expenditure (₹ 25.17 crore) under the head 'Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes'.	23.12	-	23.12

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
96 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	96 Andaman and Nicobar Islands For meeting expenditure under various Ministries/Departments.	1.39	13.44	14.83
98 दादरा एवं नागर हवेली विद्युत की खरीद के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	98 Dadra and Nagar Haveli For meeting the expenditure for purchase of power.	-	150.00	150.00
99 दमन एवं दीव विद्युत की खरीद के लिए व्यय की पूर्ति हेतु।	99 Daman and Diu For meeting the expenditure for purchase of power.	-	135.00	135.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101 शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
(क) राष्ट्रपति की संपदा हेतु अन्य प्रशासनिक व्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on Other Administrative Expenses for President's Estate.	-	3.61	3.61
(ख) (क) राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी लिमिटेड द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश हेतु (30 करोड़), (ख) निम्नलिखित में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (i) दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (₹126.89 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (₹ 0.99 करोड़)।	(b) For (i) additional equity investment in the form of bonus shares issued by National Building Construction Company Limited (₹ 30 crore), (ii) additional equity investment in (1) Delhi Metro Rail Corporation Limited (₹ 126.89 crore) and (2) National Capital Region Transport Corporation (₹ 0.99 crore).	156.89	-	156.89
103 लेखन सामग्री एवं मुद्रण प्रकाशनों हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए (₹ 28.43 करोड़)।	103 Stationery and Printing For meeting additional expenditure for Publications (₹ 28.43 crore).	-	10.06	10.06
	Total Technical	8,249.69	379,372.10	387,621.79

जोड़ तकनीकी

4 नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में ₹ 1 लाख प्रत्येक का पूरक अनुदान लिया जाना भी प्रस्तावित है, उनके समाने दर्शाए गए व्यय की पूर्ति संगत अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों, जैसा भी मामला है, के पुनर्विनियोग से की जाएगी।

4. Supplementary grants of ₹ 1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by re-appropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

अनुदानों की सांकेतिक पूरक माँग

Token Supplementary Demands for grants

कृषि मंत्रालय

MINISTRY OF AGRICULTURE

1 कृषि एवं सहकारिता विभाग

1 Department of Agriculture and Cooperation

(क) (i) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अतिरिक्त अंशदान (₹ 189.06 करोड़) (ii) राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के संबंध में अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹10 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 50 करोड़) और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत जनजातीय उप आयोजना (₹ 50 करोड़) (iii) एकीकृत तिलहन/ऑयलपाम/दलहन और मक्का विकास के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 15 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय कृषि विकास

(a) For (i) additional Contributions (₹ 189.06 crore) under Weather-based Crop Insurance Scheme, (ii) additional Grants-in-aid-General towards National Mission on Micro Irrigation (₹ 10 crore) and additional Grants-in-aid-General for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 50 Crore) and Tribal Sub Plan (₹ 50 Crore) under the scheme National Mission on Micro Irrigation, (iii) additional Grants-in-aid General

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (₹ 20.61 करोड़)।	(₹ 15 crore) under Integrated Oilseed/Oilpalm/Pulses and Maize Development, and (iv) meeting additional Grants-in-aid General (₹ 20.61 crore) under Rashtriya Krishi Vikas Yojna.	334.67	-	334.67
(ख) 'सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional Grants-in-aid-General under the scheme 'Assistance to National Cooperative Development Corporation for Development of Cooperatives'.	6.00	-	6.00
(ग) निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) 'ग्रामीण गोदामों का निर्माण' योजना के तहत (₹ 15 करोड़) (ii) ग्रामीण गोदामों के निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना हेतु (₹ 34 करोड़) और जनजातीय उप आयोजना (₹ 1 करोड़)। (iii) 'बाजार विकास अवसंरचना, ग्रेडिंग और विपणन मानकीकरण (₹ 23 करोड़), (iv) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक आयोजना हेतु (₹ 45 करोड़) और बाजार विकास, अवसंरचना, ग्रेडिंग और विपणन मानकीकरण योजना के तहत जनजातीय उप आयोजना (₹ 2 करोड़) और (iv) छोटे किसान कृषि-व्यापार सहायता संघ' योजना के तहत (₹ 15 करोड़)।	(c) For meeting additional Grants-in-aid-General (i) under the scheme 'Construction of Rural Godowns' (₹ 15 crore), (ii) towards Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 34 crore) and Tribal Sub Plan (₹ 1 crore) under the scheme Construction of Rural Godowns, (ii) under the scheme 'Development of Market, infrastructure, grading and marketing standardisation' (₹ 23 crore), (iii) for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 45 crore) and Tribal Sub Plan (₹ 2 crore) under the scheme Development of Market, infrastructure, grading and marketing standardisation and (iv) under the scheme 'Small Farmers Agri-business Consortium' (₹ 15 crore).	135.00	-	135.00
(घ) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु (i) बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण और (₹ 2.37 करोड़) (ii) फसल पशु प्रौद्योगिकी (4 करोड़), (iii) किसानों के खेत पर बागवानी उपकरण सहित नव विकसित कृषि उपकरण की आउटसोर्सिंग और प्रदर्शन (₹ 3.87 करोड़), (iv) सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता (₹ 1 करोड़) और (v) जनजातीय क्षेत्र उप-आयोजना हेतु पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (₹ 27 करोड़)।	(d) For Grants-in-aid related expenditure under the schemes of (i) Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds (₹ 2.37 crore), (ii) Post Harvest Technology (₹ 4 crore), (iii) Outsourcing and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at farmer's field (₹ 3.87 crore), (iv) Assistance to National Cooperative Development Corporation for Development of Cooperatives (₹ 1 Crore), and (v) Horticulture Mission for North East and Himalayan States for Tribal Area Sub-Plan (₹ 27 crore).	38.24	-	38.24
2 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure on Salaries.	-	0.16	0.16
(ख) कृषि अनुसंधान और शिक्षा के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants related expenditure under Agricultural Research and Education.	-	82.66	82.66
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(c) For Grants related expenditure in North Eastern Region.	28.22	-	28.22

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
3. पशुपालन, डेयरी कार्य और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
(क) पशुपालन के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants related expenditure under Animal Husbandry.	18.62	-	18.62
(ख) दिल्ली दुग्ध योजना के तहत विभिन्न दुग्ध संघ/सहकारी समितियों को भुगतान हेतु अधिप्राप्ति के तहत आपूर्ति एवं सामग्री संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	(b) For meeting additional expenditure on Supplies and Material under procurement for payment to different Milk Unions/Cooperative Societies under Delhi Milk Scheme.	-	31.28	31.28
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए।	(a) Towards Grants for creation of capital Assets to Electronics Corporation of India Limited.	20.00	-	20.00
(ख) निम्नलिखित में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 33.51 करोड़), (ii) नाभिकीय ईंधन कॉम्प्लेक्स (₹28 करोड़), (iii) विकिरण एवं समस्थानिक प्रौद्योगिकी (₹ 4 करोड़), और (iv) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं (₹2.61 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure in (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 33.51 crore), (ii) Nuclear Fuel Complex (₹ 28 crore), (iii) Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 4 crore), and (iv) DAE Projects (₹ 2.61 crore).	-	68.12	68.12
ग) परमाणु ऊर्जा अनुसंधान के तहत प्रावधान के संवर्धन हेतु।	(c) For augmenting the provision under Atomic Energy Research.	-	480.35	480.35
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
विश्व व्यापार संगठनों को अंशदान हेतु सहायता प्रदान करने के लिए	For providing assistance for contribution to World Trade Organisations.	4.58	-	4.58
12 औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) विभिन्न निकायों को सहायता अनुदान	(a) For providing Grant-in-aid to various bodies.	-	3.03	3.03
(ख) जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्यों पैकेज के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under Package for Special Category States for Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Utrtrakhand.	38.41	-	38.41
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
13 डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) 'ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) - कनेक्टिविटी और सेवाएं' - कार्यकलाप के तहत कम्प्यूटरों और बाह्य उपकरणों के वार्षिक रखरखाव संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenses on annual maintenance of computers and peripherals under the activity 'Rural Information Communication Technology (ICT) - connectivity and services'.	4.99	-	4.99
(ख) "प्रोजेक्ट एरो" के तहत 250 डाकघरों में अवसंरचना के विकास संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting an additional expenditure towards development of infrastructure in 250 post offices under 'Project Arrow'.	26.00	-	26.00
14 दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
पाकिस्तान और भारत के बीच दूरसंचार ट्रैफिक के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड की ओर से पाकिस्तान दूरसंचार कम्पनी लि. को भुगतान संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure towards payment to Pakistan Telecommunication Company Limited on behalf of Bharat Sanchar Nigam Limited for the telecommunication traffic between Pakistan and India.	-	63.32	63.32

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
17 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	17 Department of Food and Public Distribution			
(क) "भांडागार विकास और विनियामक प्राधिकरण" योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid Salaries under the scheme 'Warehousing Development and Regulatory Authority'.	1.20	-	1.20
(ख) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid General expenditure under Targeted Public Distribution System.	1.06	-	1.06
(ग) सह-उत्पादन विद्युत परियोजना आधारित बगैस के लिए चीनी फैक्टरियों को ऋण और अग्रिमों संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting the expenditure on Loans and Advances to Sugar Factories for Bagasse based co-generation power projects.	-	75.00	75.00
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS			
18. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय	18 Ministry of Corporate Affairs			
निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु	For meeting the expenditure towards Investors Awareness Programmes.	-	0.51	0.51
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
19. संस्कृति मंत्रालय	19 Ministry of Culture			
पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान के तहत प्रावधान को बढ़ाने हेतु।	For augmenting the provisions under Grants-in-aid for North Eastern Areas.	2.00	-	2.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20. रक्षा मंत्रालय	20 Ministry of Defence			
विभिन्न सिविल कार्य परियोजनाओं पर अतिरिक्त व्यय और भूमि अधिग्रहण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	For meeting additional expenditure on acquisition of land and additional expenditure on various civil work projects.	-	60.00	60.00
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
29. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	29 Ministry of Earth Sciences			
(क) समुद्र विज्ञान अनुसंधान के तहत सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants-in-aid under Oceanographic Research.	40.65	-	40.65
(ख) कार्यक्रमों के तहत अन्य संविदात्मक सेवाओं के संबंध में भारतीय पोत परिवहन निगम को भुगतान करने हेतु (i) प्रचालन अनुसंधान पोत (₹ 12.30 करोड़) और (ii) समुद्री सजीव संसाधन और मात्स्यिकी समुद्र विज्ञान अनुसंधान (₹ 8.70 करोड़)।	(b) For making payment to Shipping Corporation of India towards Other Contractual Services under the programmes (i) Operation Research Vessel (₹ 12.30 crore), and (ii) Marine Living Resources and Fishery Oceanographic Research (₹ 8.70 crore).	-	21.00	21.00
(ग) एअर-क्वालिटी मॉनिटरिंग उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान, पुणे कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(c) For providing Grants-in-aid General under the programme Indian Institute of Tropical Meteorology, Pune for procurement of Air-quality Monitoring Equipment.	10.00	-	10.00
पर्यावरण और वन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS			
30. पर्यावरण और वन मंत्रालय	30 Ministry of Environment and Forests			
(क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान (₹ 3.37 करोड़) और (ii) जैव विविधता संरक्षण और ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना-ईएपी (₹ 0.87 करोड़)।	(a) For Grants-in-aid General to (i) Indian Plywood Industries Research Institute (₹ 3.37 crore), and (ii) Bio-diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Project-EAP (₹ 0.87 crore).	4.24	-	4.24

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण योजना (₹ 0.75 करोड़), (ii) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 0.55 करोड़) और (iii) जी.बी. पंत हिमालय पर्यावरण और विकास संस्थान (₹ 0.50 करोड़)।	(b) For Grants-in-aid General to (i) Environment Education Training Scheme (₹ 0.75 crore), (ii) Centres of Excellence (₹ 0.55 crore), and (iii) G.B. Pant Himalayan Institute of Environment and Development (₹ 0.50 crore).	1.80	-	1.80
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
31 विदेश मंत्रालय	31 Ministry of External Affairs			
निम्नलिखित हेतु (क) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) संयुक्त सेवा संस्थान (₹ 0.41 करोड़), (ii) अन्तरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी संघ (₹ 0.10 करोड़), (iii) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (₹ 19 करोड़) और (ख) केवल वीवीआईपी यात्रा के लिए एअर इण्डिया के विमानों की रख रखाव लागत (₹ 78.54 करोड़)।	For (a) Grants-in-aid General to (i) United Service Institute (₹ 0.41 crore), (ii) International Federation of United Nations Agencies (₹ 0.10 crore), (iii) Indian Council of Cultural Relations (₹ 19 crore), and (b) maintenance cost of aircrafts (₹ 78.54 crore) of Air India exclusively meant for VVIP travel.	-	98.05	98.05
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
32 आर्थिक कार्य विभाग	32 Department of Economic Affairs			
(क) अन्य राजकोषीय सेवाओं के तहत प्रावधान बढ़ाने हेतु	(a) For augmenting provisions under Other Fiscal Services.	-	2.52	2.52
(ख) सुरक्षा अपील न्यायाधिकरण के लिए वेतन प्रावधान बढ़ाने हेतु।	(b) For augmenting the salary provisions for Security Appellate Tribunal.	-	0.56	0.56
(ग) निम्नलिखित को अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु (i) अन्तरराष्ट्रीय पुनर्संरचना और विकास बैंक (₹ 22.99 करोड़) और (ii) एशियाई विकास बैंक (₹ 5.68 करोड़)।	(c) For providing additional funds to (i) International Bank for Reconstruction and Development (₹ 22.99 crore) and (ii) Asian Development Bank (₹ 5.68 crore).	-	28.67	28.67
(घ) रेलवे सुरक्षा कार्यों के संबंध में अतिरिक्त निधियां जारी करने हेतु।	(d) For releasing additional funds towards Railway Safety Works.	18.93	-	18.93
33 वित्तीय सेवा विभाग	33 Department of Financial Services			
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनश्री बीमा योजना के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा धारित सामाजिक सुरक्षा निधि की मूल निधि को अंशदान प्रदान करने हेतु।	For contributing to the corpus of Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India for Janashree Bima Yojana to provide life insurance protection to the rural and urban persons living below poverty line.	-	100.00	100.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
(क) निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/संस्थापन/आधुनिकीकरण योजना के तहत (₹ 39.99 करोड़) और (ii) व्यावसायिक सेवाओं के संबंध में (₹ 0.30 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure (i) under the scheme for Technology Upgradation/Establishment/Modernisation of Food Processing Industries (₹ 39.99 crore), and (ii) towards professional services (₹ 0.30 crore).	40.29	-	40.29
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र अवसंरचना विकास हेतु।	(b) For infrastructure development of North Eastern Region.	9.89	-	9.89
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
(क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत विभिन्न योजनाओं के संबंध में सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants-in-aid related expenditure towards various schemes under Medical and Public Health.	24.44	4.00	28.44

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) बी.सी.जी. वेक्सीन प्रयोगशाला गुंडी, चैन्नै के जीर्णोद्धार संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on revival of B.C.G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai.	14.35	-	14.35
(ग) केन्द्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची में आवासीय भवन निर्माण के संबंध में बड़े निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure on Major Works towards construction of residential building in Central Institute of Psychiatry, Ranchi.	1.24	-	1.24
47. आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष) विभाग	47 Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)			
(क) चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के तहत सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants-in-aid related expenditure under Medical and Public Health.	37.91	0.10	38.01
(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants-in-aid related expenditure for North Eastern Areas.	14.11	-	14.11
48 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	48 Department of Health Research			
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid General to Indian Council of Medical Research, New Delhi.	48.26	-	48.26
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
50. भारी उद्योग विभाग	50 Department of Heavy Industry			
हिन्दुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड को वेतन सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid Salary to Hindustan Salts Limited.	-	2.12	2.12
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
52. गृह मंत्रालय	52 Ministry of Home Affairs			
(क) सचिवालय-सामान्य सेवाओं के तहत व्यय की पूर्ति।	(a) For meeting expenditure under Secretariat-General Services.	-	9.99	9.99
(ख) सिविल डिफेंस का पूर्ण सुधार करने के तहत मध्यावधि मूल्यांकन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on midterm evaluation under Revamping of Civil Defence.	0.30	-	0.30
(ग) अन्य प्रशासनिक सेवाओं के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting expenditure under Other Administrative Services.	-	1.05	1.05
54. पुलिस	54 Police			
(क) 'पुलिस' शीर्ष के तहत राजस्व व्यय की वृद्धि हेतु।	(a) For augmentation of revenue expenditure under the head 'Police'.	2.42	432.18	434.60
(ख) 'पुलिस' शीर्ष के तहत पूंजी व्यय की वृद्धि हेतु।	(b) For augmentation of capital expenditure under the head 'Police'.	356.35	85.30	441.65
55. गृह मंत्रालय के अन्य व्यय	55 Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs			
(क) 'प्राकृतिक आपदा राहत' शीर्ष के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(a) For meeting additional expenditure under the head 'Relief on account of Natural Calamities'.	2.43	-	2.43
(ख) यूएनडीपी-जोखिम प्रबन्धन परियोजना के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।	(b) For providing additional Grants-in-aid under UNDP-Risk Management Project.	-	10.00	10.00
(ग) यूथ एक्सचेंज कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional expenditure for Youth Exchange Programme.	-	1.00	1.00
(घ) राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के भवन निर्माण के तहत व्यय की पूर्ति हेतु।	(d) For meeting expenditure under Office Building of National Disaster Responsive Force.	-	10.46	10.46
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
58. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	58 Department of School Education and Literacy			
(क) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सहायता	(a) For Grants-in-aid related expenditure			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
अनुदान संबंधी व्यय हेतु (i) सर्वशिक्षा अभियान (₹ 649 करोड़), (ii) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (₹ 88.55 करोड़) और (iii) वयस्क शिक्षा और कौशल विकास योजना (₹ 2.26 करोड़)।	under the schemes of (i) Sarva Shiksha Abhiyan (₹ 649 crore), (ii) Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (₹ 88.55 crore) and (iii) Adult Education and Skill Development Scheme (₹ 2.26 crore).	739.81	-	739.81
(ख) निम्नलिखित हेतु (i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 18.57 करोड़), (ii) माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों के लिए बालिका छात्रावासों के निर्माण और संचालन हेतु योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 5.72 करोड़), (iii) भाषा अध्यापकों की नियुक्ति (₹ 13 करोड़) योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान और (iv) 'सर्वशिक्षा अभियान' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 235.52 करोड़)।	(b) For (i) Grants-in-aid General under the scheme 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' (₹ 18.57 crore), (ii) Grants for creation of capital assets under the scheme for construction and running of Girls Hostels for Students of Secondary and Higher Secondary Schools (₹ 5.72 crore), (iii) Grants-in-aid General under the scheme 'Appointment of Language Teachers' (₹ 13 crore), and (iv) Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' (₹ 235.52 crore).	272.81	-	272.81
(ग) तिब्बती शरणार्थी बच्चों को वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सहायता अनुदान हेतु।	(c) For Grants-in-aid to Tibetan Refugee Children to meet the additional expenditure for salary.	-	1.00	1.00
59. उच्च शिक्षा विभाग	59 Department of Higher Education			
(क) सामान्य शिक्षा के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(a) For Grants related expenditure under General Education.	-	300.41	300.41
(ख) तकनीकी शिक्षा के लिए सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants-in-aid related expenditure for Technical Education.	361.72	163.55	525.27
(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु सहायता अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(c) For Grants-in-aid related expenditure for North Eastern Areas.	115.00	-	115.00
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
60. सूचना और प्रसारण मंत्रालय	60 Ministry of Information and Broadcasting			
निम्नलिखित को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (क) भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान (₹ 1 करोड़), और (ख) भारतीय सत्यजीत राय फिल्मस टेलीविजन संस्थान (₹ 0.39 करोड़)।	For providing Grants-in-aid to (a) Films Television Institute of India (₹ 1 crore), and (b) Satyajit Ray Films Television Institute of India (₹ 0.39 crore).	-	1.39	1.39
श्रम और रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
61. श्रम और रोजगार मंत्रालय	61 Ministry of Labour and Employment			
(क) निम्नलिखित हेतु (i) बीपीएल परिवारों के लिए स्टेट सोसायटियों को आरएसबीवाई योजना का केन्द्रीय हिस्सा (₹ 147.51 करोड़), (ii) डीजीईएण्डटी में परियोजना कार्यान्वयन और व्यापार परीक्षण योजना में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 3.50 करोड़), (iii) 'कौशल विकास पहल' योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 31.10 करोड़) और (iv) पूर्वोत्तर और सिक्किम में कौशल विकास अवसंरचना संवर्धन योजना के तहत राज्य सोसाइटियों को दिए जाने वाले केन्द्रीय हिस्से को जारी करना (₹ 10 करोड़)।	(a) For (i) Central share of RSBY Scheme to State Societies for BPL families (₹ 147.51 crore), (ii) meeting additional expenditure in the scheme of 'Project Implementation and Trade Testing at DGE&T' (₹ 3.50 crore), (iii) Grants-in-aid General under the Scheme 'Skill Development Initiative' (₹ 31.10 crore), and (iv) releasing the Central Share to State Societies under the scheme 'Enhancing Skill Development Infrastructure' in North Eastern States and Sikkim (₹ 10 crore).	192.11	-	192.11

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
(ख) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों के लिए कौशल विकास योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(b) For Grants for creation of capital assets under the scheme of Skill development for 34 districts affected by left wing extremism.	31.25	-	31.25
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
65. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	65 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के प्रावधान को बढ़ाने हेतु।	(a) For augmentation of provision for the projects / schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under Prime Minister's Employment Generation Programme.	7.77	-	7.77
(ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting the additional requirement under Prime Minister's Employment Generation Programme.	92.23	-	92.23
(ग) अतिरिक्त संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(c) For meeting additional establishment related expenditure.	-	2.45	2.45
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
67. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	67 Ministry of Minority Affairs			
शहरी वकफ प्रोपर्टीज के विकास के लिए केन्द्रीय वकफ परिषद को सामान्य सहायता अनुदान।	For Grants-in-aid General to Central Wakf Council for development of Urban Wakf Properties.	-	0.86	0.86
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
68. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	68 Ministry of New and Renewable Energy			
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के तहत अतिरिक्त अनुदान संबंधी व्यय की पूर्ति।	For meeting additional Grants related expenditure under New and Renewable Energy.	26.75	-	26.75
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
70. पंचायती राज मंत्रालय	70 Ministry of Panchayati Raj			
ग्राम सभा भवन की लागत संबंधी राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	For Grants for creation of capital assets under Rashtriya Gram Swarajgar Yojana towards cost of Gram Sabha Bhawan.	25.00	-	25.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
74. योजना मंत्रालय	74 Ministry of Planning			
सर्वरों और अन्य आईटी संबंधी मदों की अधिप्राप्ति के लिए व्यय की पूर्ति।	For meeting the expenditure for procurement of Servers and other IT related items.	9.61	-	9.61
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
75. विद्युत मंत्रालय	75 Ministry of Power			
(क) हॉटलाइन ट्रेनिंग सेंटर बेंगलुरु और पॉवर सिस्टम ट्रेनिंग संस्थान, बेंगलुरु से राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद को आस्तियों के अन्तर के सन्दर्भ में पूर्व अवधि लेखांकन समायोजन करने हेतु।	(a) For carrying out prior period accounting adjustment in respect of transfer of assets from Hot Line Training Centre, Bengaluru and Power System Training Institute, Bengaluru to National Power Training Institute, Faridabad.	12.42	-	12.42
(ख) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड के रंगानाडी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पॉवर प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में ऋण को इक्विटी में परिवर्तन के	(b) For carrying out prior period accounting adjustment in respect of conversion of loan into equity in			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सन्दर्भ में पूर्व अवधि लेखांकन समायोजन करने हेतु।	respect of Ranganadi Hydro Electric Power Project of North Eastern Electric Power Corporation Limited.	361.10	-	361.10
(ग) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन लि. के टयूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन को ऋण और अग्रिम हेतु।	(c) For loans and advances to Turial Hydro Electric Power Corporation of North Eastern Electric Power Corporation Limited.	163.13	-	163.13
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
पूर्वोत्तर क्षेत्र में मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।	For meeting additional expenditure on Major Works in North Eastern Areas.	385.49	-	385.49
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
82. ग्रामीण विकास विभाग	82 Department of Rural Development			
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत अतिरिक्त प्रतिबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु।	For meeting additional committed liabilities under Other Rural Development Programmes.	89.00	1.14	90.14
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
85. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	85 Department of Science and Technology			
अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान शीर्ष के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु	For Grants related expenditure under the head Other Scientific Research.	45.98	-	45.98
86. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	86 Department of Scientific and Industrial Research			
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान संबंधी व्यय प्रदान करने हेतु।	For providing Grants related expenditure to Council of Scientific and Industrial Research.	24.20	66.60	90.80
87. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	87 Department of Biotechnology			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए अनुदान संबंधी व्यय प्रदान करने हेतु।	(a) For providing Grants related expenditure for North Eastern Areas.	20.26	-	20.26
(ख) अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान शीर्ष के तहत अनुदान संबंधी व्यय हेतु।	(b) For Grants related expenditure under the head Other Scientific Research.	5.00	-	5.00
परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
88. परिवहन मंत्रालय	88 Ministry of Shipping			
(क) हिन्दुस्तान डॉक एण्ड पोर्ट इंजिनियर्स लिमिटेड को अपने कर्मचारियों के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति संबंधी व्यय की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid General to the Hindustan Dock and Port Engineers Limited to meet expenditure on the Voluntary Retirement Scheme for its employees.	-	2.00	2.00
(ख) पोत परिवहन महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक सेवाओं संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure on Professional Services under Directorate General of Shipping.	-	13.99	13.99
(ग) अन्तर्देशीय वाटरवेज एनडब्ल्यू-1 और एनडब्ल्यू-3 हेतु भारतीय अन्तर्देशीय वाटर वेज प्राधिकरण को अनुदान योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	(c) For Grants for creation of Capital Assets under the scheme Grants to Inland Water Ways Authority of India for Inland Waterways NW-1 and NW-3.	25.12	-	25.12
(घ) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय अन्तर्देशीय वाटर वेज प्राधिकरण (₹ 0.60 करोड़) और (ii) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम (₹ 0.33 करोड़)	(d) For Grants-in-aid General to (i) Inland Water Ways Authority of India (₹ 0.60 crore), and (ii) Central Inland Water Transport Corporation (₹ 0.33 crore).	-	0.93	0.93
(ङ) तुतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट के मुख्य निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(e) For meeting the additional expenditure on Major Works of Tuticorin Port Trust.	30.00	-	30.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	89 Ministry of Social Justice and Empowerment			
(क) राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को सहायता अनुदान वेतन जारी करने हेतु।	(a) For releasing Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes.	-	2.00	2.00
(ख) निम्नलिखित को वेतन सहायता अनुदान जारी करने हेतु (i) राष्ट्रीय अशक्त व्यक्ति संस्थान (₹ 2 करोड़), (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.80 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 0.55 करोड़)।	(b) For releasing Grants in aid Salaries to (i) National Institutes for Disabled Persons (₹ 2 crore), (ii) Rehabilitation Council of India (₹ 0.80 crore), and (iii) National Institute of Social Defence (₹ 0.55 crore).	3.35	-	3.35
(ग) निम्नलिखित को जारी करने हेतु (i) निम्नलिखित को वेतन सहायता अनुदान (1) राष्ट्रीय अशक्त जन संस्थान (₹ 31.50 करोड़), (2) भारतीय पुनर्वास परिषद (₹ 0.50 करोड़), (3) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (₹ 1.25 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय अशक्त जन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.88 करोड़)	(c) For releasing (i) Grants in aid Salaries to (1) National Institutes for Disabled Persons (₹ 31.50 crore), (2) Rehabilitation Council of India (₹ 0.50 crore), (3) National Institute of Social Defence (₹ 1.25 crore), and (ii) Grants-in-aid General to National Institutes for Disabled Persons (₹ 2.88 crore) .	-	36.13	36.13
अन्तरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
90. अन्तरिक्ष विभाग	90 Department of Space			
निम्नलिखित के संबंध में 'मार्स ऑर्बिटर मिशन' के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति (क) मशीनरी और उपस्कर की अधिप्राप्ति (₹ 1 करोड़) और (ख) अन्य पूंजी व्यय (₹ 9 करोड़)।	For meeting expenditure towards 'Mars Orbiter Mission' towards (a) procurement of machinery and equipment (₹ 1 crore), and (b) other capital expenditure (₹ 9 crore).	10.00	-	10.00
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
91. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	91 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
(क) भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को वेतन सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid Salaries to Indian Statistical Institute, Kolkata.	115.40	-	115.40
(ख) पूर्वोत्तर राज्यों को वेतन सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid Salaries to North Eastern States.	-	5.26	5.26
(ग) आर्थिक जनगणना के तहत राज्य सरकार को वेतन सहायता अनुदान।	(c) For Grants-in-aid Salaries to State Government under Economic Census.	0.29	-	0.29
(घ) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी करना।	(d) For release of funds to Union Territory Governments.	1.34	-	1.34
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
93. कपड़ा मंत्रालय	93 Ministry of Textiles			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ हेतु परियोजनाओं/योजनाओं के प्रावधान को बढ़ाना।	(a) For augmenting the provision for the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.	34.00	-	34.00
(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को वेतन सहायता अनुदान हेतु।	(b) For Grants-in-aid Salary to Central Silk Board.	-	17.78	17.78
पर्यटन मंत्रालय	MINISTRY OF TOURISM			
94. पर्यटन मंत्रालय	94 Ministry of Tourism			
'डेस्टिनेशन और सर्किट्स हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास योजना के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	For Grants for creation of capital assets under the scheme 'Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits'.	9.00	-	9.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non Plan	जोड़ Total
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
101. शहरी विकास विभाग	101 Department of Urban Development			
दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान।	For Grants for creation of capital assets to Delhi Metro Rail Corporation Limited.	7.99	-	7.99
जल संसाधन मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES			
104. जल संसाधन मंत्रालय	104 Ministry of Water Resources			
(क) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	(a) For Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology.	-	1.66	1.66
(ख) भूजल प्रबन्धन और विनियमन के मुख्य निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।	(b) For meeting additional expenditure under Major Works for Ground Water Management and Regulation.	29.63	-	29.63
महिला और बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
105. महिला और बाल विकास मंत्रालय	105 Ministry of Women and Child Development			
(क) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (₹ 6.30 करोड़), (ii) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना (₹ 10 करोड़)।	(a) For Grant-in-aid-General under the scheme of (i) Integrated Child Development Services (₹ 6.30 crore), (ii) Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers (₹ 10 crore).	16.30	-	16.30
(ख) निम्नलिखित को सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय लोक सहकारिता और बाल विकास संस्थान (₹ 1 करोड़) (ii) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड (₹ 2 करोड़)।	(b) For Grant-in-aid-General to (i) National Institute of Public Co-operation and Child Development (₹ 1 crore), (ii) Central Social Welfare Board (₹ 2 crore).	-	3.00	3.00
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
106. युवा मामले और खेल मंत्रालय	106 Ministry of Youth Affairs and Sports			
अत्याधुनिक पुस्तकालय स्थापना के लिए श्री पेरम्बादूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान हेतु।	For Grants-in-aid General to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development at Sriperambadur for setting up of State of the Art Library.	10.00	-	10.00
जोड़ सांकेतिक	Total Token	0.64	0.43	1.07
5. तत्काल आवश्यकता की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से कुल ₹ 307,73,00,000 करोड़ के सात अग्रिमों की मंजूरी दी गई थी। इसकी प्रतिपूर्ति अनुदानों की पूरक मांगों की मंजूरी प्राप्त होने के पश्चात कर दी जाएगी।	5. Seven advances aggregating ₹ 307,73,00,000 were sanctioned from the Contingency Fund of India for meeting immediate requirement. This will be recouped to the Fund after the Supplementary Demands for Grants are sanctioned.			
कुल जोड़	GRAND TOTAL	8,692.15	421,536.49	430,228.64
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	441.82	42,163.96	42,605.78
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	8,249.69	379,372.10	387,621.79
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.64	0.43	1.07

ÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉ
CONTENTS

aÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉ +ÉÉÉÉÉÉ	No. and Title of Demand	(BÉÉÉÉÉÉ àÉÉÉÉÉÉ Rupees in crore)				
		ÉÉÉÉÉÉ	ÉÉÉÉÉÉ	ÉÉÉÉÉÉ	ÉÉÉÉÉÉ	
		Revenue	Capital	Total	Page	
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
1. BÉÉÉÉÉÉ +ÉÉÉÉÉÉ ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	1. Department of Agriculture and Cooperation	Voted	0.04	...	0.04	1-2
2. BÉÉÉÉÉÉ +ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ +ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	2. Department of Agricultural Research and Education	Voted	50.03	...	50.03	3-4
3. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ +ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	3. Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.02	...	0.02	5
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
4. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	4. Atomic Energy	Charged	...	16.60	16.60	6-7
5. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	5. Nuclear Power Schemes	Voted	312.34	...	312.34	8
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
7. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	7. Department of Fertilisers	Voted	7201.07	...	7201.07	9
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
9. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	9. Ministry of Civil Aviation	Voted	9.77	...	9.77	10
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
10. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	10. Ministry of Coal	Voted	...	46.83	46.83	11
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
11. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	11. Department of Commerce	Voted	30.23	...	30.23	12
12. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	12. Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.02	...	0.02	13
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
13. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	13. Department of Posts	Charged	0.86	...	0.86	14-15
14. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	14. Department of Telecommunications	Voted	240.06	0.01	240.07	16
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
17. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	17. Department of Food and Public Distribution	Voted	9873.75	0.01	9873.76	17-18
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
18. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	18. Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01	...	0.01	19
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
19. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	19. Ministry of Culture	Voted	25.01	...	25.01	20-21
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ						
20. ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ	20. Ministry of Defence	Voted	128.78	0.01	128.79	22-23

		(Rupees in crore)					
			Revenue	Capital	Total	Page	
21.	Defence Pensions	Charged	0.29	...	0.29	24	
22.	Defence Services - Army	Charged	3.65	...	3.65	25	
		Voted	3412.07	...	3412.07		
23.	Defence Services - Navy	Voted	752.76	...	752.76	26	
24.	Defence Services - Air Force	Charged	1.09	...	1.09	27	
		Voted	149.24	...	149.24		
25.	Defence Ordnance Factories	Charged	8.50	...	8.50	28	
		Voted	858.93	...	858.93		
27.	Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	46.71	46.71	29	
MINISTRY OF EARTH SCIENCES							
29.	Ministry of Earth Sciences	Voted	0.03	...	0.03	30	
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS							
30.	Ministry of Environment and Forests	Charged	0.13	...	0.13	31	
		Voted	0.02	...	0.02		
MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS							
31.	Ministry of External Affairs	Voted	0.01	100.00	100.01	32	
MINISTRY OF FINANCE							
32.	Department of Economic Affairs	Voted	0.03	0.01	0.04	33-34	
33.	Department of Financial Services	Voted	0.01	6497.42	6497.43	35-36	
34.	Appropriation - Interest Payments	Charged	11904.32	...	11904.32	37	
35.	Transfers to State and Union Territory Governments	Voted	555.00	...	555.00	38	
37.	Appropriation - Repayment of Debt	Charged	...	369496.27	369496.27	39	
38.	Department of Expenditure	Voted	9.07	...	9.07	40	
40.	Indian Audit and Accounts Department	Charged	4.01	...	4.01	41	
		Voted	13.08	...	13.08		
42.	Direct Taxes	Voted	15.72	...	15.72	42	
43.	Indirect Taxes	Voted	7.50	...	7.50	43	
MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES							
45.	Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.02	...	0.02	44	
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE							
46.	Department of Health and Family Welfare	Voted	0.02	0.02	0.04	45-46	
47.	Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	0.03	0.40	0.43	47-48	
48.	Department of Health Research	Voted	0.01	...	0.01	49	
MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES							
50.	Department of Heavy Industry	Voted	0.64	...	0.64	50	

अंशक संख्या + विषय	No. and Title of Demand		(रुपयों में Rupees in crore)			Page
			Revenue	Capital	Total	
गृह विभाग						
MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
52. गृह विभाग	52. Ministry of Home Affairs	Voted	0.03	24.60	24.63	51-52
53. मंत्रिमंडल	53. Cabinet	Voted	190.69	...	190.69	53
54. पुलिस	54. Police	Charged	0.50	...	0.50	54-55
55. गृह विभाग के अंतर्गत अन्य व्यय	55. Other Expenditure of the Ministry of Home Affairs	Voted	0.02	0.02	0.04	
		Voted	0.03	0.01	0.04	57-58
मानव संसाधन विकास विभाग						
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT						
58. विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग	58. Department of School Education and Literacy	Voted	70.02	...	70.02	59-60
59. उच्च शिक्षा विभाग	59. Department of Higher Education	Voted	69.71	...	69.71	61-63
सूचना और संचार विभाग						
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
60. सूचना और संचार विभाग	60. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	75.43	...	75.43	64
श्रम और रोजगार विभाग						
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT						
61. श्रम और रोजगार विभाग	61. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.02	...	0.02	65
कानून और न्याय विभाग						
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64. अनुसूचित न्यायाधीशों के वेतन	64. Appropriation - Supreme Court of India	Charged	17.53	...	17.53	66
सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्यम विभाग						
MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
65. सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्यम विभाग	65. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.03	...	0.03	67
अल्पसंख्यक विभाग						
MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS						
67. अल्पसंख्यक विभाग	67. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.01	...	0.01	68
नए और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग						
MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
68. नए और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग	68. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	69
विदेशीय भारतीय विभाग						
MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS						
69. विदेशीय भारतीय विभाग	69. Ministry of Overseas Indian Affairs	Voted	6.50	...	6.50	70
पंचायती राज विभाग						
MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ						
70. पंचायती राज विभाग	70. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01	...	0.01	71
व्यक्तिगत, सार्वजनिक शिकायतों और पेंशनों विभाग						
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS						
72. व्यक्तिगत, सार्वजनिक शिकायतों और पेंशनों विभाग	72. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Voted	10.07	...	10.07	72

		(Rupees in crore)				
		Revenue	Capital	Total	Page	
MINISTRY OF TOURISM						
94.	Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	93
MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS						
95.	Ministry of Tribal Affairs	Voted	23.26	...	23.26	94
UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)						
96.	Andaman and Nicobar Islands	Voted	14.83	...	14.83	95-96
97.	Chandigarh	Charged	4.03	...	4.03	97
98.	Dadra and Nagar Haveli	Voted	70.97	...	70.97	
99.	Daman and Diu	Voted	150.00	...	150.00	98
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT						
101.	Department of Urban Development	Charged	3.61	...	3.61	100-101
102.	Public Works	Voted	0.01	166.89	166.90	
103.	Stationery and Printing	Voted	62.24	24.00	86.24	102
		Voted	10.06	...	10.06	103
MINISTRY OF WATER RESOURCES						
104.	Ministry of Water Resources	Voted	0.02	...	0.02	104
MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT						
105.	Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	105
MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS						
106.	Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.01	...	0.01	106
GRAND TOTAL			52897.78	377330.86	430228.64	
		Charged	11948.56	369559.58	381508.14	
		Voted	40949.22	7771.28	48720.50	
ANNEXURE						107

मांग संख्या DEMAND NO. 1

कृषि और सहकारिता विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	17450.67	72.20	17522.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारित:	Charged:	0.64	...	0.64
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	17451.38	72.20	17523.58
भारित:	Charged:	0.64	...	0.64
स्वीकृत:	Voted:	17450.74	72.20	17522.94

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted:	0.01 (क)	0.01
2425 - सहकारिता	स्वीकृत: 2425 -Co-operation	Voted:	0.01 (ख)	0.01
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted:	0.01 (ग)	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted:	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत अतिरिक्त अंशदान हेतु (₹ 189.06 करोड़);
- (ii) राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10 करोड़) और राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन योजना के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (₹ 50 करोड़) और जनजातीय उप आयोजना (₹ 50 करोड़) के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु।
- (iii) एकीकृत तिलहन/आयल पाम/दलहन और मक्का विकास के तहत अतिरिक्त सहायता अनुदान हेतु (₹ 15 करोड़); तथा
- (iv) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (20.61 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) additional Contributions (₹ 189.06 crore) under Weather-based Crop Insurance Scheme;
- (ii) meeting additional Grants-in-aid-General for National Mission on Micro Irrigation (₹ 10 crore) and additional Grants-in-aid-General for Scheduled Castes sub-plan (₹ 50 Crore) and Tribal Sub Plan (₹ 50 Crore) under the scheme National Mission on Micro Irrigation;
- (iii) additional Grants-in-aid-General (₹ 15 crore) under Integrated Oilseed/Oilpalm/Pulses and Maize Development; and
- (iv) meeting additional Grants-in-aid-General (₹ 20.61 crore) under Rashtriya Krishi Vikas Yojna.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ख)	'सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (` 6 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(b)	meeting additional Grants-in-aid-General (` 6 crore) under the scheme 'Assistance to National Cooperative Development Corporation for Development of Cooperatives'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) 'ग्रामीण गोदाम निर्माण' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (` 15 करोड़) और ग्रामीण गोदाम निर्माण योजना के तहत अनुसूचित जातियों (` 34 करोड़) और जनजातीय उपयोजना (` 1 करोड़) के लिए विशेष संघटक आयोजना हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति के लिए; (ii) अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (` 23 करोड़) और 'बाजार का विकास, अवसंरचना, ग्रेडीकरण और विपणन मानकीकरण' योजना के तहत अनुसूचित जातियों (` 45 करोड़) और जनजातीय उप आयोजना (` 2 करोड़) के लिए विशेष संघटक आयोजना हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता की पूर्ति हेतु; तथा (iii) 'छोटे किसानों का कृषि कारोबार संघ' योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान की पूर्ति हेतु (` 15 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(c)	(i) meeting additional Grants-in-aid-General (` 15 Crore) under the scheme 'Construction of Rural Godowns' and additional Grants-in-aid-General for Scheduled Castes sub-plan (` 34 Crore) and Tribal Sub Plan (` 1 Crore) under the scheme Construction of Rural Godowns; (ii) meeting additional Grants-in-aid-General (` 23 Crore) under the scheme 'Development of Market, infrastructure, grading and marketing standardisation' and additional Grants-in-aid-General for Scheduled Castes sub-plan (` 45 Crore) and Tribal Sub Plan (` 2 Crore) under the scheme Development of Market, infrastructure, grading and marketing standardisation; and (iii) meeting additional Grants-in-aid-General (` 15 crore) under the scheme 'Small Farmers Agri-business Consortium'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) 'बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु बीज अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सुदृढीकरण' योजना हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (` 2.25 करोड़), पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 0.12 करोड़) जारी करने के लिए; और (ii) 'फसल पश्च प्रौद्योगिकी' योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 4 करोड़); (iii) 'किसानों के खेत में बागवानी उपस्कर सहित नव-विकसित कृषि उपस्कर की आऊटसोर्सिंग और प्रदर्शन' योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 3.87 करोड़); (iv) 'सहकारी समितियों के विकास हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को सहायता' योजना के लिए अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 1 करोड़); और (v) जनजातीय उप आयोजना के लिए पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (` 27 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(d)	(i) release of additional Grants-in-aid-General (` 2.25 crore), Grants for Creation of Capital Assets (` 0.12 crore) for the scheme 'Development and strengthening of seed infrastructure facilities for production and distribution of seeds'; (ii) release of additional Grants-in-aid-General (` 4 crore) for the scheme 'Post Harvest Technology'; (iii) release of additional Grants-in-aid-General (` 3.87 crore) for the scheme 'Outsourcing and demonstration of newly developed agricultural equipment including horticulture equipment at farmer's field'; (iv) release of additional Grants-in-aid-General (` 1 crore) for the scheme 'Assistance to National Cooperative Development Corporation for Development of Cooperatives'; and (v) release of additional Grants-in-aid-General (` 27 crore) under the scheme Horticulture Mission for North East and Himalayan States for Tribal Area Sub-Plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 4966.14	...	4966.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 50.03	...	50.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 5016.19	...	5016.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2415 - कृषि अनुसंधान और शिक्षा	स्वीकृत: 2415 -Agricultural Research and Education	Voted: 50.00 (खb)	0.01 (गc)	50.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 50.01	0.02	50.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग स्कीम के तहत वेतनों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.16 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

(ख) (i) कृषि विस्तार स्कीम के तहत (132.69 करोड़), कृषि शिक्षा (1.00 करोड़), पुकोडे, केरल स्थित केरल पशु चिकित्सालय तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (50.00 करोड़) राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना/बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं/स्कीमों (14.70 करोड़) और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान (7.48 करोड़) के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान।

(ii) फसल विज्ञान संस्थान स्कीम के तहत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन (66.33 करोड़), बागवानी संस्थान (61.69 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (16.07 करोड़), कृषि में मूलभूत कार्य नीतिक तथा फ्रंटियर अनुप्रयोग की राष्ट्रीय निधि हेतु (23.06 करोड़), केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान (3.45 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थानों (30.86 करोड़), मौसम आधारित कृषि पहल (3.80 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (102.34 करोड़), मत्स्यिकी संस्थान (66.56 करोड़) के लिए अनुदान।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure on Salaries under the scheme Department of Agricultural Research & Education (0.16 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) (i) Grants-in-aid-General under the scheme Agricultural Extension (132.69 crore), Agricultural Education (1.00 crore), Kerala Veterinary & Animal Sciences University at Pookode, Kerala (50.00 crore), National Agricultural Innovation Project/Externally Aided Projects/Schemes (14.70 crore), and Other Natural Resource Management Institutes (7.48 crore).

(ii) Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Crop Science Institutes (66.33 crore), Horticulture Institutes (61.69 crore), Agricultural Engineering Institutes (16.07 crore), National Fund for Basic, Strategic and Frontier Application Research in Agriculture (23.06 crore), Central Soil and Water Conservation Institutes (3.45 crore), Other Natural Resource Management Institutes (30.86 crore), Climate Resilient Agricultural Initiative (3.80 crore), Animal Science Institutes (102.34 crore), Fisheries Institutes (66.56 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (` 530.03 करोड़) को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में निवल नकद व्यय (` 50.00 करोड़) होगा।				Taking into account the savings available (` 530.03 crore) in the same section of the Grant, this supplementary will entail a net cash outgo (` 50.00 crore).
(ग)	(i) फसल विज्ञान संस्थान (` 25.79 करोड़), बागवानी संस्थान (` 7.13 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, मुख्यालय प्रशासन (` 11.93 करोड़), केंद्रीय मृदा एवम् जल संरक्षण संस्थान (` 0.26 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संस्थानों (` 28.66 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (` 1.63 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान।	(c)	(i)	Grants-in-aid-General under the scheme Crop Science Institutes (` 25.79 crore), Horticulture Institutes (` 7.13 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn.(` 11.93 crore), Central Soil and Water Conservation Institutes (` 0.26 crore), Other Natural Resource Management Institutes (` 28.66 crore), Animal Science Institutes (` 1.63 crore).	
	(ii) फसल विज्ञान संस्थान (` 0.37 करोड़), बागवानी संस्थान (` 0.52 करोड़), कृषि शिक्षा (` 0.06 करोड़), कृषि आर्थिकी एवं सांख्यिकी संस्थान (` 0.04 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग संस्थान (` 0.29 करोड़), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय प्रशासन (` 1.34 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन संस्थान (` 1.23 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान (` 0.44 करोड़) तथा मात्स्यिकी संस्थाओं (` 2.97 करोड़) की स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान।		(ii)	Grants for creation of Capital Assets under the scheme Crop Science Institutes (` 0.37 crore), Horticulture Institutes (` 0.52 crore), Agricultural Education (` 0.06 crore), Agricultural Economics & Statistics Institutes (` 0.04 crore), Agricultural Engineering Institutes (` 0.29 crore), Indian Council of Agricultural Research Headquarter Admn.(` 1.34 crore), Other Natural Resource Management Institutes (` 1.23 crore), Animal Science Institutes (` 0.44 crore) and Fisheries Institutes (` 2.97 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) मौसम आधारित कृषि पहलों की स्कीम के तहत(` 0.01 करोड़) तथा मात्स्यिकी (` 2.00 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान।	(d)	(i)	Grants-in-aid General under the scheme Climate Resilient Agriculture Initiative (` 0.01 crore) and Fisheries (` 2.00 crore).	
	(ii) फसल विज्ञान संस्थान (` 0.79 करोड़), बागवानी संस्थान (` 3.72 करोड़), कृषि इंजीनियरिंग (` 0.24 करोड़), अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन संस्थानों (` 13.35 करोड़) तथा पशु विज्ञान संस्थान (` 8.11 करोड़) स्कीम के तहत पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान		(ii)	Grants for creation of Capital Assets under the scheme Crop Science Institutes (` 0.79 crore), Horticulture Institutes (` 3.72 crore), Agricultural Engineering (` 0.24 crore), Other Natural Resource Management Institutes (` 13.35 crore) and Animal Science Institutes (` 8.11 crore).	
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।				Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 2 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2021.21	16.74	2037.95
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted 2021.25	16.74	2037.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403 - पशु पालन	स्वीकृत: 2403 -Animal Husbandry	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2404 - डेयरी विकास	स्वीकृत: 2404 -Dairy Development	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (क) | (i) राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (` 10.00 करोड़)।
(ii) अनुसूचित जातियों की उप-योजना के लिए राष्ट्रीय मवेशी और भैंस प्रजनन परियोजना की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (` 1.62 करोड़)।
(iii) क्षेत्रीय रोग निदान प्रयोगशालाओं की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (` 3.05 करोड़)।
(iv) व्यावसायिक दक्षता विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (` 0.40 करोड़)।
(v) शूकर विकास योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (` 3.55 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। | (a) | (i) Grants-in-aid-General under the scheme for National Project for Cattle and Buffalo Breeding (` 10.00 crore).
(ii) Grants-in-aid-General under the scheme for National Project for Cattle and Buffalo Breeding for Scheduled Castes Sub-Plan (` 1.62 crore).
(iii) Grants-in-aid-General under the scheme for Regional Disease Diagnostic Laboratories (` 3.05 crore)
(iv) Grants-in-aid-General under the scheme for Professional Efficiency Development (` 0.40 crore).
(v) Grants-in-aid-General under the scheme for Piggery Development (` 3.55 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) | दिल्ली दुग्ध योजना के तहत विभिन्न दुग्ध संघ/सहकारी समितियों को भुगतान हेतु अधिप्राप्ति के तहत आपूर्ति एवं सामग्री पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 31.28 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। | (b) | For meeting additional expenditure on Supplies & Material under Procurement for payment to different Milk Union/Cooperative Societies under Delhi Milk Scheme (` 31.28 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वीकृत:	Voted:	5636.41	3448.85	9085.26
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
भारित:	Charged:	...	16.60	16.60
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5637.46	3466.46	9103.92
भारित:	Charged:	1.00	17.60	18.60
स्वीकृत:	Voted:	5636.46	3448.86	9085.32

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan		आयोजना- भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted:	0.01 (का)	0.01 (खb)		0.02
3401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	स्वीकृत: 3401 -Atomic Energy Research	Voted:	...	0.01 (गc)		0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted:	0.01	0.02		0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION					
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD					
4861 - परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4861 - Capital Outlay on Atomic Energy Industries	Charged:	16.60 (घd)	...		16.60
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)		16.61	0.02		16.63
	भारित:	Charged:	16.60	...		16.60
	स्वीकृत:	Voted:	0.01	0.02		0.03

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़)।
चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) निम्नलिखित में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (i) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 33.51 करोड़) (ii) न्यूक्लीयर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (₹ 28 करोड़)। (iii) विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (₹ 4 करोड़)। और (iv) डीएई परियोजनाएं (₹ 2.61 करोड़)।
चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Grants for creation of Capital Assets to Electronics Corporation of India Limited (₹ 20 crore).
As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure in respect of (i) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 33.51 crore), (ii) Nuclear Fuel Complex (₹ 28 crore), (iii) Board of Radiation and Isotope Technology (₹ 4 crore) and (iv) DAE Projects (₹ 2.61 crore).
As savings are available within the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) (i) निम्नलिखित के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (1) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड (₹ 0.55 करोड़) (2) भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 6.18 करोड़) (3) इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (₹ 0.48 करोड़) (4) राजा रामन्ना उन्नत प्रौद्योगिकी केन्द्र (₹ 2.34 करोड़), (5) वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर (₹ 0.99 करोड़) (6) खरीद एवं स्टोर्स निदेशालय (₹ 2.50 करोड़)। (7) सामान्य सेवा संगठन (₹ 3.71 करोड़), (8) निर्माण तथा सम्पदा प्रबन्धन निदेशालय (₹ 8.31 करोड़) और (ii) निम्नलिखित को वेतन सहायता अनुदान प्रदान करना (1) टाटा इन्स्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (₹ 147.77 करोड़) (2) टाटा मेमोरियल सेंटर (₹ 153.95 करोड़) (3) साहा इन्स्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लीयर फिजिक्स (₹ 48.70 करोड़) (4) इन्स्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स (₹ 9.75 करोड़) (5) इन्स्टीट्यूट ऑफ मैथेमेटिकल साइंस (₹ 14.09 करोड़), (6) हरिश चन्द्र अनुसंधान संस्थान (₹ 8 करोड़) (7) इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च (₹ 32.53 करोड़) (8) एटॉमिक एनर्जी एज्युकेशन सोसाइटी, हैदराबाद (₹ 6.90 करोड़) और (9) एटॉमिक एनर्जी एज्युकेशन सोसाइटी, मुम्बई (₹ 33.60 करोड़)।</p> | <p>(c) (i) meeting additional expenditure in respect of (1) Atomic Energy Regulatory Board (₹ 0.55 crore), (2) Bhabha Atomic Research Centre (₹ 6.18 crore), (3) Indira Gandhi Centre for Atomic Research (₹ 0.48 crore), (4) Raja Ramanna Centre for Advanced Technology (₹ 2.34 crore), (5) Variable Energy Cyclotron Centre (₹ 0.99 crore), (6) Directorate of Purchase and Stores (₹ 2.50 crore), (7) General Services Organisation (₹ 3.71 crore), (8) Directorate of Construction and Estate Management (₹ 8.31 crore) and (ii) providing Grants-in-Aid-Salaries to (1) Tata Institute of Fundamental Research (₹ 147.77 crore), (2) Tata Memorial Centre (₹ 153.95 crore), (3) Saha Institute of Nuclear Physics (₹ 48.70 crore), (4) Institute of Physics (₹ 9.75 crore), (5) Institute of Mathematical Sciences (₹ 14.09 crore), (6) Harish-Chandra Research Institute (₹ 8 crore), (7) Institute for Plasma Research (₹ 32.53 crore), (8) Atomic Energy Education Society, Hyderabad (₹ 6.90 crore), and (9) Atomic Energy Education Society, Mumbai (₹ 33.60 crore).</p> |
|--|---|

चूंकि बचतें अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

- (घ) न्यायालय आदेश की अनुपालना में 21 भूमि अधिग्रहण मामलों में रेअर मटेरियल प्लांट, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र मैसूर द्वारा अधिप्राप्त की गई भूमि हेतु वर्धित क्षतिपूर्ति संबंधी व्यय की पूर्ति। इस हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त किया गया जिसे इस पूरक अनुदान के पारित होने के बाद निधि को प्रतिपूर्ति कर दिया जाएगा।

अनुदान के राजस्व/पूजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (d) meeting expenditure on enhanced compensation for land acquired by Rare Material Plant, Bhabha Atomic Research Centre, Mysore in 21 land acquisition cases in compliance of court's order. An advance for this purpose was obtained from the Contingency Fund of India, which shall be recouped to the fund after this supplementary grant is passed.

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 5

न्यूक्लीयर विद्युत योजनाएं

NUCLEAR POWER SCHEMES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 8308.98	1087.40	9396.38
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 312.34	...	312.34
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 8621.32	1087.40	9708.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	312.34	312.34

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विदेशों से ईंधन की वर्धित देशी आपूर्ति और अधिप्राप्ति पर व्यय (₹ 312.44 करोड़) की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के उसी भाग के अन्तर्गत (₹ 0.10 करोड़) और पूंजी भाग के अन्तर्गत (₹ 183.90 करोड़) की बचतें उपलब्ध हैं तथा व्यय की अतिरिक्त प्राप्ति (₹ 53.67 करोड़) से प्रतिपूर्ति किया जाएगा, इसमें नकद व्यय (₹ 74.77 करोड़) होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure on increased indigenous supply and procurement of fuel from overseas countries (₹ 312.44 crore). As savings of (₹ 0.10 crore) are available within the same section of the Grant and (₹ 183.90 crore) under Capital section; and expenditure matched by additional receipts of (₹ 53.67 crore), this will entail net cash outgo of (₹ 74.77 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 7

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 53619.46	217.54	53837.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 13778.93	...	13778.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 7201.07	...	7201.07
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 74599.46	217.54	74817.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: ...	4101.07 (का)	4101.07
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	3100.00 (खb)	3100.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	7201.07	7201.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) आयात उर्वरकों पर सब्सिडी (₹ 200.00 करोड़)।
(ii) आयात विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹ 3501.07 करोड़)।
(iii) इंडिजेनस विनियंत्रित उर्वरकों पर सब्सिडी (₹ 400.00 करोड़)।
- (ख) इंडिजेनस उर्वरकों पर सब्सिडी (₹ 3100.00 करोड़) उपर्युक्त में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) subsidy on imported fertilisers (₹ 200.00 crore).
(ii) subsidy on imported decontrolled fertilisers (₹ 3501.07 crore).
(iii) subsidy on indigenous decontrolled fertilisers (₹ 400.00 crore).
- (b) subsidy on indigenous fertilisers (₹ 3100.00 crore).
The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1000.92	1393.00	2393.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 9.77	...	9.77
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1010.70	1393.00	2403.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053 - नागर विमानन	स्वीकृत: 3053 -Civil Aviation	Voted: ...	9.77	9.77

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

हज चार्टर्स 2011 के प्रचालन के लिए सब्सिडी (₹ 85.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध (₹ 9.77 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग में (₹ 75.23 करोड़ की बचतों का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

Subsidy (₹ 85.00 crore) for operation of Haj Charters 2011.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 9.77 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 75.23 crore available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 10

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 7 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 468.72	30.00	498.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	70.00	70.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	46.83	46.83
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 468.72	146.83	615.55

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग मुख्य शीर्ष	CAPITAL SECTION MAJOR HEAD			
4803 - कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	Voted: ...	46.83	46.83

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
4803 - कोयला और लिग्नाइट पर पूंजी परिव्यय	4803 - Capital Outlay on Coal and Lignite	...	(-) 46.83	(-) 46.83

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

कोयला उत्पादन क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 के तहत "कोयला उत्पादन क्षेत्रों का अधिग्रहण" योजना में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को विभिन्न अनुषंगी कम्पनियों के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु भूमि के बेदखल किए गए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु व्यय की पूर्ति हेतु है। चूंकि सीआईएल द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि सरकार को पहले ही जमा करी दी गई है, अतः व्यय की पूर्ति वर्धित वसूली से की जाएगी। वर्धित वसूली को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting expenditure for payment of compensation to land oustees for land acquired for various subsidiary companies of Coal India Limited (CIL) in the scheme of "Acquisition of Coal Bearing Areas" under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development), Act, 1957. As the compensation amount is deposited by CIL with Government in advance, the expenditure will be met through enhanced recovery.

Taking into account the enhanced recovery, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.00	...	1.00
	स्वीकृत:	Voted: 5584.10	930.98	6515.08
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 15.08	...	15.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 30.23	...	30.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5630.43	930.98	6561.41
	भारित:	Charged: 1.02	...	1.02
	स्वीकृत:	Voted: 5629.41	930.98	6560.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407 - पौधारोपण	स्वीकृत: 2407 -Plantations	Voted: 30.22	(क) ...	30.22
3453 - विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	स्वीकृत: 3453 -Foreign Trade and Export Promotion	Voted: 0.01	(ख) ...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 30.23	...	30.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) उत्पाद विविधीकरण, कारखानों का आधुनिकीकरण, परम्परागत चाय विनिर्माण की संस्थापना, प्रमाणन, छोटे चाय उत्पादकों को प्रशिक्षण आदि के लिए गुणवत्ता तथा उत्पाद विविधीकरण योजना (क्यूयूपीडीएस) के कार्यान्वयन हेतु चाय बोर्ड को सब्सिडी प्रदान करना (₹ 41.15 करोड़)। इसी भाग में उपलब्ध (₹ 10.93 करोड़) की बचतों और अनुदान के पूंजी भाग से (₹ 30.22 करोड़) के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) विश्व व्यापार संगठनों को अंशदान हेतु सहायता प्रदान करने के लिए (₹ 4.58 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

(a) Providing subsidy to Tea Board (₹ 41.15 crore) to implement the Quality and Product Diversification Scheme(QUPDS) for product diversification, modernization of Factories, installation of Orthodox tea manufacturing, certification, training to small Tea growers, etc. Taking into account the savings of ₹ 10.93 crore available in the same section and surrender of ₹ 30.22 crore from Capital Section of the Grant, this will not entail any cash outgo.

(b) Providing assistance for Contribution to World Trade Organizations (₹ 4.58 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 10 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1481.01	8.00	1489.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
भारत:	Charged:	0.09	...	0.09
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1481.14	8.00	1489.14
भारत:	Charged:	0.09	...	0.09
स्वीकृत:	Voted:	1481.05	8.00	1489.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	मिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2885 - उद्योग और खनिजों पर अन्य व्यय	स्वीकृत: 2885 -Other Outlays on Industries and Minerals	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद् को वेतन और चिकित्सा व्यय के संबंध में (₹ 2 करोड़), (ii) केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रशासनिक व्यय की पूर्ति के संबंध में (₹ 1 करोड़) और (iii) कागज लुगदी और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद् को वेतन भुगतान और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के संबंध में (₹ 0.03 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक अनुदान मांगा गया है।

(ख) जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष श्रेणी राज्य पैकेज के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 38.41 करोड़)। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grants are required for:

(a) meeting additional expenditure towards providing Grants-in-aid Salaries to (i) National Council for Cement and Building Material (₹ 2 crore) towards salaries and medical expenses, (ii) Central Manufacturing Technology Institute (₹ 1 crore) towards meeting administrative expenses and (iii) Development Council for Paper Pulp and Allied Industries (₹ 0.03 crore) towards payment of salaries and other retirement benefits. As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

(b) meeting additional expenditure under Package for Special Category States for Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand (₹ 38.41 crore). As savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted: 13522.26	518.12	14040.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.63	9.60	10.23
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	0.01	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.86	...	0.86
	स्वीकृत:	Voted: 240.06	0.01	240.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13763.92	527.74	14291.66
	भारित:	Charged: 1.59	9.60	11.19
	स्वीकृत:	Voted: 13762.33	518.14	14280.47

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना -	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201 - डाक सेवाएं	भारित: 3201 - Postal Services	Charged: ...	0.86 (का)	0.86
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खb)	240.05 (गc)	240.06
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	240.91	240.92
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5201 - डाक सेवाओं पर पूंजी परिचय	स्वीकृत: 5201 - Capital Outlay on Postal Services	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	240.91	240.93
	भारित:	Charged: ...	0.86	0.86
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	240.05	240.07

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ (₹ 0.50 करोड़), मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (₹ 0.08 करोड़) और उच्च न्यायालय, कोलकाता (₹ 0.28 करोड़) जैसे विभिन्न न्यायाधिकरणों/न्यायालयों द्वारा दिए गए फैसलों के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः तकनीकी पूरक अनुदान मांगा गया है;

(ख) 'ग्रामीण सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)-कनेक्टिविटी और सेवाएं' कार्यक्रम के तहत कम्प्यूटरों और अवयवों के वार्षिक रख-रखाव पर (₹ 4.99 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है;

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) meeting additional expenses arising out of awards given by various tribunals/courts such as Central Administrative Tribunal, Chandigarh (₹ 0.50 crore), Motor Accidents Claims Tribunal (₹ 0.08 crore) and High Court, Kolkata (₹ 0.28 crore). As equivalent savings are available under the voted section of the grant, a technical supplementary is sought;

(b) meeting additional expenses (₹ 4.99 crore) on annual maintenance of computers and peripherals under the activity 'Rural Information Communication Technology (ICT) - connectivity and services'. As equivalent savings are available within the same section of the grant, a token supplementary is sought;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|--|--|
| <p>(ग) वेतन (₹ 333.21 करोड़) और पेंशन (₹ 102 करोड़) के कारण अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 195.16 करोड़ की बचतों को देखते हुए ₹ 240.05 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान मांगा गया है। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) meeting additional expenditure on account of salaries (₹ 333.21 crore) and pensions (₹ 102 crore). Taking into account the savings of ₹ 195.16 crore available in the Revenue section of the grant, supplementary for the balance amount of ₹ 240.05 crore is sought. Taking into account the savings available in the capital section of the grant, this will not entail cash outgo.</p> |
| <p>(घ) 'प्रोजेक्ट एरो' के तहत 250 डाकघरों में अवसंरचना विकास संबंध में ₹ 26 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p> | <p>(d) meeting additional expenditure of ₹ 26 crore towards development of infrastructure in 250 post offices under 'Project Arrow'. Taking into the account the savings available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.</p> |

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	8745.82	1027.96	9773.78
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 8745.83	1027.96	9773.79
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275 - अन्य संचार सेवाएं	स्वीकृत: 3275 -Other Communication Services	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

1947 से 1993 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच दूरसंचार ट्रैफिक के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) की ओर से पाकिस्तान टेलीकम्यूनिकेशन कम्पनी लिमिटेड को ` 63.32 करोड़ की अदायगी सम्बन्धी व्यय की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं; अतः सांकेतिक मांगा की गई है।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure towards payment of ` 63.32 crore to Pakistan Telecommunication Company Limited on behalf of Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) for the telecommunication traffic between Pakistan and India during 1947 to 1993. As savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 17

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.31	...	1.31
	स्वीकृत:	Voted: 61701.68	10628.33	72330.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2297.52	...	2297.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 9873.75	0.01	9873.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	73874.26	10628.34	84502.60
	भारित:	Charged: 1.31	...	1.31
	स्वीकृत:	Voted: 73872.95	10628.34	84501.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	9873.73 (खb)	9873.74
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	9873.73	9873.75
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6860 - Loans for Consumer Industries	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	9873.74	9873.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| (क) भाण्डागार विकास और विनियामक प्राधिकरण योजना के अन्तर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 1.20 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है। | (a) Grants-in-aid-Salaries under the scheme Warehousing Development and Regulatory Authority (₹ 1.20 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) (i) भारतीय खाद्य निगम को खाद्य सब्सिडी उपलब्ध कराना (₹ 9988.58 करोड़)। इसमें 2009-10 के लिए (₹ 1355.42 करोड़) की सब्सिडी का बकाया शामिल है।
(ii) नॉनवार्ड के जरिए सहकारी चीनी मिलों को व्याज आर्थिक सहायता हेतु सब्सिडियों पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 5.01 करोड़)। | (b) (i) providing Food Subsidy to Food Corporation of India (₹ 9988.58 crore).This includes ₹ 1355.42 crore of arrears of subsidy for 2009-10.
(ii) meeting the expenditure on subsidies for Interest Subvention to Cooperative Sugar Mills through NABARD (₹ 5.01 crore). |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध (₹ 119.86 करोड़) की बचतों और अनुदान के पूंजी/स्वीकृत तथा राजस्व/भारित भाग से (₹ 15.16 करोड़) के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें (₹ 9858.57 करोड़) का निवल नकद व्यय होगा।</p>	<p>Taking into account savings of ₹ 119.86 crore available within the same section of the Grant and surrender of ₹ 15.16 crore from Capital/Voted and Revenue/Charged Section of the Grant, there will be a net cash outgo of ₹ 9858.57 crore.</p>
<p>(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आशयित खाद्यान्नों की बर्बादी/दूसरी तरफ लगाने से रोकने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता योजना तहत सामान्य सहायता अनुदान पर व्यय की पूर्ति हेतु, (₹ 1.06 करोड़)।</p>	<p>(c) meeting the expenditure on Grants-in-aid-General under the scheme of Financial Assistance to States to curb leakages/diversion of food grains meant for Targeted Public Distribution System (₹ 1.06 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) खोई आधारित सह सृजन विद्युत परियोजना हेतु चीनी मिलों को ऋण और अग्रिमों पर व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 75.00 करोड़)।</p>	<p>(d) meeting the expenditure on Loans and Advances to Sugar Factories for Bagasse based co-generation power project (₹ 75.00 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	199.94	39.00	238.94
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 199.95	39.00	238.95
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451 - सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	स्वीकृत: 3451 -Secretariat-Economic Services	Voted:	...	0.01
				0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) क्षेत्रीय निदेशक (आरडी) द्वारा निवेशक शिक्षण और संरक्षा कोष (आईईपीएफ) के तहत निवेशक जागरूकता कार्यक्रम (₹ 0.01 करोड़) तथा (ii) ई-नीलामी तथा लेखा के लिए व्यय जरूरतों को पूरा करने हेतु (₹ 0.50 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

meeting the expenditure requirements for (i) Investors Awareness Programmes under Investor Education & Protection Fund(IEPF) by Regional Director (RDs) (₹ 0.01 Crore) and (ii)OL e-Auction and Accounting (₹ 0.50 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 19

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10-12 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 15-16 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 10-12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 15-16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1298.00	40.00	1338.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 15.07	...	15.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 25.01	...	25.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1338.08	40.00	1378.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना -	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205 - कला और संस्कृति	स्वीकृत: 2205 -Art and Culture	Voted: 5.00 (का)	20.00 (खb)	25.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 5.01	20.00	25.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण हेतु अपेक्षित अतिरिक्त राशि है (5.00 करोड़)।
- (ii) जनजातीय उप आयोजना हेतु प्रावधानों में बढोतरी हेतु क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों को सामान्य सहायता अनुदान (0.40 करोड़)।
- (iii) नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि को सामान्य सहायता अनुदान (0.45 करोड़)।
- (iv) सांस्कृतिक विरासत युवा नेतृत्व कार्यक्रम के कार्यन्वयन हेतु "सांस्कृतिक विरासत स्वयंसेवक योजना" के अन्तर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध (1.35 करोड़) की बचतों के मद्देनजर इसमें (5.00 करोड़) का नकद व्यय होगा।
- (ख) 'गुरु-ता-गद्दी की त्रि-शताब्दी समारोह' योजना के अन्तर्गत आनन्द साहिब और तलवंडी सावो के विकास पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (20.00 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Archaeological Survey of India to meet the additional expenditure on Professional Services (5.00 crore).
- (ii) Grants-in-aid General to Zonal Cultural Centres to augment the provisions for Tribal Sub-Plan (0.40 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to National Cultural Fund to meet the additional expenditure on Leadership Training Programme (0.45 crore).
- (iv) Grants-in-aid General under 'Cultural Heritage Volunteers Scheme' for implementation of Cultural Heritage Youth Leadership Programme (0.50 crore) Taking into account the savings of 1.35 crore available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of 5.00 crore.
- (b) Grants-in-aid General under the scheme 'Commemoration of Tercentenary of Guru-ta-Gaddi' to meet the additional expenditure on development of Anandpur Sahib and Talwandi Sabo (20.00 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|--|---|
| <p>(ग) निम्नलिखित संगठनों/योजनाओं के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए प्रावधान बढ़ाने हेतु अतिरिक्त राशि अपेक्षित है: (i) 'राष्ट्रीय भारतीय अभिलेखागार' को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.05 करोड़) (ii) 'राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद' को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.50 करोड़) (iii) लघु निर्माण कार्य हेतु भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (0.95 करोड़) (iv) कार्यालय व्यय हेतु भारतीय नृ-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (₹ 0.50 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर इसमें सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p> | <p>(c) Additionality is required for augmenting the provisions for North Eastern Areas in respect of the following Organizations/Schemes: (i) Grants-in-aid General to 'National Archives of India' (₹ 0.05 crore) (ii) Grants-in-aid General to 'National Council of Science Museums (₹ 0.50 crore) (iii) Archaeological Survey of India for Minor Works (₹ 0.95 crore) (iv) Anthropological Survey of India for Office Expenses (₹ 0.50 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
|--|---|

मांग संख्या DEMAND NO. 20

रक्षा मंत्रालय

MINISTRY OF DEFENCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 17 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.24	...	0.24
	स्वीकृत:	Voted: 11474.57	1682.00	13156.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1800.00	...	1800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 128.78	0.01	128.79
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	13403.59	1682.01	15085.60
	भारित:	Charged: 0.24	...	0.24
	स्वीकृत:	Voted: 13403.35	1682.01	15085.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत: 2037 -Customs	Voted: ...	50.27 (का)	50.27
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	17.53 (खb)	17.53
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	60.00 (गc)	60.00
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 -Public Works	Voted: ...	0.98 (घd)	0.98
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: ...	128.78	128.78
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047 - अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4047 - Capital Outlay on Other Fiscal Services	Voted: ...	0.01 (ङe)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	128.79	128.79

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- (क) तटरक्षक संगठन के वेतन और अन्य स्थापना व्यय संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के सम्बन्ध में 50.27 करोड़ प्रदान करने हेतु।
- (ख) रक्षा संपदा में वेतन, अन्य स्थापना संबंधी व्यय, भूमि अभिलेखों का बचाव एवं संरक्षण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में 20.97 करोड़ प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (3.44 करोड़) की बचतों को देखते हुए (17.53 करोड़) की शेष राशि के लिए पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (a) providing ` 50.27 crore towards meeting additional expenditure on salaries and other establishment related expenditure of Coast Guard Organisation.
- (b) providing ` 20.97 crore towards meeting additional expenditure on salaries, other establishment related expenditure, protection and preservation of land records in Defence Estates. Taking into account the savings (` 3.44 crore), available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount (` 17.53 crore) is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	जम्मू एवं कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जाकली) को वेतन एवं भत्तों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में ` 60 करोड़ प्रदान करने हेतु।	(c)	providing ` 60 crore towards meeting additional expenditure on pay and allowances of Jammu & Kashmir Light Infantry (JAKLI).
(घ)	रक्षा संपदा संगठन के कार्यालय भवनों के रख-रखाव के संबंध में ` 0.98 करोड़ प्रदान करने हेतु।	(d)	providing ` 0.98 crore towards maintenance of office buildings of Defence Estates Organisation.
(ङ)	मिनीकोय में 8 एकड़ की भूमि और लक्षद्वीप के आंद्रोध में 4 एकड़ भूमि; कोलकाता में 5 एकड़ की भूमि के अधिग्रहण और विभिन्न सिविल निर्माण परियोजनाओं पर ` 60 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(e)	meeting additional expenditure of ` 60 crore on acquisition of 8 acres of land at Minicoy and 4 acres of land at Androth in Lakshadweep; 5 acres of land at Kolkata; and additional expenditure on various civil work projects. As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदान के पूँजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इन पूरक अनुदानों के कारण ` 116.03 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

Taking into account the savings available in the Capital section of the grant, the net cash outgo on account of these supplementaries will be ` 116.03 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 21

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged:	0.25	...
	स्वीकृत:	Voted:	33999.75	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged:	0.29	...
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		34000.29	...
	भारित:	Charged:	0.54	...
	स्वीकृत:	Voted:	33999.75	...
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071 - पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति	भारित: 2071 - Pensions and other Retirement Benefits	Charged:	...	0.29
				0.29

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के फलस्वरूप 0.29 करोड़ उत्पन्न अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में। चूंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, अतः इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure of 0.29 crore arising out of orders awarded by Armed Forces Tribunal. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available in the voted section of grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 22

रक्षा सेवाएं-थल सेना

DEFENCE SERVICES-ARMY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 22.67	...	22.67
	स्वीकृत:	Voted: 65962.38	...	65962.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 12.00	...	12.00
	स्वीकृत:	Voted: 3800.00	...	3800.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 3.65	...	3.65
	स्वीकृत:	Voted: 3412.07	...	3412.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	73212.77	...	73212.77
	भारित:	Charged: 38.32	...	38.32
	स्वीकृत:	Voted: 73174.45	...	73174.45

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076 - रक्षा सेवाएं-थल सेना	भारित: 2076 - Defence Services - Army	Charged: ...	3.65 (का)	3.65
	स्वीकृत:	Voted: ...	3412.07 (खब)	3412.07
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3415.72	3415.72
	भारित:	Charged: ...	3.65	3.65
	स्वीकृत:	Voted: ...	3412.07	3412.07

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप ` 3.65 करोड़ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

(ख) वेतन, निर्माण कार्य, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय राइफल्स के कारण और साथ ही वेतनमानों में संशोधन के कारण ` 3412.07 करोड़ अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

पूंजी भाग में (` 3059 करोड़) की बचतों के मद्देनजर इन पूरक अनुदानों के कारण ` 356.72 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting additional expenditure of ` 3.65 crore arising out of Court orders.

(b) meeting additional expenditure of ` 3412.07 crore on account of salaries, works, ex-servicemen contributory health scheme, Rashtriya Rifles and also due to revision in Meat scales.

Taking into account the savings (` 3059 crore) in capital section, cash outgo on account of these supplementaries will be ` 356.72 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 23

रक्षा सेवाएं-नौसेना

DEFENCE SERVICES-NAVY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 6.81	...	6.81
	स्वीकृत:	Voted: 10782.25	...	10782.25
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 5.10	...	5.10
	स्वीकृत:	Voted: 800.01	...	800.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 752.76	...	752.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12346.93	...	12346.93
	भारित:	Charged: 11.91	...	11.91
	स्वीकृत:	Voted: 12335.02	...	12335.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना- भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2077 - रक्षा सेवाएं-नौ सेना	स्वीकृत: 2077 -Defence Services - Navy	Voted: ...	752.76	752.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन, मरम्मत और दुरुस्ती, जल दस्युता विरोधी और तटरक्षा प्रचालनों के तहत (` 752.76 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।

मांग सं. 26-रक्षा सेवाएं-अनुसंधान और विकास में उपलब्ध (` 238.86 करोड़) की बचतों के मद्देनजर, इसमें निवल ` 513.90 करोड़ का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure (` 752.76 crore) under salaries, repairs and refits, anti-piracy and coastal security operations.

Taking into account the savings (` 238.86 crore) available in Demand No. 26- Defence Services- Research & Development, there will be net cash outgo of ` 513.90 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 24

रक्षा सेवाएं-वायु सेना

DEFENCE SERVICES-AIR FORCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 15 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 15 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 2.14	...	2.14
	स्वीकृत:	Voted: 16518.73	...	16518.73
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 85.56	...	85.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 1.09	...	1.09
	स्वीकृत:	Voted: 149.24	...	149.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	16756.76	...	16756.76
	भारित:	Charged: 3.23	...	3.23
	स्वीकृत:	Voted: 16753.53	...	16753.53

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2078 - रक्षा सेवाएं-वायु सेना	भारित: 2078 - Defence Services - Air Force	Charged: ...	1.09 (का)	1.09
	स्वीकृत:	Voted: ...	149.24 (खb)	149.24
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	150.33	150.33
	भारित:	Charged: ...	1.09	1.09
	स्वीकृत:	Voted: ...	149.24	149.24

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के आदेशों के परिणामस्वरूप (1.09 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
- (ख) वेतन (15 करोड़), परिवहन (25.26 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (40.26 करोड़) तथा एयर इंडिया को वर्ष 2010-11 के दौरान वीवीआईपी यात्रा के लिए वायुयान की रख-रखाव लागत के तहत भुगतान (108.98 करोड़)। (26.46 करोड़) की अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए, इसमें निवल नकद व्यय (123.37 करोड़) होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (a) meeting additional expenditure (1.09 crore) arising out of Court orders.
- (b) meeting additional expenditure of 40.26 crore under salaries (15 crore), transportation (25.26 crore) and payment of 108.98 crore to Air India on account of maintenance cost of Aircraft for VVIP travel during 2010-11. Taking into account the additional receipts (26.46 crore), there will be net cash outgo of 123.37 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 25

रक्षा आयुध फैक्ट्रियां

DEFENCE ORDNANCE FACTORIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 20 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 3.00	...	3.00
	स्वीकृत:	Voted: 792.88	...	792.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.90	...	1.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 8.50	...	8.50
	स्वीकृत:	Voted: 858.93	...	858.93
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1665.21	...	1665.21
	भारित:	Charged: 13.40	...	13.40
	स्वीकृत:	Voted: 1651.81	...	1651.81

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2079 - रक्षा सेवाएं--आयुध कारखाने	भारित: 2079 - Defence Services - Ordnance Factories	Charged: ...	8.50 (का)	8.50
	स्वीकृत:	Voted: ...	858.93 (खb)	858.93
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	867.43	867.43
	भारित:	Charged: ...	8.50	8.50
	स्वीकृत:	Voted: ...	858.93	858.93

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (क) न्यायालय आदेशों के कारण अतिरिक्त व्यय (₹ 8.50 करोड़) की पूर्ति। (a) meeting additional expenditure (₹ 8.50 crore) arising out of Court orders.
- (ख) रक्षा आयुध कारखानों में समयोपरि भत्ता और उसके बकाया भुगतान से संबंधित (₹ 858.93 करोड़) के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। (b) meeting additional expenditure (₹ 858.93 crore) towards payment of OTA and arrears thereof in Defence Ordnance Factories.
- (₹ 49.17 करोड़) की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, ₹ 818.26 करोड़ का नगद व्यय होगा। Taking into account the additional receipts (₹ 49.17 crore), there will be a net cash outgo of ₹ 818.26 crore.

मांग संख्या DEMAND NO. 27

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 21 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	50.80	50.80
	स्वीकृत:	Voted: ...	69148.01	69148.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	4.00	4.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: ...	46.71	46.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	69249.52	69249.52
	भारित:	Charged: ...	101.51	101.51
	स्वीकृत:	Voted: ...	69148.01	69148.01

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना -	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित: 4076 - Capital Outlay on Defence Services	Charged: ...	46.71	46.71

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

न्यायालय आदेशों की वजह से अतिरिक्त व्यय (₹ 46.71 करोड़) की पूर्ति। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure (₹ 46.71 crore) arising out of Court orders. Taking into account the savings available in the voted section of the grant this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 29

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत:	Charged: 0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted: 1284.92	284.20	1569.12
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1285.06	284.20	1569.26
	भारत:	Charged: 0.10	...	0.10
	स्वीकृत:	Voted: 1284.96	284.20	1569.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	स्वीकृत: 3403 -Oceanographic Research	Voted: 0.01 (फा)	0.01 (खb)	0.02
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (i) 'सागर मंजूषा अनुसंधान यान' को चलाने की ईंधन लागत में वृद्धि और डाटा बॉय नेटवर्क अधिप्राप्ति और परिनियोजन के संबंध में भुगतान हेतु डाटा बॉय (₹ 16 करोड़), (ii) सुनामी और तूफानी ज्वार चेतावनी प्रणाली (टीएसएसडब्ल्यूएस), सुनामी चेतावनी केन्द्र की 24x7 प्रचालन के लिए बॉय सहित उपस्करों के परिनियोजन से संबंधित सुनामी और तूफानी ज्वार (₹ 16 करोड़) (iii) सागर निधि के ड्राईडॉकिंग जो कि तीन वर्ष में एक बार होता है, के लिए अनुसंधान यान सागर निधि की अधिप्राप्ति (₹ 8 करोड़) और (iv) आईएनसीओआईएस की प्रचालन आवश्यकता से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना प्रणाली केन्द्र (आईएनसीओआईएस) (₹ 0.65 करोड़)।

(ख) अन्य संविदा सेवाओं के लिए भारतीय पोत परिवहन निगम को 'प्रचालन अनुसंधान यान (₹ 12.30 करोड़) और समुद्री सजीव संसाधन और मात्स्यिकी समुद्री विज्ञान अनुसंधान (₹ 8.70 करोड़) के कार्यक्रमों के तहत भुगतान।

(ग) वायु-गुणवत्ता मॉनिटरिंग उपस्कर अधिप्राप्ति से संबंधित भारतीय उपष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) पुणे को कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

(a) providing Grants-in-Aid General under the programmes (i) Data Buoy for payment towards procurement, deployment of Data Buoy network and increase in the fuel cost of running 'Sagar Manjusha Research Vessel' (₹ 16 crore); (ii) Tsunami and Storm Surge Warning System (TSSWS) relating to deployment of equipments including buoys for 24x7 operation of Tsunami Warning Centre (₹ 16 crore); (iii) Acquisition of Research Vessel 'Sagar Nidhi' for dry docking of Sagar Nidhi which is normally done once in three years (₹ 8 crore); and (iv) Indian National Center for Ocean Information System (INCOIS) relating to operational requirement of INCOIS (₹ 0.65 crore).

(b) for making payment to Shipping Corporation of India for Other Contractual Services under the programmes 'Operation Research Vessel (₹ 12.30 crore); and Marine Living Resources & Fishery Oceanographic Research (₹ 8.70 crore).

(c) providing Grants-in-Aid General under the programme Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM), Pune relating to procurement of Air-quality Monitoring Equipment (₹ 10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 30

पर्यावरण और वन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2661.29	80.68	2741.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.05	42.00	42.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.13	...	0.13
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2661.49	122.68	2784.17
	भारित:	Charged: 0.13	...	0.13
	स्वीकृत:	Voted: 2661.36	122.68	2784.04

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	मिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	स्वीकृत: 2406 - Forestry and Wild Life	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3435 - पारिस्थितिकी और पर्यावरण	भारित: 3435 - Ecology and Environment	Charged: ...	0.13 (खb)	0.13
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	0.13	0.15
	भारित:	Charged: ...	0.13	0.13
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (₹ 3.37 करोड़), (ii) जैव विविधता संरक्षण एवं ग्रामीण आजीविका सुधार परियोजना-ईएपी (₹ 0.87 करोड़), के लिए सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) भारतीय प्राणीविज्ञान सर्वेक्षण के सम्बन्ध में कोर्ट डिक्री से सम्बन्धी व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम को पूरा करने हेतु (₹ 0.13 करोड़)। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद बहिर्वाह नहीं होगा।
- (ग) (i) पर्यावरण शिक्षा प्रशिक्षण स्कीम (₹ 0.75 करोड़), (ii) उत्कृष्टता केन्द्र (₹ 0.55 करोड़) (iii) जी.बी. पन्त हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान (₹ 0.50 करोड़) को सामान्य सहायता-अनुदान। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) Grants-in-aid General to (i) Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 3.37 crore), (ii) Bio-diversity Conservation and Rural Livelihood Improvement Project -EAP (₹ 0.87 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Recouping an advance obtained from Contingency Fund of India for meeting expenditure related to court decree in respect of Zoological Survey of India (₹ 0.13 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) Grants-in-aid General to (i) Environment Education Training Scheme (₹ 0.75 crore), (ii) Centres of Excellence (₹ 0.55 crore), and (iii) G.B. Pant Himalayan Institute of Environment & Development (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 31

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 6314.97	791.00	7105.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 198.54	500.00	698.54
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	100.00	100.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	6513.55	1391.00	7904.55
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 6513.52	1391.00	7904.52

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 -External Affairs	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7605 - विदेशी सरकारों को अग्रिम	स्वीकृत: 7605 - Advances to Foreign Governments	Voted: ...	100.00 (खब)	100.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	100.01	100.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) निम्नलिखित संस्थानों अर्थात् एकीकृत सेवा संस्थान (₹ 0.41 करोड़), अन्तर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी संघ (आईएफयूएनए) (₹ 0.10 करोड़) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, (आईसीसीआर) (₹ 19.00 करोड़) को सामान्य सहायता अनुदान।
- (ii) वीवीआईपी यात्रा के लिए एयर इण्डिया के विमानों की रख-रखाव लागत (₹ 78.54 करोड़)।
- एयर इण्डिया विमानों की रख-रखाव लागत हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत (₹ 41 करोड़) के अग्रिम की प्रतिपूर्ति पूरक अनुदान के संसद में पारित होने के बाद निधि को कर दी जाएगी। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचत (₹ 98.05 करोड़) को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई।
- (ख) मालदीव को उद्यत ऋण सुविधा। मालदीव को उद्यत ऋण सुविधा हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत (₹ 100.00 करोड़) की अग्रिम राशि की प्रतिपूर्ति संसद में पूरक अनुदान के पारित होने के बाद की जाएगी। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to the Institutions viz. United Service Institute (USI) (₹ 0.41 crore), International Federation of United Nations Agencies (IFUNA) (₹ 0.10 crore) and Indian Council of Cultural Relations (ICCR) (₹ 19.00 crore).
- (ii) maintenance cost of aircrafts of Air India exclusively meant for VVIP travel (₹ 78.54 crore).
- An advance (₹ 41 crore) sanctioned from Contingency Fund of India for maintenance cost of aircrafts of Air India shall be recouped to the Fund after the Supplementary Grant is passed in the Parliament. Taking into account savings (₹ 98.05 crore) available within the same Section of Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Standby Credit Facility to Maldives. An advance of ₹ 100.00 crore sanctioned from Contingency Fund of India for Standby Credit Facility to Maldives shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed in the Parliament. This will entail net cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 32

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 32 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	6948.66	14683.56	21632.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1121.94	11120.61	12242.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	8070.63	25804.18	33874.81

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2047 - अन्य राजकोषीय सेवाएं	स्वीकृत: 2047 -Other Fiscal Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
3054 - सड़क और पुल जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5466 - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5466 - Investments in International Financial Institutions	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.03	0.04

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3054 - सड़क और पुल	3054 - Roads and Bridges	(-) 18.93	...	(-) 18.93

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) समाचार पत्र-पत्रिकाओं में विविध बचत योजनाओं (₹ 1.50 करोड़) के सम्बन्ध में एक प्रचार अभियान चलाना और राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) के सम्बन्ध में प्राधिकृत एजेंट प्रसियां (एएआपीज), पुस्तकों तथा महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना (एमपीकेबीवाई) कार्डों (₹ 1.02 करोड़) को छापना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

(a) Conducting publicity campaign through print media in respect of various Small Savings Schemes (₹ 1.50 crore) and for printing of Authorised Agent Receipts (AARs) books and Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojna (MPKBY) cards (₹ 1.02 crore) in respect of National Savings Institute (NSI). After taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (ख) | प्रतिभूति अपीलीय अभिकरण (एसएटी) को वेतनों के संबंध में (₹ 0.56 करोड़) का अतिरिक्त प्रावधान मुहैया कराना, चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। | (b) | Providing additional provision towards "Salaries" (₹ 0.56 crore) to the Security Appellate Tribunal (SAT). As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ग) | केंद्रीय सड़क कोष को (₹ 18.93 करोड़) के डीजल उपकर के अतिरिक्त संग्रहण का अन्तरण और रेल सुरक्षा कार्यों के लिए (₹ 18.93 करोड़) की अतिरिक्त राशि जारी करना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। | (c) | Transferring an additional collection of diesel cess of ₹ 18.93 crore to Central Road Fund and towards releasing additional sum of ₹ 18.93 crore for Railway Safety Works. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (घ) | पुनर्निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विविध अन्तर्राष्ट्रीय बैंको- जनरल कैपिटल इन्फ्रीज (जीसीआई)(₹ 12.85 करोड़); समेकित कैपिटल इन्फ्रीज (एससीआई)(₹ 10.14 करोड़); को अतिरिक्त निधिया मुहैया करना तथा विनिमय दरों की घट-बढ़ के कारण एशियाई विकास बैंक (एडीबी) को अंशदान (₹ 5.68 करोड़); चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। | (d) | Providing additional funds to International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) towards General Capital Increase (GCI) (₹ 12.85 crore) and Selective Capital Increase (SCI) (₹ 10.14 crore), and subscription to Asian Development Bank (ADB) (₹ 5.68 crore) due to exchange rate fluctuations. As savings are available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought. |

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33, वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012, page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 28 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	15891.94	7814.00	23705.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	500.01	0.02	500.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	6497.42	6497.43
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 16391.96	14311.44	30703.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4416 - कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 4416 - Investments in Agricultural Financial Institutions	Voted: 402.42 (खब)	...	402.42
5465 - सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	स्वीकृत: 5465 - Investments in General Financial and Trading Institutions	Voted: 6095.00 (गक)	...	6095.00
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 6497.42	...	6497.42
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 6497.42	0.01	6497.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी तथा ग्रामीण लोगों के लिए जनश्री बीमा योजना के लिए अनुरक्षित सामाजिक सुरक्षा निधि के लिए (₹ 100 करोड़) की राशि मुहैया कराना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक मांग की गयी है।
- (ख) राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) को अपना पूंजीगत आधार बढ़ाने के लिए ₹ 1000.00 करोड़ की राशि का अभिदान। इस प्रयोजन के लिए यह कहते हुए कि, अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, 2011-12 के अनुदानों की पहली पूरक मांगों में सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था। सांकेतिक मांग की गई थी, तथापि इस भाग के तहत केवल (₹ 597.57 करोड़) ही उपलब्ध कराए गए और (₹ 402.42 करोड़) की राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान के राजस्व भाग से अभ्यर्पित समतुल्य राशि से की जाएगी। इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) Providing an amount (₹ 100 crore) to the corpus of Social Security Fund maintained by Life Insurance Corporation of India for Janashree Bima Yojana to provide life insurance protection to the rural and urban persons living below poverty line. As savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Subscribing (₹ 1000.00 crore) to the share capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to augment its capital base. For this purpose, a token supplementary was obtained in the First Supplementary Demands for Grants 2011-12 stating that the savings are available within the same Section of the Grant. However, savings of only ₹ 597.57 crore could be made available under this Section and ₹ 402.42 crore would be matched by equivalent amount surrendered from the Revenue Section of the Grant. This will not entail any additional cash outgo.

- (ग) (i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनः पूंजीकरण के लिए ` 6000 करोड़ की अतिरिक्त राशि मुहैया कराना। अनुदान के राजस्व भाग में ` 6000 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ii) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को प्रदत्त इक्विटी पूंजी के तौर पर ` 95 करोड़ की राशि मुहैया कराना। अनुदान के राजस्व भाग में यथा उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की शेयर पूंजी में अपने पूंजी आधार के संवर्धन हेतु 199.99 करोड़ की राशि के अभिदान हेतु। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (c) (i) Providing an additional amount of ` 6000 crore towards recapitalization of Public Sector Banks. After taking into account the surrender of savings of ` 6000 crore available in the Revenue Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.
- (ii) Providing an amount of ` 95 crore to Life Insurance Corporation of India (LIC) as paid up equity capital. After taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.
- Subscribing an amount of ` 199.99 crore to the share capital of the National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) to augment its capital base. After taking into account surrender of savings available in the Revenue Section of the grant, this will not entail any additional cash outgo.

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित:	Charged: 272330.28	...	272330.28
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 11904.32	...	11904.32
जोड़ (मूल और पूरक)	भारित: Total (Original plus Supplementary)	Charged. 284234.60	...	284234.60

II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049 - ब्याज भुगतान	भारित: 2049 - Interest Payments	Charged: ...	11904.32	11904.32

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार ऋण (₹ 6323.75 करोड़), नकद प्रबंधन बिलों पर बट्टा (₹ 1010.88 करोड़), 91 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां (₹ 3734.26 करोड़), 182 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियां (₹ 2026.10), 364 दिवसीय राजकोषीय हुण्डियों पर बट्टा (₹ 3090.83 करोड़) और अर्थापय अग्रिम (₹ 1258.50 करोड़), राज्य भविष्य निधियां (₹ 412.36 करोड़), गैर-सरकारी मविष्य निधियों को विशेष जमाराशियां (₹ 101.87 करोड़), विदेशी ऋण (₹ 35.73 करोड़) और पीएलआई को जारी प्रतिभूतियां (₹ 562.80 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के संबंध में।

(₹ 6652.76 करोड़) की बचतों और ₹ 4272.79 करोड़ की उपचित ब्याज की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इस पूरक में (₹ 7631.53 करोड़) का नगद व्यय होगा।

The supplementary appropriation is required for:

meeting additional expenditure under Market loans (₹ 6323.75 crore), Discount on Cash Management Bills (₹ 1010.88 crore), 91 days Treasury Bills (₹ 3734.26 crore), 182 days Treasury Bills (₹ 2026.10 crore), Discount on 364 days Treasury Bills (₹ 3090.83 crore), Ways and Means Advance (₹ 1258.50 crore), State Provident Funds (₹ 412.36 crore), Special Deposits of Non-Government Provident Funds (₹ 101.87 crore), External Debt (₹ 35.73 crore) and Securities issued to PLI (₹ 562.80 crore).

After taking into account the savings (₹ 6652.76 crore) and additional receipts of accrued interest amounting to ₹ 4272.79 crore, this supplementary will entail cash outgo of ₹ 7631.53 crore.

TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 35 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012, page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 49298.62	...	49298.62
	स्वीकृत:	Voted: 89348.61	10000.00	99348.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	13000.00	13000.00
	स्वीकृत:	Voted: 1500.01	...	1500.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 555.00	...	555.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	140702.24	23000.00	163702.24
	भारित:	Charged: 49298.62	13000.00	62298.62
	स्वीकृत:	Voted: 91403.62	10000.00	101403.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2075 -Miscellaneous General Services	Voted: ...	555.00	555.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त मंत्रालय को छोड़ कर शेष अन्य मंत्रालयों के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए राज्य सरकारों को ऋण राहत प्रदान करना। इसमें कोई नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि व्यय की पूर्ति प्राप्ति से की जाएगी।

The supplementary grant is required for:

providing debt relief to State Governments for Centrally Sponsored Schemes and Central Plan Schemes through Ministries other than Ministry of Finance as per the recommendations of 13th Finance Commission. There will be no cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

संख्या NO. 37 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापस अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 37 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	भारित: Charged: ...		3155216.93	3155216.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित: Charged: ...		369496.27	369496.27
जोड़ (मूल और पूरक)	भारित: Total (Original plus Supplementary)		3524713.20	3524713.20
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001 - केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	भारित: 6001 - Internal Debt of Central Government	Charged: ...	367950.72 (का)	367950.72
6002 - विदेशी ऋण	भारित: 6002 - External Debt	Charged: ...	1545.55 (खb)	1545.55
जोड़ (पूरक)	भारित: Total (Supplementary)	Charged: ...	369496.27	369496.27

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) 91 दिवसों की राजकोषीय हुंडियों का डिस्चार्ज (₹ 82766.79 करोड़), 182 दिवसों की राजकोषीय हुंडियां (₹ 13005.55 करोड़) अर्थापाय अग्रिम (₹ 585943 करोड़), नगद प्रबंधन हुंडियां (₹ 73000 करोड़ रुपए), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), वित्तीय अंतरण योजना (एफटीपी) (₹ 2592.86 करोड़), एशियाई विकास बैंक (₹ 9.80 करोड़), अफ्रीकी विकास निधि (₹ 1.82 करोड़), 9% राहत बॉन्ड, 1987 (₹ 1.58 करोड़), 10% राहत बॉन्ड, 1993 (₹ 0.09 करोड़), 9% राहत बॉन्ड, 1993 (₹ 0.57 करोड़), 10% राहत बॉन्ड, 1995 (₹ 2.40 करोड़), 9% राहत बॉन्ड, 1999 (₹ 112.45 करोड़), 8.50% राहत बॉन्ड, 2001 (₹ 23.07 करोड़), 8% राहत बॉन्ड, 2002 (₹ 27.64 करोड़ रुपए), 7% बचत योजना, 2002 (₹ 8.16 करोड़), 6.50% बचत बॉन्ड, 2003 (गैर-कर योग्य), बॉन्ड, 2003 (₹ 163.25 करोड़) और राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का उन्मोचन (₹ 900 करोड़)।

(ख) बाह्य ऋण के भुगतान हेतु।
चूंकि विनियोग के तहत (₹ 398740.67 करोड़) की बचत उपलब्ध है, अतः शेष राशि हेतु पूरक मांग की गई है। इसमें नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि प्राप्तियों द्वारा व्यय को मिला दिया गया है।

The supplementary appropriations are required for:

(a) Discharge of 91 days Treasury Bills (₹ 82766.79 crore), 182 days Treasury Bills (₹ 13005.55 crore), Ways and Means Advances (₹ 585943 crore), Cash Management Bills (₹ 73000 crore), International Monetary Fund (IMF) –Financial Transaction Plan (FTP) (₹ 2592.86 crore), Asian Development Bank (₹ 9.80 crore), African Development Fund (₹ 1.82 crore), 9% Relief Bond, 1987 (₹ 1.58 crore), 10% Relief Bonds, 1993 (₹ 0.09 crore), 9% Relief Bonds, 1993 (₹ 0.57 crore), 10% Relief Bonds, 1995 (₹ 2.40 crore), 9% Relief Bonds, 1999 (₹ 112.45 crore), 8.50% Relief Bonds, 2001 (₹ 23.07 crore) 8% Relief Bonds, 2002 (₹ 27.64 crore), 7% Savings Scheme, 2002 (₹ 8.16 crore), 6.50% Savings Bonds, 2003 (Non-Taxable) (₹ 32.36 crore), 8% Savings (Taxable) Bonds, 2003 (₹ 163.25 crore) and redemption of securities issued to National Small Savings Fund (NSSF) (₹ 9000 crore).

(b) Repayment of External Debt.
As savings of ₹ 398740.67 crore is available within the Appropriation, supplementary for the balance amount is sought. There will be no cash outgo as the expenditure will be matched by receipts.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 31 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 99.97	2.00	101.97
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 18.42	...	18.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 9.07	...	9.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 127.46	2.00	129.46

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना -	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	0.67 (क)	0.67
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	8.40 (ख)	8.40
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	9.07	9.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) महालेखा नियंत्रक के कार्यालय के नए आवास से सम्बद्ध संविदात्मक स्टाफ तथा व्यय का भुगतान करने हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। इसमें नकद व्यय होगा।

(ख) नई पेंशन योजना हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवा प्रभारों के भुगतान हेतु ₹ 8.95 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 0.55 करोड़ की बचतों और अनुदान के पूंजी भाग में ₹ 0.97 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपर्युक्त में ₹ 7.43 करोड़ का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional expenditure towards making payment to contractual staff and expenses related to new accommodation of Office of Controller General of Accounts. This will entail cash outgo.

(b) Meeting the additional expenditure (₹ 8.95 crore) towards payment of service charges to National Security Depository Limited(NSDL) for the New Pension Scheme. After taking into account the savings (₹ 0.55 crore) available in the same Section of the Grant and surrender of savings (₹ 0.97 crore) in the Capital Section of the Grant, the above will entail net cash outgo(₹ 7.43 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 40

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 74.52	...	74.52
	स्वीकृत:	Voted: 2314.36	9.68	2324.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 25.00	...	25.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 4.01	...	4.01
	स्वीकृत:	Voted: 13.08	...	13.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2430.97	9.68	2440.65
	भारित:	Charged: 78.53	...	78.53
	स्वीकृत:	Voted: 2352.44	9.68	2362.12

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016 - लेखा परीक्षा	भारित: 2016 - Audit	Charged: ...	4.01	4.01
	स्वीकृत:	Voted: ...	13.08	13.08
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	17.09	17.09
	भारित:	Charged: ...	4.01	4.01
	स्वीकृत:	Voted: ...	13.08	13.08

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग		REVENUE SECTION		
2016 - लेखा परीक्षा	2016 - Audit	...	(-) 1.85	(-) 1.85

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त वेतन और संस्थापन संबंधी व्यय (₹ 17.09) करोड़ की पूर्ति हेतु। पूंजी भाग से (₹ 5.68 करोड़) की बचतों के अभ्यर्पण और अतिरिक्त वसूलियों के (₹ 1.85 करोड़) को ध्यान में रखते हुए इसमें (₹ 9.56 करोड़) का नगद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

Meeting additional salary and establishment related expenditure (₹ 17.09 crore). After taking into account the surrender of savings (₹ 5.68 crore) from Capital Section and additional recoveries (₹ 1.85 crore), this will entail cash outgo (₹ 9.56 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 42

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	स्वीकृत: Supplementary Estimate of the amount now required:	Voted: 2975.85	905.70	3881.55
	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 15.72	...	15.72
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 2991.57	905.70	3897.27
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020 - आय और व्यय पर करों का संग्रहण	स्वीकृत: 2020 -Collection of Taxes on Income and Expenditure	Voted: ...	15.33 (का)	15.33
2031 - संपदा शुल्क, संपत्ति, उपहार और सुरक्षा संबंधी लेन-देन पर करों का संग्रहण	स्वीकृत: 2031 -Collection of Estate Duty, Taxes on Wealth, Gift and Security Transaction	Voted: ...	0.39 (खb)	0.39
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	15.72	15.72

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) आयकर विभाग में कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी) के तहत स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 15.33 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन-देन कर और अन्य करों के संग्रहण के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.39 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional establishment related expenditure (₹ 15.33 crore) under Office Expenses (Information Technology) in respect of Income Tax Department. After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

(b) Meeting additional expenditure (₹ 0.39 crore) for collection of Wealth Tax, Security Transaction Tax and Other Taxes. After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 43

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012).

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	3250.84	127.55	3378.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	7.50	...	7.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		3258.84	127.55	3386.39
	भारित:	Charged:	0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted:	3258.34	127.55	3385.89
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:					
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:					
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2037 - सीमा शुल्क	स्वीकृत: 2037 -Customs	Voted:	...	3.06 (का)	3.06
2038 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	स्वीकृत: 2038 -Union Excise Duties	Voted:	...	4.44 (खb)	4.44
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted:	...	7.50	7.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) सीमा शुल्क कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (₹ 3.06 करोड़) यथा -मजदूरी (₹ 0.06 करोड़ रुपए), किराया, दर और कर (₹ 2.13 करोड़ रुपए), गुप्त सेवा व्यय (₹ 0.47 करोड़) और विदेश स्थित मिशन (₹ 0.40 करोड़) की पूर्ति हेतु। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालयों के स्थापना सम्बन्धी अतिरिक्त व्यय (₹ 5.14 करोड़) यथा, व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.62 करोड़), पुरस्कार (₹ 2.27 करोड़), मजदूरी (₹ 0.35 करोड़), घरेलू यात्रा व्यय (₹ 1.55 करोड़) और सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 3.30 करोड़) की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध (₹ 0.70 करोड़) की बचतों और अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 4.44 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

(a) Meeting additional establishment related expenditure (₹ 3.06 crore) of Customs Offices viz., Wages (₹ 0.06 crore), Rent, Rates and Taxes (₹ 2.13 crore), Secret Service Expenses (₹ 0.47 crore) and Mission Abroad (₹ 0.40 crore). After taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

(b) Meeting additional establishment related expenditure (₹ 5.14 crore) of Central Excise Offices towards Professional Services (₹ 0.62 crore), Rewards (₹ 2.27 crore), Wages (₹ 0.35 crore), Domestic Travel Expenses (₹ 1.55 crore) and Information Technology (₹ 0.30 crore). After taking into account the savings (₹ 0.70 crore) available in the same Section of the Grant and surrendering of savings (₹ 4.44 crore) available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 34 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 514.58	95.51	610.09
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 95.51	...	95.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 610.11	95.51	705.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	स्वीकृत: 2408 -Food Storage and Warehousing	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रौद्योगिकी उन्नयन/संस्थापन/आधुनिकीकरण योजना के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 39.99 करोड़)।
- (ii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत अतिरिक्त व्यय (₹ 0.30 करोड़)
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र अवसंरचना विकास हेतु अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 9.89 करोड़)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure under the Scheme for Technology Up-gradation/ Establishment/ Modernisation of Food Processing Industries (₹ 39.99 crore).
- (ii) meeting additional expenditure under professional services (₹ 0.30 crore).
- (b) meeting additional expenditure for Infrastructure Development of North Eastern Region (₹ 9.89 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementaries are sought.

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27-29 देखिये और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 35-36 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 27-29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 35-36 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	26912.25	1989.08	28901.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.11	0.03	0.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	0.02	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 26912.38	1989.13	28901.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना	आयोजना -	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
4216 - आवास पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: 0.01 (घd)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) ओवर साइट कमेटी के अनुसार उच्च शिक्षण के लिए संस्थाओं को सामान्य सहायता अनुदान (` 10.21 करोड़)
- (ii) वल्लभ भाई स्नातकोत्तर पटेल चैस्ट संस्थान, नई दिल्ली (` 2.00 करोड़) तथा कस्तूरबा स्वास्थ्य समिति; वर्धा (` 5.00 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु।
- (iii) क्षेत्रीय स्नातकोत्तर केंद्र, जिपमर, पुदुचेरी के लिए वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान (` 7.23 करोड़) ।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के लिए वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान (` 4.00 करोड़) ।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ग) बी. सी. जी. वैक्सीन लेबोरेट्री, गुन्डी, चैन्नई:- चालू वस्तु विनिर्माता प्रक्रिया व्यवहार (सीजीएमपी) के अनुपालन हेतु प्रयोगशाला के नवीकरण के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (` 14.35 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General to Institutions for Higher Learning as per Oversight Committee (` 10.21 crore).
- (ii) Grants for creation of capital assets to 'Vallabh Bhai Patel Chest Institute, New Delhi' (` 2.00 crore) and 'Kasturba Health Society, Wardha' (` 5.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid-Salaries to Regional Post Graduate Centre, JIPMER, Puducherry (` 7.23 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid Salaries to 'All India Institute of Medical Sciences, New Delhi' (` 4.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) B.C.G Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai:- For meeting additional expenditure on revival of the laboratory to make it current Good Manufacturing Practice (CGMP) compliant (` 14.35 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) मनोचिकित्सा संस्थान, रांची:- आवासीय भवनों से सम्बन्धित प्रमुख खर्चों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 1.24 करोड़)।	(d) Central Institute of Psychiatry, Ranchi :- For meeting additional expenditure on Major Works towards construction of residential building (₹ 1.24 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी विभाग (आयुष)

DEPARTMENT OF AYURVEDA, YOGA & NATUROPATHY, UNANI, SIDHHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30-31 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 30-31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1064.00	24.00	1088.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.05	...	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	0.40	0.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1064.08	24.40	1088.48
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	Voted: 0.02	0.01	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	Voted: 0.40 (घd)	...	0.40
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	Voted: 0.42	0.01	0.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (1) केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद, नई दिल्ली को कार्यशालाओं के आयोजन के लिए स्कीम अनुदान के तहत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.20 करोड़)।
- (2) स्थानीय स्वास्थ्य परम्पराओं/मिडवाइफरी प्राक्टिसों/पशुचर्या आदि के पुनर्नवीकरण हेतु एनजीओ के वित्तपोषण की स्कीम के तहत अतिरिक्त जरूरतों की भरपाई के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.15 करोड़)।
- (3) औषधीय पादपों के राष्ट्रीय मिशन स्कीम के तहत अतिरिक्त व्यय जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 3.00 करोड़)।
- (4) आयुर्वेद में शोध तथा अनुसंधान वर्षों के लिए केंद्रीय परिषद के प्रमुख कार्यों के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 12.73 करोड़)।
- (5) वेतन सम्बन्धी देयताओं को पूरा करने के लिए आयुर्वेद में शोध तथा अनुसंधान कार्यों को 'केन्द्रीय परिषद' का सहायता अनुदान (₹ 1.94 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (1) Grants-in-aid General under the scheme 'Grants to Central Council of Homoeopathy, New Delhi', for conducting workshops (₹ 0.20 crore).
- (2) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme 'Funding of NGOs for revitalization of Local Health Traditions/ Midwifery Practices/ Veterinary Care etc.' (₹ 0.15 crore).
- (3) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme 'National Mission on Medicinal Plants' (₹ 3.00 crore).
- (4) Grants for creation of capital assets to 'Central Council for Research in Ayurvedic Sciences' for undertaking Capital Works (₹ 12.73 crore).
- (5) Grants-in-aid Salaries to 'Central Council for Research in Ayurvedic Sciences' for meeting the salary liability (₹ 1.94 crore).

(6) सीआरयूआईएम, लखनऊ और यूनानी दवा के क्षेत्रीय अनुसंधान संस्थान, पटना और भद्रक के भवनों के निर्माण के लिए केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग/राष्ट्रीय परियोजना निर्माण कंपनी को यूनानी मेडीसन (सीआरआईयूएम) में अनुसंधान हेतु केन्द्रीय परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 15.52 करोड़)।	(6) Grants for creation of capital assets to 'Central Council for Research in Unani Medicine (CRIUM) for payment to the Central Public Works Department/ National Project Construction Company for construction of buildings of CRIUM, Lucknow and Regional Research Institute of Unani Medicine, Patna & Bhadrak (` 15.52 crore).
(7) निदान अनुभाग के निर्माण के लिए 'राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान को पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 1.40 करोड़)।	(7) Grants for creation of capital assets to 'National Institute of Naturopathy, Pune' for construction of Treatment Section (` 1.40 crores).
(8) 'मोरार जी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्कीम के तहत देश भर में 100 जिलों में 100 स्वामी विवेकानन्द जिला योग आरोग्य केंद्रों के लिए अनुदान-सहायता (` 1.67 करोड़)।	(8) Grants-in-aid General under the scheme 'Morarji Desai National Institute of Yoga' for 100 Swami Vivekananda District Yoga Wellness Centres established in 100 districts of the country (` 1.67 crore).
(9) 'राष्ट्रीय सिद्ध केंद्र, चेन्नई' को वेतन हेतु सहायता अनुदान (` 1.30 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	(9) Grants-in-aid Salaries to 'National Institute of Siddha, Chennai' for meeting the salary liability (` 1.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) 'होम्योपैथी इलेक्शन की केंद्रीय परिषद' स्कीम के तहत 14 राज्यों में होम्योपैथी इलेक्शन कराने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	(b) Grants-in-aid General under the scheme 'Central Council of Homoeopathy Election' for holding Central Council Homoeopathy election in 14 States (` 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) औषधीय पादपों के राष्ट्रीय मिशन के तहत पूर्वोत्तर राज्यों में अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 2.00 करोड़)।	(c) (i) Grants-in-aid General under the scheme 'National Mission on Medicinal Plants' for meeting additional requirement in North-Eastern Areas (` 2.00 crore).
(ii) आयुष अस्पतालों/औषधालयों के विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष को मुख्यधारा से जोड़ने की स्कीम के तहत वहां 50/10 विस्तारों वाले अस्पतालों आस्तियों के सृजन हेतु सामान्य सहायता अनुदान (` 2.78 करोड़)।	(ii) Grants-in-aid General under the scheme 'Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH' for setting up of 50/10 bedded hospitals in North-Eastern Areas (` 2.78 crore).
(iii) आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयुष को मुख्यधारा से जोड़ने की स्कीम के तहत वहां 50/10 विस्तारों वाले अस्पतालों की स्थापना के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 9.33 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	(iii) Grants for creation of capital assets under the scheme 'Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH' for setting up of 50/10 bedded hospitals in North-Eastern Areas (` 9.33 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) फार्माकोपोइया लैबोरेट्री आफ इंडियन मेडिसिन, गाजियाबाद स्कीम के तहत अतिथि गृह के निर्माण की अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग को किए जाने वाले भुगतान के लिए (` 0.40 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर उर्पयुक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d) For meeting the additional requirement under the scheme 'Pharmacopoeia Laboratory of Indian Medicine, Ghaziabad' for making the payment to Central Public Works Department for construction of Guest House (` 0.40 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

मांग संख्या DEMAND NO. 48

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 32 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 32 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 771.00	...	771.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 771.05	...	771.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 - Medical and Public Health	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् दिल्ली' को मुख्य अनुसंधान परियोजनाओं (प्राकार बाह्य और प्राकार अंतरंग दोनों) डायबिटीज और प्रजायी व बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) व आप्ठिक औषध हेतु अन्य निर्णायक परियोजनाओं सहित चाटक कार्यकलापों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 48.26)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General to 'Indian Council of Medical Research, New Delhi' for ongoing activities involving key research projects (both extramural & intramural) and other crucial projects for Diabetes and Reproductive & Child Health (RCH) as well as the molecular medicine (₹ 48.26 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 39 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 415.75	439.90	855.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.33	0.02	0.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.64	...	0.64
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 416.72	439.92	856.64

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	0.64	0.64

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आवश्यक समायोजन अर्थात् वर्ष 2011-12 के लिए एण्ड्रू यूल एंड कम्पनी लि. संबंधी गारंटी शुल्क की माफी हेतु (` 0.64 करोड़), और
- (ख) हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड को छठे-केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण कम्पनी के पूर्व-कर्मचारियों की पेंशन और बकाया पेंशन संवितरण से संबंधित सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता हेतु (` 2.12 करोड़) ।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) for carrying out necessary adjustment viz. waiver of guarantee fee in respect of Andrew Yule & Company Ltd.(` 0.64 Crore) for 2011-12, and
- (b) additional requirement as Grants-in-aid (` 2.12 Crore) to Hindustan Salts Limited towards disbursement of pension and arrears of pension of ex-employees of the company on account of implementation of 6th CPC Report.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 52

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 40 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 4921.54	28.85	4950.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	24.60	24.63
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 4921.61	53.45	4975.06

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		Plan	Non-Plan	Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 - Secretariat-General Services	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 - Other Administrative Services	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: 1.00 (घd)	23.51 (डेe)	24.51
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4070 - Capital Outlay on Other Administrative Services	Voted: ...	0.09 (चf)	0.09
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 1.00	23.60	24.60
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1.01	23.62	24.63

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) आतंकवाद के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए विज्ञापन प्रकाशन पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 4.43 करोड़)।	(a) (i) meeting additional expenditure on publishing advertisements for campaigning against terrorism (₹ 4.43 crore)
(ii) विभिन्न पुरस्कारों पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 3.56 करोड़)।	(ii) meeting additional expenditure on various awards (₹ 3.56 crore).
(iii) गृह मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी (मशीनरी और उपस्कर) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 2.00 करोड़)।	(iii) meeting additional expenditure on Information Technology (Machinery and Equipment) of Ministry of Home Affairs (₹ 2.00 crore).
(ख) असैन्य रक्षा में पूर्ण सुधार के तहत मध्यावधि मूल्यांकन पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 0.30 करोड़)।	(b) meeting additional expenditure on mid term evaluation under Revamping of Civil Defence (₹ 0.30 crore).
(ग) (i) गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण के संदर्भ में अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 0.67 करोड़)।	(c) (i) meeting additional expenditure in respect of Unlawful Activities (Prevention) Tribunal (₹ 0.67 crore).
(ii) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज (₹ 0.01 करोड़), पुलिस मेडल (₹ 0.22 करोड़) और 1965 के संघर्ष के दौरान और पश्चात पाकिस्तान द्वारा जब्त संपत्ति के लिए भारतीय नागरिकों को अनुग्रह भुगतान (₹ 0.09 करोड़) देने पर होने वाले व्यय की पूर्ति।	(ii) meeting expenditure on National Civil Defence College (₹ 0.01 crore), Police Medal (₹ 0.22 crore) and ex-gratia payment to Indian Nationals for properties seized by Pakistan during and after 1965 Conflicts (₹ 0.09 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>(iii) न्यायमूर्ति तरुण चटर्जी आयोग को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (` 0.05 करोड़)।</p> <p>(iv) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज की व्यावसायिक सेवाओं के तहत व्यय की पूर्ति (` 0.01 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए उक्त (क), (ख) और (ग) की मदों के सम्बद्ध में प्रत्येक मामले में सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।</p> <p>(घ) मानव अधिकार भवन के निर्माण पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।</p> <p>(ङ) (i) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (` 1.00 करोड़)।</p> <p>(ii) नेशनल फायर सर्विस कॉलेज पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (` 22.51 करोड़)।</p> <p>(च) नेशनल सिविल डिफेंस कॉलेज के मशीनरी और उपस्कर के तहत होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति।</p> <p>अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, (घ), (ङ) और (च) पर उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(iii) providing additional Grants-in-aid General to Justice Tarun Chatterjee Commission (` 0.05 crore).</p> <p>(iv) meeting expenditure under Professional Services of National Fire Service College (` 0.01 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case in respect of items at (a), (b) and (c) above.</p> <p>(d) meeting additional expenditure on construction of Manav Adhikar Bhawan.</p> <p>(e) (i) meeting additional expenditure on National Civil Defence College (` 1.00 crore).</p> <p>(ii) meeting additional expenditure on National Fire Service College (` 22.51 crore).</p> <p>(f) meeting additional expenditure on Machinery and Equipment of National Civil Defence College.</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure at (d), (e) and (f) will not entail any additional cash outgo.</p>
---	--

मांग संख्या DEMAND NO. 53

मंत्रिमंडल

CABINET

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 53 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 41 देखिये)

(See page 53 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 41 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत:	Charged: 0.62	...	0.62
	स्वीकृत:	Voted: 329.92	104.07	433.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 469.40	82.18	551.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 190.69	...	190.69
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	990.63	186.25	1176.88
	भारत:	Charged: 0.62	...	0.62
	स्वीकृत:	Voted: 990.01	186.25	1176.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2013 - मंत्री परिषद	स्वीकृत: 2013 -Council of Ministers	Voted: ...	190.69	190.69

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) केन्द्रीय मंत्रियों के अन्तर्गत विदेश यात्रा व्यय के तहत लम्बित बिलों के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 8.65 करोड़) और वीवीआईपी यात्रा हेतु उपयोग में आने वाले वायुयान के रख-रखाव लागत के भुगतान हेतु (₹ 181.64 करोड़)। वायुयानों की रख-रखाव लागत के भुगतान के प्रयोजन से भारत की आकस्मिकता निधि में से ₹ 90.00 करोड़ की अग्रिम की राशि मंजूर की गई थी। संसद द्वारा पूरक मांग की स्वीकृति के बाद यह राशि शेष में वापस दी जाएगी।
- (ii) वर्ष 2009-10 तथा 2011-12 के लिए सब्सिडी दावा हेतु उत्तरी रेलवे केटरिंग यूनिट को पुनः प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (₹ 0.40 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

- (i) meeting additional expenditure on Foreign Travel Expenses for clearing pending bills under Cabinet Ministers (₹ 8.65 crore) and for payment of maintenance cost of aircraft utilized for VVIP travel (₹ 181.64 crore). An advance of ₹ 90.00 crore sanctioned from Contingency Fund of India for the purpose of payment of maintenance cost of aircraft shall be recouped to the Fund after the supplementary grant is passed in the Parliament.
- (ii) providing Grants-in-aid-General for re-imbusement to the Northern Railway Catering Unit for the subsidy claim for the year 2009-10 and 2011-12 (₹ 0.40 crore).

The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 54

पुलिस

POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36-37 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 42-43 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 36-37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 42-43 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 4.41	8.10	12.51
	स्वीकृत:	Voted: 31543.06	8464.42	40007.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 2.80	0.01	2.81
	स्वीकृत:	Voted: 3259.48	0.03	3259.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.50	...	0.50
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.02	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	34810.27	8472.58	43282.85
	भारित:	Charged: 7.71	8.11	15.82
	स्वीकृत:	Voted: 34802.56	8464.47	43267.03

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	भारित: 2055 - Police	Charged: ...	0.50 (का)	0.50
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खb)	0.01 (गc)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.51	0.52
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055 - पुलिस पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4055 - Capital Outlay on Police	Voted: 0.01 (घd)	0.01 (ङe)	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.02	0.52	0.54
	भारित:	Charged: ...	0.50	0.50
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.02	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
अनुदान के राजस्व स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी को पेट्रोल, स्नेहक तथा तेल (0.25 करोड़), लघु निर्माण कार्य (1.99 करोड़) तथा सूचना और प्रौद्योगिकी (मशीनरी तथा उपस्कर) (0.10 करोड़) के व्यय की पूर्ति हेतु।
(ii) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल को सूचना प्रौद्योगिकी (मशीनरी तथा उपस्कर) के व्यय की पूर्ति हेतु (0.08 करोड़)।

The supplementary grant/appropriation are required for:

- (a) for meeting additional expenditure on Salaries of Central Reserve Police Force (CRPF).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) (i) for meeting expenditure of North Eastern Police Academy on Petrol, Lubricant and Oil (0.25 crore), Minor Works (1.99 crore) and Information Technology (Machinery and Equipment) (0.10 crore).
(ii) for meeting expenditure of Central Detective Training School on Information Technology (Machinery and Equipment) (0.08 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, पूरक अनुदान मांगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ग)	(i) केन्द्रीय औद्योगिक बल के शस्त्र और गोला बारूद (` 32.10 करोड़), स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (` 0.15 करोड़), राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (` 11.37 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।	(c)	(i) for meeting expenditure on Arms and Ammunition of Central Industrial Force (` 32.10 crore), Narcotics Control Bureau (` 0.15 crore), National Security Guard (` 11.37 crore).
	(ii) असम राइफल की व्यावसायिक सेवाओं (` 0.84 करोड़), आप्रवासन ब्यूरो (` 0.25 करोड़), चुनाव कार्यों हेतु बलों के नियोजन पर लम्बित दावों के निपटान सम्बन्धी भुगतान (` 2.00 करोड़) और सीमा जांच चौकियों (` 3.00 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।		(ii) for meeting expenditure on Professional Services of Assam Rifles (` 0.84 crore), Bureau of Immigration (` 0.25 crore), payment for clearing pending claims on deployment of forces for election duties (` 2.00 crore) and Border Check Posts (` 3.00 crore).
	(iii) सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के पेट्रोल, तेल तथा स्नेहक (` 180.00 करोड़), केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल (` 25.15 करोड़), भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस (` 5.66 करोड़), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (` 7.00 करोड़) और दिल्ली पुलिस (` 9.79 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।		(iii) for meeting expenditure on Petrol, Oil and Lubricant of Border Security Force (BSF) (` 180.00 crore), Central Reserve Police Force (` 25.15 crore), Indo-Tibetan Border Police (` 5.66 crore), Sashstra Seema Bal (SSB) (` 7.00 crore) and Delhi Police (` 9.79 crore).
	(iv) असम राइफल्स के वस्त्र तथा टेंट निर्माण (` 10.00 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (` 25.00 करोड़), सीआरपीएफ (` 75.55 करोड़), दिल्ली पुलिस (` 2.92 करोड़) तथा केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (` 0.03 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।		(iv) for meeting expenditure on Clothing and Tentage of Assam Rifles (` 10.00 crore), Border Security Force (` 25.00 crore), CRPF (` 75.55 crore), Delhi Police (` 2.92 crore) and Central Detective Training School (` 0.03 crore).
	(v) असम राइफल्स के विज्ञापन तथा प्रचार (` 1.00 करोड़), राष्ट्रीय अपराध न्यायिक विज्ञान (` 0.03 करोड़), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (` 0.01 करोड़) तथा राष्ट्रीय जांच एजेंसी (` 0.30 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।		(v) for meeting expenditure on Advertisement and Publicity of Assam Rifles (` 1.00 crore), National Institute of Criminology Forensic Science (` 0.03 crore), National Crime Record Bureau (` 0.01 crore) and National Investigation Agency (` 0.30 crore).
	(vi) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सी डी टी एस) के लघु निर्माण कार्यों पर व्यय की पूर्ति हेतु (` 0.46 करोड़)।		(vi) for meeting expenditure on Minor Works of Central Detective Training School (CDTS) (` 0.46 crore).
	(vii) असम राइफल्स के विज्ञापन तथा प्रचार (भर्ती) पर व्यय की पूर्ति हेतु (` 0.05 करोड़)।		(vii) for meeting expenditure on Advertisement and publicity (Recruitment) of Assam Rifles (` 0.05 crore).
	(viii) न्यायिक विज्ञान निदेशालय को अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराना (` 0.38 करोड़)।		(viii) for providing additional Grants-in-aid-General to Directorate of Forensic Science (` 0.38 crore).
	(ix) राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अन्य प्रभारों (V) (` 0.20 करोड़), नक्सल प्रबन्ध (` 13.31 करोड़) तथा अनुसंधान (` 20.00 करोड़) पर व्यय की पूर्ति हेतु।		(ix) for meeting expenditure on Other Charges (V) of National Police Academy (` 0.20 crore), Assistance to Naxal Management (` 13.31 crore) and Research (` 20.00 crore).
	(x) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सूचना प्रौद्योगिकी (मशीन एवं उपस्कर) (` 4.00 करोड़), राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान (` 0.15 करोड़) और राष्ट्रीय अन्वेषण एजेन्सी (` 0.50 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।		(x) for meeting expenditure on Information Technology (Machinery and Equipment) of Central Reserve Police Force (` 4.00 crore), National Institute of Criminology and Forensic Science (` 0.15 crore) and National Investigation Agency (` 0.50 crore).
	(xi) दिल्ली पुलिस के अन्य प्रशासनिक व्यय (` 0.05 करोड़), आसूचना ब्यूरो (` 0.15 करोड़) और मानव तस्कर रोधी इकाइयों (` 0.78 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।		(xi) for meeting expenditure on Other Administrative Expenses of Delhi Police (` 0.05 crore), Intelligence Bureau (` 0.15 crore) and Anti Human Trafficking Units (` 0.78 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(घ)	(i) दिल्ली पुलिस (` 27.90 करोड़), असम राइफल्स (` 5.00 करोड़), सीमा सुरक्षा बल (` 20.00 करोड़), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (` 35.20 करोड़) भारत तिब्बत सीमा पुलिस (` 20.00 करोड़) और आसूचना ब्यूरो (` 16.50 करोड़) के कार्यालय भवन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(d)	(i) for meeting expenditure on Office Building of Delhi Police (` 27.90 crore), Assam Rifles (` 5.00 crore), Border Security Force (` 20.00 crore), Central Reserve Police Force (` 35.20 crore), Indo-Tibetan Border Police (` 20.00 crore) and Intelligence Bureau (IB) (` 16.50 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ii) दिल्ली पुलिस के आवासीय भवन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 40.00 करोड़)।	(ii) for meeting expenditure on Residential Building of Delhi Police (₹ 40.00 crore).
(iii) भारत बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्य के तहत ओपी टावर (₹ 150.00 करोड़) और सीमा चौकियों (₹ 20.00) के निर्माण और भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य के तहत सड़कों के निर्माण (₹ 21.00 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(iii) for meeting expenditure on construction of OP Tower (₹ 150.00 crore) and Border Outposts (₹ 20.00 crore) under Indo-Bangladesh Border Works and Construction of Roads under Indo-Pak Border Works (₹ 21.00 crore).
(iv) केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (₹ 0.15 करोड़) और केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (₹ 0.40 करोड़) के मोटर वाहन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(iv) for meeting expenditure on Motor Vehicles of Central Academy of Police Training (₹ 0.15 crore) and Central Detective Training School (₹ 0.40 crore).
(v) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल की मशीन और उपस्कर संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.20 करोड़)।	(v) for meeting expenditure on Machinery and Equipment of Central Detective Training School (₹ 0.20 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।	
(ड) (i) केन्द्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई) की मशीनरी तथा उपस्कर (₹ 0.60 करोड़), बीएसएफ (₹ 19.65 करोड़), एसएसबी (₹ 3.00 करोड़) और आईबी (₹ 3.19 करोड़) के व्यय की पूर्ति हेतु।	(e) (i) for meeting expenditure on Machinery and Equipment of Central Forensic Science Lab (CBI) (₹ 0.60 crore), BSF (₹ 19.65 crore), SSB (₹ 3.00 crore) and IB (₹ 3.19 crore).
(ii) असम राइफल्स (₹ 11.40 करोड़), एसएसबी (₹ 12.50 करोड़), दिल्ली पुलिस (₹ 7.00 करोड़), टीयर स्मोक यूनिट (₹ 0.14 करोड़), पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (₹ 0.15 करोड़), केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (₹ 0.40 करोड़), राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (₹ 0.06 करोड़), राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं न्यायिक विज्ञान संस्थान (₹ 0.05 करोड़), आईबी (₹ 1.50 करोड़), आप्रवासन ब्यूरो (₹ 1.10 करोड़), बीएसएफ (₹ 9.49 करोड़) और सीआरपीएफ (₹ 15.00 करोड़) के मोटर वाहन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(ii) for meeting expenditure on Motor Vehicles of Assam Rifles (₹ 11.40 crore), SSB (₹ 12.50 crore), Delhi Police (₹ 7.00 crore), Tear Smoke Unit (₹ 0.14 crore), Bureau of Police Research and Development (₹ 0.15 crore), Central Detective Training School (₹ 0.40 crore), National Crime Records Bureau (₹ 0.06 crore), National Institute of Criminology and Forensic Science (₹ 0.05 crore), IB (₹ 1.50 crore), Bureau of Immigration (₹ 1.10 crore), BSF (₹ 9.49 crore) and CRPF (₹ 15.00 crore).
(iii) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के चिकित्सा विज्ञान संस्थान के मोटर वाहन (₹ 0.05 करोड़) और मशीनरी एवं उपस्कर (₹ 0.02 करोड़) संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु।	(iii) for meeting expenditure on Motor Vehicle (₹ 0.05 crore) and Machinery and Equipment (₹ 0.02 crore) of Institute of Medical Science of Central Armed Police Force.
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।	

मांग संख्या DEMAND NO. 55

गृह मंत्रालय के अन्य व्यय

OTHER EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 44 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 1640.84	103.99	1744.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.01	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1640.94	104.00	1744.94
	भारत:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 1640.91	104.00	1744.91

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245 - प्राकृतिक आपदा राहत	स्वीकृत: 2245 -Relief on account of Natural Calamities	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02
2250 - अन्य सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2250 -Other Social Services	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	0.02	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजी परिच्यय	स्वीकृत: 4250 - Capital Outlay on other Social Services	Voted: ...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.03	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) अन्य प्रशासनिक व्यय के तहत भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क के लिए (0.90 करोड़)।	(a) (i) Disaster Management Communication Network for payment under Other Administrative Expenses (0.90 crore)
(ii) व्यावसायिक सेवाओं के तहत भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन संचार नेटवर्क के लिए (0.90 करोड़)।	(ii) Disaster Management Communication Network for payment under Professional Services(0.90 crore)
(iii) राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम उपशमन परियोजना हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (0.63 करोड़)।	(iii) providing additional Grants-in-aid for creation of Capital Assets for National Cyclone Risk Mitigation Project (0.63 crore).
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) यूएनडीपी जोखिम प्रबंधन परियोजना के तहत सीएएए द्वारा किए गए डेबिट को सुलझाने के लिए सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु (10 करोड़)।	(b) providing additional grants-in-aid to clear the debits raised by CAAA under UNDP-Risk Management Project (10 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (1 करोड़)।	(c)	meeting additional expenditure on Youth Exchange Programme (1 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रियाशील बल के कार्यालय भवन के तहत व्यय की पूर्ति हेतु (10.46 करोड़)।	(d)	meeting expenditure under Office Building of National Disaster Responsive Force (10.46 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 58

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 60088.58	...	60088.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.05	...	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 70.02	...	70.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 60158.65	...	60158.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 0.01 (का)	70.00 (खb)	70.01
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	70.00	70.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

(क) (i) 'सर्व शिक्षा अभियान' योजना के तहत सामान्य/एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 649.00 करोड़)।	(a) (i) Grants-in-aid General under the scheme of 'Sarva Shiksha Abhiyan' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (` 649.00 crore).
(ii) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' स्कीम के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 76.25 करोड़)।	(ii) Grants-in-aid General under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (` 76.25 crore).
(iii) 'प्रौढ़ शिक्षा तथा दक्षता विकास स्कीम' के तहत सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 2.26 करोड़)।	(iii) Grants-in-aid General under the scheme of 'Adult Education & Skill Development Scheme' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (` 2.26 crore).
(iv) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' के सामान्य एससीएसपी/टीएसपी घटकों की अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 12.30 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक मांग की गई है।	(iv) Grants for creation of capital assets under the scheme of 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' to meet the additional requirement under General/SCSP/TSP components (` 12.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख) (1) तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती स्कूल सोसाइटी) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य अनुदान सहायता (` 1.00 करोड़)।	(b) (1) Grants-in-aid General to Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) to meet the additional expenditure (` 1.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक मांग की गई है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(2)	निम्नलिखित स्वायत्तशासी निकायों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान। (i) राष्ट्रीय बाल भवन (` 0.20 करोड़), (ii) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (` 53.05 करोड़) (iii) नवोदय विद्यालय समिति (` 13.10 करोड़) (iv) तिब्बती शरणार्थी बच्चों (तिब्बती स्कूल सोसाइटी) के लिए शैक्षिक सुविधाएं (` 3.65 करोड़)।	(2)	Grants-in-aid General to the following autonomous bodies to meet the additional expenditure on (i) National Bal Bhawan (` 0.20 crore) (ii) National Council of Educational Research and Training (` 53.05 crore) (iii) Navodaya Vidhyalaya Samiti (` 13.10 crore) (iv) Educational Facilities to Tibetan Refugee Children (Tibetan School Society) (` 3.65 crore).
	उपर्युक्त व्ययों में निवल नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo;
(ग)	(i) 'राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान' स्कीम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों की अतिरिक्त जरूरतों को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 18.57 करोड़)।	(c) (i)	Grants-in-aid General under the scheme 'Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan' for releasing the additional requirements to the Implementing agencies in North-Eastern States (` 18.57 crore).
	(ii) 'सेकन्डरी तथा हायर सेकन्डरी स्कूलों के छात्रों के लिए असम में बालिका छात्रावासों के निर्माण तथा उसके संचालन की स्कीम' के तहत नए बालिका छात्रावासों के निर्माण के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (` 5.72 करोड़)।	(ii)	Grants for creation of capital assets for construction of new girls hostels in Assam under the scheme 'Scheme for Construction and Running of Girls Hostels for Students of Secondary & Higher Secondary Schools (` 5.72 crore).
	(iii) 'भाषा प्राध्यापकों की नियुक्ति' स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 13.00 करोड़)।	(iii)	Grants-in-aid General under the scheme 'Appointment of Language Teachers' for releasing the additional requirement to the North-Eastern States (` 13.00 crore).
	(iv) 'सर्वशिक्षा अभियान' स्कीम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों की कार्यान्वयन एजेंसी को अतिरिक्त जरूरतों की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (` 235.52 करोड़)	(iv)	Grants-in-aid General under the scheme 'Sarva Shiksha Abhiyan' for releasing the additional requirements to the implementing agency in North-Eastern States (` 235.52 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 59 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)

(See page 59 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	21912.00	...	21912.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	69.71	...	69.71
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 21981.74	...	21981.74

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: 69.67 (कa)	0.01 (खb)	69.68
2203 - तकनीकी शिक्षा	स्वीकृत: 2203 -Technical Education	Voted: 0.01 (गc)	0.01 (घd)	0.02
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 69.69	0.02	69.71

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	(-) 69.67	...	(-) 69.67

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) (1) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता-अनुदान (i) शैक्षणिक ऋण ब्याज सब्सिडी (` 203.00 करोड़); (ii) ऑरोविले प्रबन्धन (` 0.70 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोत्साहन परिषद (` 10.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p> <p>(2) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (` 97.00 करोड़); (ii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (` 4.00 करोड़); (iii) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला (` 3.53 करोड़) और (iv) ऑरोविलो प्रबन्धन (` 1.30 करोड़)।</p> | <p>(a) (1) Grants-in-aid General for meeting additional requirements under the following schemes:- (i) Educational Loan Interest Subsidy (` 203.00 crore); (ii) Auroville Management (` 0.70 crore) and (iii) National Council for Promotion of Urdu Language (` 10.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> <p>(2) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes:- (i) Grants to Central Universities (` 97.00 crore); (ii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (` 4.00 crore); (iii) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (` 3.53 crore) and (iv) Auroville Management (` 1.30 crore).</p> |
|---|--|

<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(3) निम्नलिखित को विशेष सहायता हेतु सामान्य सहायता अनुदान (i) दिल्ली विश्वविद्यालय (₹ 33.00 करोड़) और (ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजना के अन्तर्गत मैसूर विश्वविद्यालय (₹ 36.67 करोड़)। चूंकि प्रस्तावित व्यय की भारतीय लोक लेखे में धारित 'सामाजिक और ढांचागत विकास निधि' से पूर्ति की जाएगी, इसलिए कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(3) Grants-in-aid General for special assistance to (i) University of Delhi (₹ 33.00 crore) and (ii) University of Mysore (₹ 36.67 crore) under the scheme 'University Grants Commission'. Since, the proposed expenditure will be met from the 'Social and Infrastructure Development Fund' placed in the Public Account of India, there will be no cash outgo.</p>
<p>(ख) (1) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (₹ 13.32 करोड़); (ii) केन्द्रीय विश्वविद्यालय को अनुदान (₹ 238.43 करोड़); (iii) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (₹ 6.09 करोड़); (iv) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (₹ 2.38 करोड़); (v) भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान शिमला (₹ 0.41 करोड़); (vi) भारतीय तात्विक अनुसंधान परिषद (₹ 0.18 करोड़); (vii) हिन्दी शिक्षण मण्डल आगरा (₹ 0.04 करोड़); (viii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (₹ 8.94 करोड़); (ix) राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन और प्रशासन विश्वविद्यालय (₹ 0.60 करोड़) और (x) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग (₹ 0.02 करोड़)।</p>	<p>(b) (1) Grants-in-aid General to the following Institutions for meeting additional expenditure (i) University Grants Commission (₹ 13.32 crore); (ii) Grants to Central Universities (₹ 238.43 crore); (iii) Indian Council of Social Science Research (₹ 6.09 crore); (iv) Indian Council of Historical Research (₹ 2.38 crore); (v) Indian Institute of Advanced Studies, Shimla (₹ 0.41 crore); (vi) Indian Council of Philosophical Research (₹ 0.18 crore); (vii) Hindi Shikshan Mandal, Agra (₹ 0.04 crore); (viii) Rashtriya Sanskrit Sansthan (₹ 8.94 crore); (ix) National University of Education Planning and Administration (₹ 0.60 crore) and (x) National Commission for Minority Educational Institutions (₹ 0.02 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(2) 'केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान' योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 30.00 करोड़)।</p>	<p>(2) Grants-in-aid General for meeting the additional requirement under the scheme 'Grants to Central Universities' (₹ 30.00 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(ग) (1) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलुरु को अनुदान (₹ 30.00 करोड़); (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 28.24 करोड़) और (iii) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (₹ 41.93 करोड़)।</p>	<p>(c) (1) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following schemes:- (i) Grants to Indian Institute of Science, Bengaluru (₹ 30.00 crore); (ii) Indian Institutes of Technology (₹ 28.24 crore) and (iii) Setting up of New Indian Institutes of Technology (₹ 41.93 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(2) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 29.76 करोड़); (ii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जबलपुर (₹ 15.00 करोड़); (iii) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (₹ 10.00 करोड़); (iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कांचीपुरम में डिजाइन तथा विनिर्माण (₹ 5.00 करोड़); (v) नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना (₹ 96.46 करोड़); (vi) भारतीय शिक्षा अनुसंधान विज्ञान संस्थान (₹ 39.33 करोड़); (vii) नए भारतीय प्रबन्ध संस्थान की स्थापना (₹ 20.00 करोड़)।</p>	<p>(2) Grants for creation of capital assets for meeting the additional requirement under the following schemes:- (i) Indian Institutes of Technology (₹ 29.76 crore); (ii) Indian Institute of Information Technology, Jabalpur (₹ 15.00 crore); (iii) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (₹ 10.00 crore); (iv) Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing at Kanchipuram (₹ 5.00 crore); (v) Setting up of New Indian Institutes of Technology (₹ 96.46 crore); (vi) Indian Institutes of Science for Education Research (₹ 39.33 crore) and (vii) Setting up of New Indian Institutes of Management (₹ 20.00 crore).</p>
<p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p>	<p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(3) विशेष सहायता के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर में पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 46.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।	(3) Grants for creation of capital assets to Indian Institutes of Technology, Kharagpur as special assistance (₹ 46.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (1) अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु निम्नलिखित संस्थानों को सामान्य सहायता अनुदान (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 27.26 करोड़); (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को अनुदान (₹ 37.12 करोड़); (iii) भारतीय खान स्कूल, धनबाद (₹ 4.63 करोड़); (iv) स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर (₹ 1.95 करोड़); (v) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (₹ 6.65 करोड़); (vi) संत लॉगेवाल इन्जीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (₹ 2.91 करोड़); (vii) प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई, कोलकाता, कानपुर तथा चेन्नई (₹ 1.34 करोड़) और (viii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹ 68.69 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।	(d) (1) Grants-in-aid General to the following Institutions for meeting additional expenditure (i) Indian Institutes of Technology (₹ 27.26 crore); (ii) Grants to Indian Institute of Science, Bengaluru (₹ 37.12 crore); (iii) Indian School of Mines, Dhanbad (₹ 4.63 crore); (iv) School of Planning and Architecture (₹ 1.95 crore); (v) Indian Institute of Information Technology, Allahabad (₹ 6.65 crore); (vi) Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (₹ 2.91 crore); (vii) Board of Apprenticeship Training, Mumbai, Kolkata, Kanpur and Chennai (₹ 1.34 crore) and (viii) National Institutes of Technology (NITs) (₹ 68.69 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(2) इन्जीनियरिंग विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सहायता संस्थान में 'भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी' योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 13.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।	(2) Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the scheme 'Indian National Digital Library in Engineering Science and Technology (INDEST) Consortium' (₹ 13.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) (₹ 50.00 करोड़) और (ii) भारतीय प्रबन्ध संस्थान (₹ 65.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।	(e) Grants for creation of capital assets for meeting additional requirement under the following schemes:- (i) National Institutes of Technology (NITs) (₹ 50.00 crore) and (ii) Indian Institutes of Management (₹ 65.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 60

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 41 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 2056.14	587.54	2643.68
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 23.34	8.63	31.97
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 75.43	...	75.43
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2154.94	596.17	2751.11
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 2154.91	596.17	2751.08

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220 - सूचना और प्रचार	स्वीकृत: 2220 -Information and Publicity	Voted: ...	0.01 (क)	0.01
2221 - प्रसारण	स्वीकृत: 2221 -Broadcasting	Voted: 40.00 (ख)	35.42 (ग)	75.42
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 40.00	35.43	75.43

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) भारतीय फिल्मस टेलीविजन संस्थान को (1 करोड़) तथा भारतीय सत्यजीत राय फिल्मस एवं टेलीविजन संस्थान को (0.39 करोड़) का अतिरिक्त सहायता अनुदान मुहैया कराना। चूंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, लिहाजा सांकेतिक पूरक मांग की गई है।
- (ख) प्रसार भारती को अतिरिक्त सहायता अनुदान मुहैया कराना। इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के पूंजी भाग के अन्तर्गत इतनी ही राशि विद्यमान है।
- (ग) प्रसार भारती को (50 करोड़) अतिरिक्त सहायता अनुदान मुहैया कराना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (14.58 करोड़) को ध्यान में रखते हुए शेष राशि का पूरक मांगा गया है। इसमें नगद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के पूंजी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing additional Grants-in-Aid General (1 crore) to Films Television Institute of India and (0.39 crore) to Satyajit Ray Films Television Institute of India. As equivalent savings are available in the same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing additional Grants-in-Aid General to Prasar Bharati. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available under the Capital section of the Grant.
- (c) providing additional Grants-in-Aid General (50 crore) to Prasar Bharati. Taking into account savings (14.58 crore) available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount is sought. This will not entail cash outgo as equivalent savings are available under the Capital section of the Grant.

मांग संख्या DEMAND NO. 61

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 61 और वर्ष 2011-2012 की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)

(See page 61 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 49 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 3283.62	746.00	4029.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 505.56	...	505.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3789.22	746.00	4535.22
	भारित:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 3789.20	746.00	4535.20

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
2230 - श्रम और रोजगार	स्वीकृत: 2230 -Labour and Employment	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे परिवारों के लिए राज्य सोसाइटियों से सम्बद्ध राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा(आरएसबीवाई) के लिए केन्द्रीय हिस्सा जारी करना (147.51 करोड़)।
- (ii) श्रम एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय(डीजीईएण्डटी) (मुख्या.) में 'परियोजना कार्यान्वयन तथा व्यापार परीक्षण की स्कीम' की प्रकाशन जरूरतों को पूरा करने के लिए (3.50 करोड़)।
- (iii) 'दक्षता विकास पहल योजना' के तहत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पंजीकृत सोसाइटियों को सहायता अनुदान (31.10 करोड़)।
- (iv) 'पूर्वोत्तर राज्य तथा सिक्किम में दक्षता विकास अवसंरचना को बढ़ाने' सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत राज्य सोसाइटियों को केन्द्र का हिस्सा जारी करने हेतु (10.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 34 जिलों में कौशल विकास की स्कीम के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (31.25 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) releasing Central Share of Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) scheme to State Societies for BPL families(147.51 crore).
- (ii) meeting the requirement of Publication in the scheme of 'Project Implementation & Trade Testing at Directorate General of Employment & Training (DGE&T)(Hq.) (3.50 crore).
- (iii) Grants-in-aid General to registered societies of various states / UTs under the scheme 'Skill Development Initiative'(31.10 crore).
- (iv) releasing the Central Share to state societies under the scheme " Enhancing Skill Development Infrastructure in NE States & Sikkim" (10.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants-in-aid for creation of capital assets under the scheme of Skill development for 34 left wing extremist districts (31.25 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

संख्या NO. 64 (विनियोग)(APPROPRIATION)

भारत का उच्चतम न्यायालय

SUPREME COURT OF INDIA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 64 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
	<i>भारत:</i>	<i>Charged:</i>	95.22	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			95.22
	<i>भारत:</i>	<i>Charged:</i>	17.53	...
जोड़ (मूल और पूरक)	भारत: Total (Original plus Supplementary)	Charged:	112.75	...
				112.75
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:			
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014 - न्याय प्रशासन	<i>भारत:</i> 2014 - Administration of Justice	<i>Charged:</i>	...	17.53
				17.53

यह पूरक विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारत के उच्चतम न्यायालय में माननीय न्यायाधीशों के वेतन, कार्यालय व्यय, विभागीय कैंटीन और सुरक्षा कार्मिकों के लिए व्यावसायिक सेवाओं हेतु अतिरिक्त आवश्यकता।

The supplementary appropriation is required for:

Additional requirement for Salaries of Hon'ble Judges, Office Expenses, Departmental Canteen and under Professional Services' for security Personnel in the Supreme Court of India.

मांग संख्या DEMAND NO. 65

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 65 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 65 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2834.49	166.80	3001.29
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 2834.54	166.80	3001.34
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गc)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	0.01	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|---|---|
| (क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजना स्कीमों के प्रावधान की वृद्धि (₹ 7.77 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई। | (a) augmentation of provision for the projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under Prime Minister's Employment Generation Programme (₹ 7.77 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (₹ 92.23 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (एससीएसपी के लिए ₹ 20.72 करोड़ और टीएसपी के लिए ₹ 16 करोड़ सहित) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। | (b) meeting the additional requirement under Prime Minister's Employment Generation Programme (₹ 92.23 crore including ₹ 20.72 crore for Schedule Caste Sub-Plan and ₹ 16 crore for Tribal Sub-Plan. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ग) संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु ग्रामीण उद्योग (₹ 2.45 करोड़) के तहत अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। | (c) meeting additional requirement under Village Industry (₹ 2.45 crore) for meeting establishment related expenditure. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 67

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 67 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	2751.00	115.00	2866.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 2751.01	115.00	2866.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: ...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

शहरी वक्फ सम्पत्तियों के विकास हेतु केंद्रीय वक्फ परिषद् को सामान्य सहायता अनुदान (` 0.86 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

Grant-in-aid General to Central Wakf Council for development of Urban Wakf Properties (` 0.86 crore).

Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)

(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 54 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1146.88	65.50	1212.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 162.80	5.00	167.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1309.69	70.50	1380.19
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810 - नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा	स्वीकृत: 2810 -New and Renewable Energy	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- राज्य नोडल विभागों/एजेन्सियों को बायोगैस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹ 5.00 करोड़)
- उन्नत बायोमास अनुसंधान केन्द्र (एबीआरसी) परियोजनाएं, भारतीय बेंगलुरु संस्थान और कुक स्टोव परीक्षण केन्द्र, अनुसंधान, डिजाइन, विकास एवं प्रदर्शन तथा बायोगैस विकास और प्रशिक्षण केन्द्र के तहत जैव और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹ 3.00 करोड़)।
- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, पुणे, आईआईटी मुम्बई (फोटो वोल्टीय), आईआईटी मुम्बई (सौर तापीय), पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र और अन्य परियोजनाओं के सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹ 13.00 करोड़)।
- हाइड्रोजन ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन की चालू और तीन नई स्वीकृत परियोजनाओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹ 3.75 करोड़),
- राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान, जालंधर को अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रयोगशाला तथा प्रौद्योगिकी प्रदर्शन परियोजना हेतु अतिरिक्त उपस्करों की अधिप्राप्ति पर सामान्य सहायता अनुदान जारी करना (₹ 1.00 करोड़); और
- मानव संसाधन विकास और नवीकरणीय ऊर्जा पदों, प्रयोगशाला और पुस्तकालय सहायता शैक्षिक, संस्थाओं को नवीकरणीय ऊर्जा शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु, (₹ 1.00 करोड़)।

The supplementary grant is required for:

- releasing of Grants-in-aid General for implementation of the Biogas Programme to State Nodal Departments/Agencies (₹ 5.00 crore),
- releasing of Grants-in-aid General under Bio Energy Programme for Research & Development Projects such as Advanced Biomass Research Centre (ABRC) Projects, Indian Institute of Bengaluru and Cook Stove Test Centre, Biogas & Technology Demonstration Projects under Research, Design, Development & Demonstration and for Biogas Development Training Centre (₹ 3.00 crore),
- releasing of Grants-in-aid General under Solar Energy Programme for Research and Development Projects of Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad, National Chemical Laboratory, Pune, IIT Mumbai (Photo Voltaic), IIT Mumbai (Solar Thermal), Centre for Wind Energy Technology and other projects (₹ 13.00 crore),
- releasing of Grants-in-aid General for ongoing and three new sanctioned projects of Research, Development and Demonstration in the area of Hydrogen Energy (₹ 3.75 crore),
- releasing of Grants-in-aid General for procurement of additional equipment for Lab and Technology Demonstration Project at National Institute of Renewable Energy (NIRE), Jalandhar for research and development (₹ 1.00 crore), and
- releasing of Grants-in-aid General under Human Resource Development and Training Programme for Renewable Energy chairs, lab and library support to educational institutions for imparting Renewable Energy education (₹ 1.00 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

Taking into account the savings available in the same Section of the Grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 56 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	71.80	9.20	81.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	...	11.00	11.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुदान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	6.50	...	6.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 78.30	20.20	98.50
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	स्वीकृत: 2052 -Secretariat-General Services	Voted: ...	1.17	(का) 1.17
2061 - विदेशी मामले	स्वीकृत: 2061 -External Affairs	Voted: ...	5.33	(खb) 5.33
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	6.50	6.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्नलिखित के लिए मंत्रालय का व्यय:
- लघु निर्माण कार्य (` 0.43 करोड़),
 - कार्यालय व्यय (` 0.70 करोड़), और
 - चिकित्सा व्यय (` 0.04 करोड़)।
- (ख) अन्य योजनाएं:
- अनिवासी छात्रों हेतु छात्रवृत्ति योजना (` 1.42 करोड़),
 - जागरूकता अभियान (` 0.03 करोड़),
 - श्रम गति शीलता सहभागीदारी (` 0.03 करोड़),
 - भारतीय विकास फाउन्डेशन (` 1.15 करोड़),
 - अनिवासी भारतीय केन्द्र (` 0.50 करोड़),
 - भारतीय विदेशी रोजगार परिषद (` 2.00 करोड़),
 - अनिवासी भारतीयों के विवाह की समस्या से उत्पन्न समस्या को कानूनी सहायता (` 0.10 करोड़), और
 - भारतीय समुदाय कल्याण निधि (` 0.10 करोड़)।
- चूंकि अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध समतुल्य बचतों को अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) expenditure of Ministry under:
- Minor Works (` 0.43 crore),
 - Office Expenses (` 0.70 Crore), and
 - Medical Expenses (` 0.04 Crore).
- (b) other schemes:
- Scholarship Scheme for Diaspora children (` 1.42 Crore),
 - Awareness Campaign (` 0.03 Crore),
 - Labour Mobility Partnership (` 0.03 Crore),
 - Indian Development Foundation (` 1.15 Crore),
 - Overseas Indian Centres (` 0.50 Crore),
 - Indian Council of Overseas Employment (` 2.00 Crore),
 - Legal Assistance to women facing problem in Non Resident Indian (NRI) marriages (` 0.10 Crore), and
 - Indian Community Welfare Fund (` 0.10 Crore).
- As the equivalent savings available in Capital Section of the Grant will be surrendered, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 70

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 70 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 5250.65	...	5250.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 5250.66	...	5250.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत पूंजी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान रूप में अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for:

additional requirement as Grants-in-aid for creation of capital assets (₹ 25 crore) under Rashtriya Gram Swarajgar Yojana towards construction of Gram Panchayat Bhawans. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 72 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 72 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 16.98	5.00	21.98
	स्वीकृत:	Voted: 675.18	69.62	744.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: 1.00	...	1.00
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	0.01	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 10.07	...	10.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	703.25	74.63	777.88
	भारित:	Charged: 17.98	5.00	22.98
	स्वीकृत:	Voted: 685.27	69.63	754.90

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	7.55 (का)	7.55
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	2.52 (खब)	2.52
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	10.07	10.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 6.00 करोड़)।
(ii) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के घरेलू यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 1.55 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु।
अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure on Salaries of Central Bureau of Investigation (₹ 6.00 crore).
(ii) meeting additional expenditure under Domestic Travel Expenses of Central Bureau of Investigation (₹ 1.55 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) providing additional Grants-in-aid-Salaries to Indian Institute of Public Administration.
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 73

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 73 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 45 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये)

(See page 73 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 45 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 58 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 23716.20	...	23716.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 30000.00	1585.74	31585.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 14838.11	0.01	14838.12
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 68554.31	1585.75	70140.06

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802 - पेट्रोलियम	स्वीकृत: 2802 -Petroleum	Voted: ...	14838.11 (का)	14838.11
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4802 - पेट्रोलियम पर पूंजी परिचय	स्वीकृत: 4802 - Capital Outlay on Petroleum	Voted: ...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	14838.12	14838.12

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के कारण तेल विपणन कम्पनियों को अनुमान से कम वसूलियों के संबंध में क्षतिपूर्ति (₹ 15,000 करोड़) प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 161.89 करोड़) को देखते हुए, इसमें (₹ 14838.11 करोड़) का निवल नकद व्यय होगा।
- (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 0.01 करोड़)। इस व्यय की पूर्ति पूंजीगत प्राप्तियों से की जाएगी और इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing compensation (₹ 15,000 crore) towards estimated under-recoveries to Oil Marketing Companies on account of sale of petroleum products. Taking into account the savings (₹ 161.89 crore) available within the same Section of the Grant, this will entail net cash outgo of ₹ 14838.11 crore.
- (b) additional equity investment (₹ 0.01 Crore) in the form of bonus shares issued by Oil and Natural Gas Corporation (ONGC). The expenditure will be matched by capital receipts and shall not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 74

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 944.39	731.61	1676.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 197.00	0.01	197.01
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1141.40	731.62	1873.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 - Census Surveys and Statistics	Voted: 197.00 (का)	...	197.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5475 - Capital Outlay on Other General Economic Services	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 197.01	...	197.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) आधार नम्बर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध व्यय जरूरतों को पूरा करने हेतु।
- (ii) संभार तंत्रों से सम्बन्धी जरूरतों, नॉलेज प्रबन्धन (केएम) पोर्टल; संविदा केन्द्रों तथा प्रलेख प्रबंधन प्रणाली से जुड़े व्ययों को पूरा करने हेतु।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के मद्देनजर इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) सर्वर तथा अन्य आईटी सम्बन्धी मदों के प्रापण हेतु व्यय जरूरतों की पूर्ति हेतु (₹ 9.61 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) meeting the committed expenditure requirements for generation of Aadhar numbers.
- (ii) meeting the obligatory expenditure requirements on logistics, expenditure on Knowledge Management (KM) Portal, Contact Center and Document Management System.
- As savings are available in the Capital Section of the Grant, this will not entail cash outgo.
- (b) meeting the expenditure requirements for procurement of Servers and other IT related items (₹ 9.61 crore).
- As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	11969.52	2862.16	14831.68
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	47.63	0.02	47.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	1.82	179.63	181.45
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 12018.97	3041.81	15060.78

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: 0.01 (का)	1.81 (खb)	1.82
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4801 - Capital Outlay on Power Projects	Voted: 179.61 (घd)	...	179.61
6552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए ऋण	स्वीकृत: 6552 - Loans for North Eastern Areas	Voted: 0.01 (ङe)	...	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 179.63	...	179.63
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 179.64	1.81	181.45

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801 - विद्युत	2801 - Power	...	(-) 1.81	(-) 1.81
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
4801 - विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4801 - Capital Outlay on Power Projects	(-) 179.61	...	(-) 179.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (एचएलटीसी) बेंगलुरु और विद्युत प्रणाली प्रशिक्षण संस्थान (पीएसटीआई) बेंगलुरु की पूंजी आस्तियों को राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई), फरीदाबाद (12.42 करोड़) को अन्तरण

The supplementary grants are required for:

(a) carrying out past period accounting adjustment (PPA) for transfer of Capital Assets of Hot Line Training Centre (HLTC), Bengaluru and Power System Training Institute (PSTI),

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|---|--|
| <p>करने के लिए पूर्व अवधि के लेखा समायोजन करने हेतु (₹ 12.42 करोड़)। चूंकि इस व्यय को पूंजी प्राप्तियों द्वारा पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>Bengaluru to National Power Training Institute (NPTI), Faridabad (₹ 12.42 crore). Since this expenditure will be matched by capital receipts, there will be no cash outgo.</p> |
| <p>(ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के संस्थापन संबंधी व्यय की पूर्ति। चूंकि इस व्यय की पूर्ति वसूलियों से पूरी की जाएगी, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(b) meeting establishment related expenditure of Central Electricity Regulatory Commission (CERC). Since this expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.</p> |
| <p>(ग) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (नीपको लि.) रंगानाडी हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के संबंध में ऋण को इक्विटी में बदलने के कारण पूर्व अवधि का लेखांकन समायोजन (पीपीए) करना (₹ 361.10 करोड़)। चूंकि इस व्यय को पूंजी प्राप्तियों से पूरा किया जाएगा, अतः इसमें नगद व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(c) carrying out past period accounting adjustment (PPA) on account of conversion of loan into equity in respect of Ranganadi Hydro Electric Power Project of North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO Ltd.)(₹ 361.10 Crore). Since this expenditure will be matched by capital receipts, there will be no cash outgo.</p> |
| <p>(घ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एनटीपीसी लिमिटेड) को आवंटित कोयला ब्लॉक के सन्दर्भ में कोयला उत्पादन क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम 1957 (1957 का 20) के तहत अधिग्रहीत भूमि की क्षतिपूर्ति संवितरण। इस पूरक में नगद व्यय नहीं होगा, क्योंकि इसकी पूर्ति वसूलियों से की जाएगी।</p> | <p>(d) Disbursement of compensation of land acquired under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) in respect of Coal Blocks allotted to National Thermal Power Corporation Limited (NTPC Limited). This supplementary does not entail cash outgo as it is matched by recoveries.</p> |
| <p>(ङ) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लि. (नीपको लि.) ट्यूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एनईईपीसीओ) को ऋण प्रदान करना (₹ 163.3 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।</p> | <p>(e) loans and advances to Turial Hydro Electric Power Project of North Eastern Electric Power Corporation Ltd. (NEEPCO Ltd.) (₹ 163.13 crore). As matching savings are available within the same Section of the Grant, a token supplementary is sought</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 77

लोक सभा

LOK SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)			
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:				
	भारित:	Charged:	0.87	...	0.87
	स्वीकृत:	Voted:	399.13	...	399.13
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:				
	स्वीकृत:	Voted:	6.00	...	6.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:				
	स्वीकृत:	Voted:	11.00	...	11.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)		417.00	...	417.00
	भारित:	Charged:	0.87	...	0.87
	स्वीकृत:	Voted:	416.13	...	416.13

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	स्वीकृत: 2011 -Parliament/State/Union Territory Legislatures	Voted: ...	11.00	11.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के वेतन के निर्धारण के बाद बकाया भुगतान हेतु तथा समयमान पदोन्नति के कार्यान्वयन पर वेतन के कारण अतिरिक्त व्यय और उत्तर रेलवे से प्रा 2010-11 के लिए वर्धित सब्सिडी दावों की पूर्ति हेतु।

उपर्यक्त व्यय में नगद व्यय होगा।

The supplementary grant is required for:

meeting additional expenditure on account of Salaries for staff of Lok Sabha Secretariat for payment of arrears after fixation of pay and implementation of time scales promotion and to meet the increased subsidy claim for 2010-11 received from Northern Railway.

The above expenditure will entail a cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 78

राज्य सभा

RAJYA SABHA

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृ 78 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.82	...	0.82
	स्वीकृत:	Voted: 223.53	...	223.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted: 33.01	...	33.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	257.37	...	257.37
	भारित:	Charged: 0.83	...	0.83
	स्वीकृत:	Voted: 256.54	...	256.54

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2011 - संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के विधान मंडल	भारित: 2011 - Parliament/State/Union Territory Legislatures	Charged: ...	0.01 (क)	0.01
	स्वीकृत:	Voted: ...	33.01 (ख)	33.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	33.02	33.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति के वेतन एवं टीए/डीए बिलों से सम्बन्धित अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹ 0.01 करोड़)।

(ख) सदस्यों तथा सचिवालय अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों, उत्तर रेल खान-पान सेवा तथा अन्य सरकारी एजेंसियों से सम्बन्धित ऋण दारों तथा परामर्शकों आदि के कार्यालय उपस्करों की अधिप्राप्ति तथा शुल्क के भुगतान आदि के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 33.01 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary grant/appropriation is required for:

(a) meeting additional expenditure towards salary and TA/DA Bills of Chairman & Dy. Chairman, Rajya Sabha. (₹ 0.01 crore)

(b) meeting additional expenditure for payment of salary and allowances to the Members and officials of the Secretariat, debit claims pertaining to Northern Railway Catering Services and other government agencies, procurement of office equipments, payment of fee to consultants etc. (₹ 33.01 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 81 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये)

(See page 81 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 63 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	...	9.20	9.20
स्वीकृत:	Voted:	19241.31	21490.00	40731.31
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	300.01	...	300.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	485.15	731.38	1216.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	20026.47	22230.58	42257.05
भारित:	Charged:	...	9.20	9.20
स्वीकृत:	Voted:	20026.47	22221.38	42247.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: 481.82 (का)	3.33 (खb)	485.15
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	Voted: 0.01 (गc)	...	0.01
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	Voted: 731.37 (घd)	...	731.37
जोड़ (पूंजी भाग)	स्वीकृत: Total (Capital Section)	Voted: 731.38	...	731.38
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1213.20	3.33	1216.53

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

		CAPITAL SECTION		
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054 - सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	(-) 731.37	...	(-) 731.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) "राष्ट्रीय राजमार्ग स्थायी पुल शुल्क निधि को अंतरण" योजना के तहत अंतर लेखा अंतरण संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु (600.00 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

(a) (i) meeting expenditure on Inter Account Transfer under the scheme Transfer to National Highways Permanent Bridges Fee Fund (600.00 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

<p>(ii) केंद्रीय सड़क कोष में अंतरण (₹ 176.82 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 295.00 करोड़) और पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाने वाली राशि (₹ 305.00 करोड़) के मद्देनजर इसमें निवल नकद व्यय (₹ 176.82 करोड़) होगा।</p>	<p>(ii) transfer to the Central Road Fund (₹ 176.82 crore). Taking into account savings (₹ 295.00 crore) available within the same Section of the Grant and an amount (₹ 305.00 crore) that will be surrendered from Capital Section, this will entail a net cash outgo of (₹ 176.82 crore).</p>
<p>(ख) इसमें अतिरिक्त व्यय हेतु, (i) सीमा सड़क स्केंध द्वारा रखरखाव (₹ 11.00 करोड़); (ii) सीमा सड़क स्केंध द्वारा सामारिक महत्त्व और सीमावर्ती सड़कों का रख-रखाव (₹ 11.97 करोड़)(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों का रख-रखाव (₹ 5.21 करोड़)। अनुदान के इसी भाग उपलब्ध बचतों (₹ 24.85 करोड़) और पूंजी भाग से अभ्यर्पित की जाने वाली राशि (₹ 3.33 करोड़) के मद्देनजर इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p>	<p>(b) meeting additional expenditure on, (i) maintenance by Border Roads Wing (₹ 11.00 crore); (ii) Strategic & Border Roads-maintenance by Border Roads Wing (₹ 11.97 crore); (iii) Roads maintenance other than NHs (₹ 5.21 crore). Taking into account savings (₹ 24.85 crore) available within the same Section of the Grant and an amount (₹ 3.33 crore) that will be surrendered from Capital Section, there will be no cash outgo.</p>
<p>(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में "विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम" के तहत प्रमुख निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 350.00 करोड़) और पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं की गई सड़कों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 35.49 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>(c) meeting additional expenditure on Major Works under the scheme Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Area (₹ 350.00 crore) and road stretches not covered under the Special Accelerated Road Development Programme in the North Eastern Area (₹ 35.49 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>
<p>(घ) (i) भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आरम्भ की गई स्थायी पुल शुल्क निधि से वित्तपोषित योजना के तहत निवेश संबंधी व्यय की पूर्ति तथा भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय सड़क रोप (₹ 131.37 करोड़) का ग्रहण हेतु (₹ 600.00 करोड़)। चूंकि व्यय की पूर्ति वसूलियों द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा।</p> <p>(ii) नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क कनेक्टिविटी विकास (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कें) के विशेष कार्यक्रम संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 50.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।</p>	<p>(d) (i) meeting expenditure on investment under the scheme financed from Permanent Bridges Fee Fund (₹ 600.00 crore) and Central Road Fund (₹ 131.37 crore) undertaken by National Highways Authority of India. As the expenditure will be matched by recoveries, there will be no cash outgo.</p> <p>(ii) meeting additional expenditure on Special Programme for Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Naxalite Affected Areas (₹ 50.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p>

DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 48 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 146909.72	...	146909.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2300.01	...	2300.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 149209.75	...	149209.75

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (क) छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के कारण डीआरडीए के प्रशासनिक व्यय के संबंध में वेतन और अतिरिक्त देयता संबंधी अतिरिक्त वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (₹ 89 करोड़); और
- (ख) एनआईआरडी की वेतन संबंधी वचनबद्ध देयताओं की पूर्ति हेतु (₹ 1.14 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) meeting the additional committed liabilities towards salaries and additional liability towards administrative expenses of DRDAs on account of implementation of 6th CPC report (₹ 89 crore); and
- (b) meeting the committed liabilities towards salaries of NIRD (₹ 1.14 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 85

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49-50 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 64-65 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 49-50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 64-65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.02	...	0.02
	स्वीकृत:	Voted: 2695.87	46.75	2742.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	...	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 0.03	...	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2695.96	46.75	2742.71
	भारित:	Charged: 0.05	...	0.05
	स्वीकृत:	Voted: 2695.91	46.75	2742.66

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	भारित: 3425 - Other Scientific Research	Charged: ...	0.03 (का)	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.03	0.04
	भारित:	Charged: ...	0.03	0.03
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation is required for:

- (क) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, गुवाहाटी द्वारा दिए गए क्षतिपूर्ति संबंधी फैसले के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 0.03 करोड़)।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (ख) (i) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रमों के तहत एस एंड टी संचार एवं प्रचार (₹ 2.15 करोड़), (2) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास (₹ 8 करोड़), (3) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रम के तहत विज्ञान एवं समाज कार्यक्रम (₹ 1.25 करोड़), (4) सामाजिक आर्थिक विकास हेतु एस एंड टी कार्यक्रम के तहत महिला संघटक योजना (₹ 5.50 करोड़) (5) राष्ट्रीय नैनो विज्ञान एवं नैनो प्रौद्योगिकी मिशन (₹ 0.55 करोड़), (6) नवाचार समूह (₹ 2 करोड़) (7) मूलभूत अनुसंधान हेतु मेगा सुविधाएं (₹ 3 करोड़) (8)
- (a) for meeting additional expenditure arising out of a compensation award given by Motor Accident Claims Tribunal, Guwahati (₹ 0.03 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) for (i) Providing Grants-in-aid General to (1) S&T Communication & Popularization under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (₹ 2.15 crore), (2) Science & Technology Entrepreneurship Development under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (₹ 8 crore), (3) Science & Society Programme under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (₹ 1.25 crore), (4) Women Component Plan under 'S&T Programmes for Socio Economic Development (₹ 5.50 crore), (5) National Mission on Nano

अनुसूचित जातियों के विकास हेतु विशेष संघटक योजना (₹ 0.50 करोड़) और (9) जनजातीय उप योजना (₹ 0.75 करोड़) हेतु सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। (iii) (1) प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम (₹ 14.78 करोड़), (2) राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम (₹ 5 करोड़), (3) नवाचार समूह (₹ 1 करोड़) (4) 'राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम' के लिए अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना (₹ 0.90 करोड़) और (5) 'राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रम' के लिए अनुसूचित जनजाति उप आयोजनाएं (₹ 0.60 करोड़) को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने हेतु।

चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, अतः सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।

Science & Nano Technology (₹ 0.55 crore), (6) Innovation Clusters (₹ 2 crore), (7) Mega Facilities for Basic Research (₹ 3 crore), (8) Special Component Plan for the Development of Scheduled Castes (₹ 0.50 crore), and (9) Tribal Sub Plan (₹ 0.75 crore, (ii) Providing Grants for creation of Capital Assets to (1) Technology Development Programme (₹ 14.78 crore), (2) State Science & Technology Programme (₹ 5 crore), (3) Innovation Clusters (₹ 1 crore), (4) Special Component Plan for Scheduled Castes for 'State Science & Technology Programme' (₹ 0.90 crore), and (5) Scheduled Tribe Sub Plans for 'State Science & Technology Programme' (₹ 0.60 crore).

As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 3378.50	6.50	3385.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 3378.52	6.50	3385.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग मुख्य शीर्ष	REVENUE SECTION MAJOR HEAD			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'प्रशासन' (₹ 0.70 करोड़) और 'राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं' (₹ 16 करोड़) की योजनाओं के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सीएसआईआर) के लिए वेतन सहायता अनुदान तथा (ii) 'अनुवाद अनुसंधान संस्थान' योजना के तहत सीएसआईआर के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.50 करोड़) प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।
- (ख) 'प्रशासन' (₹ 2.60 करोड़) और 'राष्ट्रीय प्रयोगशाला' (₹ 64 करोड़) योजनाओं के तहत सीएसआईआर के लिए वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।

The supplementary grant is required for:

- (a) providing (i) Grants-in-aid Salaries for Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) under the schemes 'Administration' (₹ 0.70 crore); 'National Laboratories' (₹ 16 crore), and (ii) Grants for creation of capital assets for CSIR under the scheme 'Institute of Translational Research' (₹ 7.50 crore). Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grants-in-aid Salaries for CSIR under the schemes 'Administration' (₹ 2.60 crore) and 'National Laboratories' (₹ 64 crore). Taking into account savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 87

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 51 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 51 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 66 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1426.92	...	1426.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1426.96	...	1426.96

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना -	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	स्वीकृत: 3425 -Other Scientific Research	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	...	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (क) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) निम्नलिखित के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (1) कृषि जैव प्रौद्योगिकी (₹ 7.45 करोड़) (2) जैव-प्रौद्योगिकी-सुविधा (₹ 6.81 करोड़) और (ii) निम्नलिखित के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (1) कृषि जैव प्रौद्योगिकी (₹ 1 करोड़) (2) पशु जैव प्रौद्योगिकी (₹ 1 करोड़) (3) जैव प्रौद्योगिकी सुविधा (₹ 4 करोड़) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु (i) डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स केन्द्र, हैदराबाद को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 4 करोड़) और (ii) स्टेम सैल रिसर्च के संबंध में पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) providing (i) Grants-in-aid General towards (1) Agriculture Biotechnology (₹ 7.45 crore), (2) Biotech-Facility (₹ 6.81 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets towards (1) Agriculture Biotechnology (₹ 1 crore), (2) Animal Biotechnology (₹ 1 crore), (3) Biotech-Facility (₹ 4 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing (i) Grants-in-aid General to Centre for DNA Fingerprinting and Diagnostics, Hyderabad (₹ 4 crore), and (ii) Grants for creation of Capital Assets towards Stem Cell Research (₹ 1 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 88

पोतपरिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1447.93	623.67	2071.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 638.60	0.01	638.61
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 2086.54	623.68	2710.22
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852 - उद्योग	स्वीकृत: 2852 -Industries	Voted: ...	631.54 (का)	631.54
3051 - पत्तन और प्रकाश स्तम्भ	स्वीकृत: 3051 -Ports and Light Houses	Voted: ...	7.03 (खb)	7.03
3052 - नौवहन	स्वीकृत: 3052 -Shipping	Voted: ...	0.01 (गc)	0.01
3056 - अंतर्देशीय जल परिवहन	स्वीकृत: 3056 -Inland Water Transport	Voted: 0.01 (घd)	0.01 (ङe)	0.02
जोड़ (राजस्व भाग)	स्वीकृत: Total (Revenue Section)	Voted: 0.01	638.59	638.60
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5051 - बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5051 - Capital Outlay on Ports and Light Houses	Voted: 0.01 (चf)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.02	638.59	638.61

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| (क) (i) मेसर्स हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि. के संबंध में दिनांक 31.03.2011 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋणों (₹ 166.42 करोड़) को बट्टे खाते डालने और दंड ब्याज सहित ब्याज माफी (₹ 465.12 करोड़) हेतु।
चूँकि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्ति द्वारा की जाएगी, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा। | (a) (i) writing off outstanding loans (₹ 166.42 crore) and waiver of interest including penal interest (₹ 465.12 crore) as on 31.03.2011 in respect of M/s Hoogly Dock and Port Engineers Ltd.
As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo. |
| (ii) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 2.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। | (ii) Grants-in-aid-General to Hoogly Dock and Port Engineers Limited for implementing Voluntary Retirement Scheme (₹ 2.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) महानिदेशालय (प्रकाश स्तम्भों और प्रकाश पोत) के संबंध में सामान्य प्रारक्षित निधि (₹ 7.03 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। चूँकि इसकी पूर्ति प्राप्ति द्वारा की जाएगी, अतः कोई नकद व्यय नहीं होगा। | (b) meeting additional expenditure on General Reserve Fund (₹ 7.03 crore) in respect of Directorate General (Light Houses and Light Ships). As this will be matched by receipts, there will be no cash outgo. |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| (ग) | राहत एवं बचाव कार्यों के लिए नौकर्षण पोतों को किराए पर लेने हेतु, पोतपरिवहन महानिदेशालय के तहत व्यावसायिक सेवाओं पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 13.99 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। | (c) | meeting additional expenditure on Professional Services under Directorate General of Shipping for hiring of Emergency Towing Vessels for relief and rescue operations (` 13.99 cr.).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (घ) | भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को अनुदान योजना के तहत अंतरदेशीय जलमार्ग एन डब्ल्यू-1 और एन डब्ल्यू-3 के लिए पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान संबंधी अतिरिक्त व्यय हेतु (` 25.12 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। | (d) | additional expenditure on Grants for creation of Capital Assets under the scheme Grant to Inland Water Ways Authority of India for Inland Waterways NW-1 and NW-3 (` 25.12 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ङ) | भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण को सामान्य सहायता अनुदान (` 0.60 करोड़) और केन्द्रीय अंतरदेशीय जल परिवहन निगम को सांविधिक देयों के भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए (` 0.33 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। | (e) | Grants-in-aid-General to Inland Waterways Authority of India (` 0.60 crore) and Grants-in-Aid-General to Central Inland Water Transport Corporation for payment of statutory dues(` 0.33 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (च) | तूतीकोरिन पत्तन ट्रस्ट की जलधारा और बंदरगाह को गहरा करने हेतु प्रधान तलकर्षक परियोजना स्कीम के तहत प्रमुख निर्माण कार्यों पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (` 30.00 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है। | (f) | meeting the additional expenditure on Major Works under the scheme of Capital Dredging Project for Deepening of channel and basin of Tuticorin Port Trust (` 30.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 68 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	5183.00	270.00	5453.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.03	...	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 5183.05	270.00	5453.05
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (खब)	0.01 (गc)	0.02
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को वेतन सहायता अनुदान (2.00 करोड़)।
- (ख) (i) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान की निधीयन योजना (2.00 करोड़) (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद् (0.80 करोड़), (iii) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (0.55 करोड़) हेतु वेतन सहायता अनुदान।
- (ग) (i) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान की निधीयन योजना (31.50 करोड़), (ii) भारतीय पुनर्वास परिषद् (0.50 करोड़) (iii) राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान (1.25 करोड़) के लिए वेतन सहायता अनुदान तथा (iv) राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (2.88 करोड़)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर प्रत्येक मामले में सांकेतिक मांग की गई है।

The supplementary grants are required for:

- (a) Grants-in-aid Salaries to National Commission for Backward Classes (2.00 crore)
- (b) Grants-in-aid Salaries for (i) Scheme for funding of National Institutes for Disabled Persons (2.00 crore), (ii) Rehabilitation Council of India (0.80 crore), and (iii) National Institute of Social Defence (0.55 crore).
- (c) Grants-in-aid Salaries for (i) Scheme for funding National Institutes for Disabled Persons (31.50 crore), (ii) Rehabilitation Council of India (0.50 crore), (iii) National Institute of Social Defence (1.25 crore) and (iv) Grants-in-aid General to National Institutes for Disabled Persons (2.88 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought in each case.

मांग संख्या DEMAND NO. 90

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 52 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted: 3676.97	2948.17	6625.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3677.47	2948.59	6626.06
	भारित:	Charged: 0.50	0.40	0.90
	स्वीकृत:	Voted: 3676.97	2948.19	6625.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 5402 - Capital Outlay on Space Research	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'मार्स ओरबिटर मिशन' के लिए निम्नलिखित पर व्यय करने हेतु (क) मशीनरी तथा उपस्कर की अधिप्राप्ति (₹ 1 करोड़) और (ख) अन्य पूंजी व्यय (₹ 9 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गयी है।

The supplementary grant is required for:

incurring expenditure towards 'Mars Orbiter Mission' for (a) procurement of machinery and equipment (₹ 1 crore) and (b) other capital expenditure (₹ 9 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 91 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)

(See page 91 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2505.79	21.57	2527.36
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 2375.00	...	2375.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.04	...	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 4880.83	21.57	4902.40
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:				
		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (खब)	...	0.01
3454 - जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	स्वीकृत: 3454 -Census Surveys and Statistics	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
3601 - राज्य सरकारों को सहायता	स्वीकृत: 3601 -Grants-in-aid to State Governments	Voted: 0.01 (गं)	...	0.01
3602 - संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	स्वीकृत: 3602 -Grants-in-aid to Union Territory Governments	Voted: 0.01 (घद)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.03	0.01	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|--|
| (क) भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) कोलकाता को 'वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान' उपलब्ध कराना (₹ 115.40 करोड़)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग की गई है। | (a) providing "Grants-in-Aid Salaries" to Indian Statistical Institute (ISI) Kolkata (₹ 115.40 Crore). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) (i) क्षमता विकास के तहत वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान मुहैया कराना (₹ 5.20 करोड़)।
(ii) आर्थिक जनगणना के तहत वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान मुहैया कराने हेतु (₹ 5.62 लाख)।
चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचतें उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग की गई है। | (b) (i) For Grants-in-Aid salaries under Capacity Development (₹ 5.20 crore).
(ii) For Grants-in-aid salaries under Economic Census (₹ 5.62 Lakhs).
As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ग) आर्थिक जनगणना के तहत राज्य सरकार के वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान मुहैया कराना (₹ 28.26 लाख)। चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग की गई है। | (c) For Grants-in-Aid salaries to the State Government under Economic Census (₹ 28.26 lakh). As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (घ) (i) आर्थिक जनगणना के अन्तर्गत संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को वेतन सम्बन्धी सहायता अनुदान (₹ 2.66 लाख)।
(ii) आर्थिक जनगणना के लिए संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को निधियां जारी करने हेतु (₹ 1.31 करोड़)।
चूंकि अनुदान के इसी भाग में बचते उपलब्ध हैं, इसलिए सांकेतिक पूरक मांग की गई है। | (d) (i) For Grants-in-Aid salaries to UT Governments under economic Census (₹ 2.66 lakhs).
(ii) For release of funds to UT Governments towards Economic Census (₹ 1.31 crore).
As savings are available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 93 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 93 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 70 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 5767.48	88.27	5855.75
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 121.74	106.18	227.92
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 210.02	...	210.02
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 6099.24	194.45	6293.69

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना-	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
		Non-Plan		
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	स्वीकृत: 2552 -North Eastern Areas	Voted: 0.01 (का)	...	0.01
2851 - ग्रामीण एवं लघु उद्योग	स्वीकृत: 2851 -Village and Small Industries	Voted: 210.00 (खब)	0.01 (गc)	210.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 210.01	0.01	210.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

- (क) एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ की परियोजनाओं/योजनाओं के लिए प्रावधान के संवर्धन हेतु (₹ 34 करोड़)। अनुदान के इसी भाग भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।
- (ख) (i) सामान्य सहायता अनुदान के अन्तर्गत एकीकृत हथकरघा विकास योजना (₹ 15 करोड़), पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 2 करोड़), सामान्य सहायता अनुदान (एससीएसपी) (₹ 4 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (एसटीएसपी) (₹ 1.45 करोड़) (ii) डिजाइन तकनीकी विकास (₹ 5.93 करोड़), (iii) विपणन सहायता एवं सेवाएँ (₹ 5 करोड़) और कल्याण एवं अन्य योजनाएँ (₹ 18 करोड़) को निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। चूँकि अनुदान के इसी भाग में बचत उपलब्ध है, इसलिए ये सांकेतिक पूरक मांगें हैं।
- (ii) एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत नव निगमित संघटक (हथकरघा) क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण का कार्यान्वयन (₹ 10 करोड़)। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से ₹ 10 करोड़, का अग्रिम स्वीकृत किया गया। जिसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी। इसमें (₹ 10 करोड़) का नकद व्यय होगा।
- (a) augmentation of the provision for the Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim under Integrated Handloom Development Scheme (₹ 34 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) meeting additional requirement of funds to (i) Integrated Handloom Development Scheme under Grants-in-aid-General (₹ 15 crore), Grants for creation of capital assets (₹ 2 crore), Grants-in-aid-General (SCSP) (₹ 4 crore), Grants-in-aid-General (STSP) (₹ 1.45 crore), (ii) Design Technical Development (₹ 5.93 crore), (iii) Marketing Support and Services (₹ 5 crore) and (iv) Welfare and other Schemes (₹ 18 crore). As saving are available within same section of Grant, these are token supplementaries.
- (ii) implementation of newly incorporated component (Institutional Credit for Handloom Sector) under Integrated Handloom Development Scheme (₹ 10 crore). An advance of ₹ 10 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for this purpose, will be recouped to the Fund. There will be cash outgo of ₹ 10 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) हथकरघा क्षेत्र के लिए पुनरुज्जीवन, सुधार और पुनर्गठन पैकेज का कार्यान्वयन (` 200 करोड़)। इस प्रयोजन हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से (` 50 करोड़ का अग्रिम मंजूर किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति निधि में की जाएगी। इसमें (` 200 करोड़ का नकद व्यय होगा।</p> | <p>(iii) implementation of Revival, Reform and Restructuring Package and Handloom Sector (` 200 crore). An advance of ` 50 crore was sanctioned from the Contingency Fund of India for this purpose will be recouped to the Fund. There will be cash outgo of ` 200 crore.</p> |
| <p>(ग) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए (` 17.78 करोड़), अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान माँगा गया है।</p> | <p>(c) meeting additional requirement for Grants-in-aid Salary to Central Silk Board (` 17.78 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

मांग संख्या DEMAND NO. 94

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1166.75	4.01	1170.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1166.78	4.01	1170.79

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452 - पर्यटन	स्वीकृत: 3452 -Tourism	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

डेस्टीनेशन और सर्किट्स उत्पाद/अबसंरचना विकास के तहत चालू योजनाओं हेतु पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 9.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

Grants for creation of capital assets for ongoing schemes under Product/Infrastructure Development for Destination and Circuits (₹ 9.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 95

जनजाति कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 71 देखिये)

(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 71 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 3311.25	...	3311.25
	स्वीकृत:	Voted: 358.76	70.00	428.76
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 23.26	...	23.26
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3693.28	70.00	3763.28
	भारित:	Charged: 3311.25	...	3311.25
	स्वीकृत:	Voted: 382.03	70.00	452.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251 - सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	स्वीकृत: 2251 -Secretariat-Social Services	Voted: ...	0.14 (का)	0.14
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted: 23.12 (खब)	...	23.12
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 23.12	0.14	23.26

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) सचिवालय-सामाजिक सेवाओं के लिए किराया, दर एवं कर के तहत अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (0.14 करोड़) । चूंकि अनुदान के राजस्व/भारित भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं, जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा, अतः इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) (i) अनु.जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए राजीव गाँधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (22.93 करोड़) ।
- (ii) उत्कृष्ट संस्थाओं/उच्च श्रेणी की शिक्षा योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़)।
- (iii) पीएमएस, बुक बैंक और अनु.जनजाति वर्ग के छात्रों की योग्यता के उन्नयन की योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.18 करोड़)।
- (iv) अनुसंधान सूचना एवं जन शिक्षा, जनजातीय उत्सवों तथा अन्य हेतु स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान (0.06 करोड़)।
- अनुदान के राजस्व/प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों (23.12 करोड़)। जिन्हें अभ्यर्पित किया जाएगा तथा अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत (2.05 करोड़)। के मद्देनजर इसमें नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure under Rent, Rates & Taxes for Secretariat-Social Services (0.14 crore). As equivalent savings are available in the Revenue/Charged Section of the Grant, which will be surrendered, this will not entail cash outgo.
- (b) (i) Grants-in-aid-General under the scheme of Rajiv Gandhi National Fellowship for ST Students (22.93 crore).
- (ii) Grants-in-aid-General under the Scheme of Institutes of Excellence/Top Class Education (2.00 crore).
- (iii) Grants-in-aid-General under the scheme of PMS, Book Bank and Upgradation of Merit of ST Students (0.18 crore).
- (iv) Grants-in-aid-General under the scheme of Research Information and Mass Education, Tribal Festivals and others (0.06 crore).
- Taking into account savings (23.12 crore) available under Revenue/Charged Section of the Grant, which will be surrendered, and savings (2.05 crore) available within the same section of the Grant, this will not entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 96

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 72 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted: 2111.43	604.32	2715.75
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 35.57	0.01	35.58
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 14.83	...	14.83
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2161.84	604.33	2766.17
	भारित:	Charged: 0.01	...	0.01
	स्वीकृत:	Voted: 2161.83	604.33	2766.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
कृषि मंत्रालय	Ministry of Agriculture				
2401 - कृषि कार्य	स्वीकृत: 2401 -Crop Husbandry	Voted: 0.30 (गक)	2.00 (का)		2.30
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	स्वीकृत: 2435 -Other Agricultural Programmes	Voted: 0.30 (गक)	...		0.30
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	Ministry of Health and Family Welfare				
2210 - चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	स्वीकृत: 2210 -Medical and Public Health	Voted: ...	2.12 (का)		2.12
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs				
2055 - पुलिस	स्वीकृत: 2055 -Police	Voted: ...	5.00 (का)		5.00
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	स्वीकृत: 2225 -Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes	Voted: 0.01 (खब)	...		0.01
उच्चतर शिक्षा विभाग	Department of Higher Education				
2202 - सामान्य शिक्षा	स्वीकृत: 2202 -General Education	Voted: ...	0.52 (डे)		0.52
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power				
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	3.00 (का)		3.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	Ministry of Road Transport and Highways				
3054 - सड़क और पुल	स्वीकृत: 3054 -Roads and Bridges	Voted: 0.01 (जह)	...		0.01
ग्रामीण विकास मंत्रालय	Ministry of Rural Development				
2215 - जलापूर्ति और स्वच्छता	स्वीकृत: 2215 -Water Supply and Sanitation	Voted: 0.01 (घद)	...		0.01
2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	स्वीकृत: 2515 -Other Rural Development Programmes	Voted: 0.01 (घद)	...		0.01
महिला और बाल विकास मंत्रालय	Ministry of Women and Child Development				
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.75 (चफ)	0.80 (छग)		1.55
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 1.39	13.44		14.83

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) वेतनों की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 12.12 करोड़)।
- (ख) अंडमान अदिम जनजाति विकास समिति को अतिरिक्त अनुदान (₹ 0.01 करोड़)।
- (ग) कृषि निविष्टियों की लागत में वृद्धि के कारण सब्सिडी की अतिरिक्त आवश्यकता (₹ 0.60 करोड़ रुपए)।
- (घ) पंचायतीराज संस्थानों को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (₹ 0.02 करोड़)।
- (ङ) सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को वेतन (₹ 0.26 करोड़) और अतिरिक्त अनुदान (₹ 0.26 करोड़) संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता।
- (च) विधवा/परित्यक्ता महिला पेंशन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति (₹ 0.75 करोड़)।
- (छ) सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड और सीमा क्षेत्र परियोजनाओं (₹ 0.80 करोड़) को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना।
- (ज) पंचायतीराज संस्थानों और पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद् को अतिरिक्त अनुदान प्रदान करना (₹ 0.01 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grants are required for:

- (a) additional requirement of salaries (₹ 12.12 crore).
- (b) additional grants to Andaman Adim Janjati Vikas Samiti (₹ 0.01 crore).
- (c) additional requirement of Subsidy due to increase in the cost of agricultural inputs (₹ 0.60 crore).
- (d) providing additional grants to Panchayati Raj Institutions (₹ 0.02 crore)
- (e) additional requirement on Salaries (₹ 0.26 crore) and additional grants to Government aided Schools (₹ 0.26 crore).
- (f) meeting additional expenditure on pension of widow/ deserted women (₹ 0.75 crore).
- (g) providing additional grants to Social Welfare Advisory Board and Border Area Projects (₹ 0.80 crore).
- (h) providing additional grants to Panchayati Raj Institutions and Port Blair Municipal Council (₹ 0.01 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 104 देखिये)

(See page 104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 88.79	0.10	88.89
	स्वीकृत:	Voted: 2091.32	549.99	2641.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 4.03	...	4.03
	स्वीकृत:	Voted: 70.97	...	70.97
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2255.11	550.09	2805.20
	भारित:	Charged: 92.82	0.10	92.92
	स्वीकृत:	Voted: 2162.29	549.99	2712.28

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
गृह मंत्रालय	Ministry of Home Affairs			
2014 - न्याय प्रशासन	भारित: 2014 - Administration of Justice	Charged: ...	4.03 (का)	4.03
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	स्वीकृत: 2070 -Other Administrative Services	Voted: ...	1.00 (खb)	1.00
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	69.97 (गc)	69.97
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	75.00	75.00
	भारित:	Charged: ...	4.03	4.03
	स्वीकृत:	Voted: ...	70.97	70.97

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary grant/appropriation are required for:

- | | |
|---|---|
| (क) (क) वेतन और वर्धित मंहगाई भत्ता भुगतान और नवसृजित पदों को भरना (4.03 करोड़)। | (a) payment of salary and enhanced DA and filling up of newly created posts (4.03 crore). |
| (ख) (ख) होम गार्ड वॉलंटियर्स को संशोधित दरों पर दैनिक भत्ता भुगतान (1.00 करोड़)। | (b) payment of Daily Allowance to the Home Guard Volunteers on revised rates (1.00 crore). |
| (ग) (ग) बिजली के उपभोग में वृद्धि होने के कारण अधिक विद्युत खरीद (69.97 करोड़)। | (c) purchase of more Power due to increase in consumption of electricity (69.97 crore) |
- उपर्युक्त व्यय में नगद व्यय होगा।
The above expenditure will entail cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 98

दादरा और नागर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 1704.83	156.33	1861.16
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 105.49	...	105.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 150.00	...	150.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1960.32	156.33	2116.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	150.00	150.00

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801 - विद्युत	2801 - Power	...	(-) 150.00	(-) 150.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विद्युत उत्पादक कारी एजेन्सियों से भारी मात्रा में विद्युत खरीद।

वर्धित वसूलियों के मद्देनजर, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

purchase of bulk power from Power Generating Agencies.

Taking into account the enhanced recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 99

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 855.69	177.26	1032.95
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 86.00	...	86.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 135.00	...	135.00
जोड़ (मूल और पूरक)	स्वीकृत: Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1076.69	177.26	1253.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना-भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
विद्युत मंत्रालय	Ministry of Power			
2801 - विद्युत	स्वीकृत: 2801 -Power	Voted: ...	135.00	135.00
<p>टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !</p> <p>Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.</p>				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2801 - विद्युत	2801 - Power	...	(-) 135.00	(-) 135.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

विद्युत उत्पादक एजेन्सियों से बड़ी मात्रा में विद्युत खरीद।

वर्धित वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नगद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

purchase of bulk power from Power Generating Agencies.

Taking into account the enhanced recoveries, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 101

शहरी विकास विभाग

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 127 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 127 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 76 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

(करोड़ रुपये Rupees in Crore)

		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारित:	Charged: 38.48	20.40	58.88
	स्वीकृत:	Voted: 1232.50	5563.89	6796.39
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	भारित:	Charged: ...	20.20	20.20
	स्वीकृत:	Voted: 0.03	0.05	0.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	भारित:	Charged: 3.61	...	3.61
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	166.89	166.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1274.63	5771.43	7046.06
	भारित:	Charged: 42.09	40.60	82.69
	स्वीकृत:	Voted: 1232.54	5730.83	6963.37

II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2216 - आवास	भारित: 2216 - Housing	Charged: ...	3.61 (का)	3.61
2217 - शहरी विकास	स्वीकृत: 2217 - Urban Development	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	3.61	3.62
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4216 - आवास पर पूंजी परित्यय	स्वीकृत: 4216 - Capital Outlay on Housing	Voted: ...	10.00 (घd)	10.00
4217 - शहरी विकास पर पूंजी परित्यय	स्वीकृत: 4217 - Capital Outlay on Urban Development	Voted: 156.89 (गc)	...	156.89
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	Voted: 156.89	10.00	166.89
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	156.90	13.61	170.51
	भारित:	Charged: ...	3.61	3.61
	स्वीकृत:	Voted: 156.90	10.00	166.90

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) संस्थापना के तहत अन्य प्रशासनिक व्यय (0.03 करोड़), पट्टा प्रभारों के तहत किराया, दर और कर (0.10 करोड़) तथा राष्ट्रपति संपदा हेतु भवन निर्माण, साधारण मरम्मत और सुसज्जित करने के तहत लघु निर्माण कार्य (3.48 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।

The supplementary grant/appropriation are required for:

(a) meeting additional expenditure on Other Administrative Expenses under Establishment (0.03 crore), Rents, Rates & Taxes under Lease Charges (0.10 crore) and Minor Works (3.48 crore) under Construction of Building, Ordinary Repairs and furnishing for President's Estate.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;	Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख) फरीदाबाद एक्सटेंशन के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को अनुदान योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 7.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(b) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme of Grant to Delhi Metro Rail Corporation for Faridabad extension (₹ 7.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग) (i) राष्ट्रीय भवन निर्माण कम्पनी द्वारा जारी बोनस शेयरों के रूप में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 30.00 करोड़)।	(c) (i) additional equity investment in the form of bonus shares issued by National Building Construction Company (₹ 30.00 crore).
इसकी प्रतिपूर्ति पूंजी प्राप्ति द्वारा की जाएगी।	This will be matched by Capital Receipts.
(ii) दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 126.89 करोड़)। अनुदान के राजस्व/स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए इस व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(ii) additional equity investment in Delhi Metro Rail Corporation (₹ 126.89 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Voted Section of the Grant, this expenditure will not entail any additional cash outgo;
(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम में अतिरिक्त इक्विटी निवेश (₹ 0.99 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।	(iii) additional equity investment in National Capital Region Transport Corporation (₹ 0.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) (i) लेखा परीक्षा हेतु मुख्य कार्य (₹ 8.00 करोड़) कार्मिक तथा प्रशिक्षण (₹ 2.00 करोड़) तथा मौजूदा निर्माण कार्य हेतु लोक सभा/राज्य सभा (₹ 20.00 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों (₹ 20.00 करोड़) को देखते हुए इसमें नकद व्यय (₹ 10.00 करोड़) होगा।	(d) (i) meeting additional expenditure on Major Works for Audit (₹ 8.00 crore), Personnel & Training (₹ 2.00 crore) and Lok Sabha/Rajya Sabha (₹ 20.00 crore) for ongoing works. Taking into account the savings available (₹ 20.00 crore) within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo (₹ 10.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 102

लोक निर्माण कार्य

PUBLIC WORKS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 128 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 78 देखिये)

(See page 128 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 78 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व	पूंजी	जोड़
		Revenue	Capital	Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
भारित:	Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वीकृत:	Voted:	1169.20	483.24	1652.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	42.51	...	42.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	62.24	24.00	86.24
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1274.95	508.24	1783.19
भारित:	Charged:	1.00	1.00	2.00
स्वीकृत:	Voted:	1273.95	507.24	1781.19

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना	आयोजना -	जोड़
		Plan	भिन्न	Total
			Non-Plan	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2059 - लोक निर्माण कार्य	स्वीकृत: 2059 - Public Works	Voted: ...	62.24 (का)	62.24
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059 - लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	स्वीकृत: 4059 - Capital Outlay on Public Works	Voted: ...	24.00 (खब)	24.00
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: ...	86.24	86.24

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (i) कार्यालय भवन, अन्य भवन के रख-रखाव के लिए तैनात कार्य भारित संस्थापन को वेतन तथा नियमित संस्थापन, सामान्य संस्थापन और संरचनात्मक नियोजन के लिए वेतन संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 47.97 करोड़)।
- (ii) कार्यालय भवनों के किराए और प्रशुल्कों में बढ़ोतरी के कारण बिजली और स्थानीय निकाय प्रभारों की उच्च दरों की वजह से पट्टा प्रभारों के तहत किराया, दर और कर संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु (₹ 13.87 करोड़)।
- (iii) राजघाट में अमर ज्योति के लिए राजघाट समाधि को वेतन सहायता अनुदान (₹ 0.10 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.30 करोड़) संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा (₹ 62.24 करोड़)।
- (ख) लेखापरीक्षा (₹ 18.95 करोड़), कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन (₹ 10.00 करोड़), गृह मंत्रालय (₹ 1.25 करोड़) के प्रमुख निर्माण कार्य और विदेश मंत्रालय (₹ 0.50 करोड़) को अतिरिक्त भवन निर्माण व्यय की पूर्ति हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों (₹ 6.70 करोड़) के मद्देनजर इसमें नकद व्यय होगा (₹ 24.00 करोड़)।

The supplementary grants are required for:

- (a) (i) meeting additional expenditure on Salaries (₹ 47.97 crore) of the Work Charged Establishment deployed for maintenance of Office Building, Other Building and salaries for Regular Establishment, Ordinary Establishment and Structural Planning.
- (ii) meeting additional expenditure on Rent, Rates & Taxes under Lease Charges on account of higher rates of electricity and local body charges due to increase in rentals and tariffs of Office Buildings (₹ 13.87 crore).
- (iii) meeting additional expenditure on Grants-in-aid-Salaries (₹ 0.10 crore) and Grants-in-aid-General (₹ 0.30 crore) to Rajghat Samadhi for Amar Jyoti at Rajghat. The above expenditure will entail a cash outgo (₹ 62.24 crore).
- (b) meeting additional expenditure on Major Works of Audit (₹ 18.95 crore), Personnel, Public Grievances & Pensions (₹ 10.00 crore), Home Affairs (₹ 1.25 crore), and External Affairs (₹ 0.50 crore) for construction of buildings. Taking into account the savings (₹ 6.70 crore) available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo (₹ 24.00 crore).

मांग संख्या DEMAND NO. 103

लेखन सामग्री और मुद्रण

STATIONERY AND PRINTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 129 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 129 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 253.11	0.13	253.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: ...	3.55	3.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 10.06	...	10.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 263.17	3.68	266.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2058 - लेखन सामग्री और मुद्रण	स्वीकृत: 2058 - Stationery and Printing	Voted: ...	10.06 (का)	10.06

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2058 - लेखन सामग्री और मुद्रण	2058 - Stationery and Printing	...	(-) 10.06	(-) 10.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) प्रकाशन नियंत्रक के तहत प्रकाशन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु (₹ 28.43 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 18.37 करोड़ रुपए की बचतों और वर्धित वसूलियों (₹ 10.06 करोड़) के मद्देनजर इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary grant is required for:

(a) meeting additional requirement for Publications under Controller of Publication (₹ 28.43 crore). Taking into account the savings of ₹ 18.37 crore available within the same section of the Grant and enhanced recoveries (₹ 10.06 crore), this will not entail any cash outgo.

मांग संख्या DEMAND NO. 104

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 130 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 130 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	भारत:	Charged: ...	4.00	4.00
	स्वीकृत:	Voted: 1150.03	95.30	1245.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1150.06	99.30	1249.36
	भारत:	Charged: ...	4.00	4.00
	स्वीकृत:	Voted: 1150.06	95.30	1245.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Heads:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2701 - वृहत और मध्यम सिंचाई	स्वीकृत: 2701 -Major and Medium Irrigation	Voted: ...	0.01 (का)	0.01
2702 - लघु सिंचाई	स्वीकृत: 2702 -Minor Irrigation	Voted: 0.01 (खb)	...	0.01
जोड़ (पूरक)	स्वीकृत: Total (Supplementary)	Voted: 0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary grants are required for:

- | | |
|--|---|
| (क) राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.66 करोड़) | (a) Grants-in-aid General to National Institute of Hydrology (₹ 1.66 crore). |
| (ख) भूजल प्रबन्धन और विनियमन के महत्वपूर्ण कार्यों के तहत निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति (₹ 29.63 करोड़) | (b) Meeting the additional requirement of funds under Major Works for Ground Water Management and Regulation (₹ 29.63 crore). |
| अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है। | Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

मांग संख्या DEMAND NO. 105

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 131 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2011-2012 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 79 देखिये)

(See page 131 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012 and page 79 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 12733.00	...	12733.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
	स्वीकृत:	Voted: 3450.02	...	3450.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
	स्वीकृत:	Voted: 0.02	...	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 16183.04	...	16183.04

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना- भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	स्वीकृत: 2235 -Social Security and Welfare	Voted: 0.01 (का)	0.01 (खb)	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाड़ी कर्मियों/सहायकों के लिए मानदेय के तौर पर देय प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 6.30 करोड़)।
- (ii) 'राष्ट्रीय राजीव गांधी क्रेच स्कीम' के तहत कामगार माताओं के बच्चों के लिए बालगृह की प्रतिबद्ध देयता निभाने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।
- (ख) (i) 'राष्ट्रीय सार्वजनिक सहयोग तथा बाल विकास संस्थान' को संस्थापना संबंधी व्ययों/पेंशनरी लाभों आदि से सम्बन्धित खर्च पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.00 करोड़)।
- (ii) 'केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड' को संस्थापना सम्बन्धी व्ययों/पेंशनरी लाभों आदि की पूर्ति के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.00 करोड़)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

- (a) (i) Grant-in-aid General for meeting the committed liability such as Honoraria to Anganwadi Workers/ Helpers under the scheme 'Integrated Child Development Services (ICDS)' (₹ 6.30 crore).
- (ii) Grant-in-aid General under the scheme 'Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers' towards committed liabilities (₹ 10.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) Grant-in-aid General to 'National Institute of Public Co-operation and Child Development' for meeting the establishment related expenditure/ Pensionary Benefits etc. (₹ 1.00 crore).
- (ii) Grant-in-aid General to 'Central Social Welfare Board' for meeting the establishment related expenditure/ Pensionary Benefits etc. (₹ 2.00 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

मांग संख्या DEMAND NO. 106

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 132 और वर्ष 2011-2012 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 132 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2011-2012 and page 80 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2011-2012)

		(करोड़ रुपये Rupees in Crore)		
		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	1116.98	4.02	1121.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
स्वीकृत:	Voted:	0.02	...	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
स्वीकृत:	Voted:	0.01	...	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	Voted: 1117.01	4.02	1121.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		आयोजना Plan	आयोजना - भिन्न Non-Plan	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204 - खेल और युवा मामले	स्वीकृत: 2204 -Sports and Youth Services	Voted: 0.01	...	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राजीवगांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेराम्बदूर को अत्याधुनिक पुस्तकालय की स्थापना हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 10.00 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।

The supplementary grant is required for:

Grants-in-aid General to Rajiv Gandhi National Institute of Youth Development at Sriperambadur for setting up of State of the Art Library (₹ 10.00 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2010-11 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits 2010-11.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2010-2011 Budget Estimates 2010-2011	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपेथी विभाग (आयुष)	सूचना, शिक्षा और संचार पर व्यय			राष्ट्रीय स्तर के आरोग्य मेले आयोजित करने, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान में पौध स्वास्थ्य संग्रहालय की स्थापना और राष्ट्र मण्डल खेलों के दौरान आयुष के प्रोत्साहन के लिए कार्यकलापों हेतु अतिरिक्त प्रचार बजट
	Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	2210.02.001.05-Expenditure on Information, Education & Communication	23.00	10.00	For organizing National level AROGYA fairs, setting up of Plant Health Museum at Morarji Desai National Institute of Yoga and extra Publicity budget for activities during Commonwealth Games for promotion of AYUSH.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुबंध ANNEXURE

वर्ष 2011-12 के दौरान संसद में प्रस्तुत की जाने वाली उन मदों का विवरण जिनमें पुनर्विनियोग अनुमोदित सीमाओं से अधिक हो जाता है।

Statement showing items requiring report to Parliament where re-appropriation exceeded the approved limits 2011-12.

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

क्र. सं. Sl. No.	मंत्रालय/विभाग का नाम Name of the Ministry/ Department	योजना Scheme	बजट अनुमान 2011-2012 Budget Estimates 2011-2012	पुनर्विनियोग की राशि Amount of Re-appropriation	टिप्पणियां Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि मंत्रालय पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग Ministry of Agriculture Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries	राष्ट्रीय पशु बीमारी सूचना प्रणाली (एनएडीआरएस) (मु. शी. 2403) National Animal Disease Reporting System (NADRS) (M.H.2403)	8.00	45.32	योजना में मौजूदा परियोजना को पूर्ण करने हेतु एनआईसी को भुगतान के लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ी। Excess amount was required for payment to NIC for completion of ongoing project in the scheme.
2.	संस्कृति मंत्रालय Ministry of Culture	मु.शी.-2251 2251.00.090.07.03.01- वेतन MH-2251 2251.00.090.07.03.01-Salaries	11.70	3.20	वेतन भुगतान हेतु। For payment of Salaries.
		मु.शी.-2251 2251.00.090.07.03.12- विदेश यात्रा व्यय MH-2251 2251.00.090.07.03.12- Foreign Travel Expenses	0.50	0.30	मंत्रालय के प्रतिनिधि मण्डल की विदेश यात्रा हेतु। For visiting abroad of Ministry's delegations.
		2251.00.090.07.03.13- कार्यालय व्यय 2251.00.090.07.03.13- Office Expenses	0.40	0.10	मंत्रालय में सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन के कारण On account of modernization and up-gradation of facilities in the Ministry.
		2251.00.090.07.99.50- अन्य प्रभार 2251.00.090.07.99.50- Other Charges	0.60	0.58	मंत्रालय के पीएओ में ई-भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन, नये कम्प्यूटर्स, प्रिंटर खरीद तथा इंटरनेट और आन-लाइन सेवा खरीद। Purchase of new computers and printers and up-gradation of internet and online services and implementation of e-payments system in PAOs in the Ministry.
		मु.शी.-2205 2205.00.102.03.15.31- सामान्य सहायता अनुदान- केन्द्रीय हिमालयन संस्कृति अध्ययन संस्थान MH-2205 2205.00.102.03.15.31- Grants in aid General- Central Institute of Himalayan Cultural Studies	0.00	0.70	वेतन, टेलीफोन, बिजली और आकस्मिक निवेश के भुगतान के सम्बन्ध में बार-बार होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु। In order to meet the recurring expenditure towards payment of salary, telephone, electricity and contingencies exposes.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	मु.शी.-2205 2205.00.102.04.03.31- सहायता अनुदान-आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र MH-2205 2205.00.102.04.03.31- Grants in aid - General Zonal Cultural Centres		15.50	10.00	पूरे देश में आंचलिक संस्कृति केन्द्रों की स्थापना की रजत जयंती मनाने से संबंधित अपना उत्सव, यात्रा और अन्य कार्यक्रमों पर अतिरिक्त खर्च की पूर्ति हेतु। To meet additional expenditure on apna Utsav, Yatras and other programmes across the country relating to celebration of Silver Jubilee of the setting of Zonal Cultural Centres.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.04.12.20- शताब्दी-महोत्सव और वर्षगांठ अन्य प्रशासनिक व्यय MH-2205 2205.00.102.04.12.20- Centenaries and Aniversaries- Other Administrative expenses		0.30	0.40	राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली के उदय में शताब्दी स्मरणोत्सव के दौरान "डॉन अपॉन दिल्ली राइज ऑफ़ केपिटल" नामक प्रदर्शनी आयोजित करने संबंधी अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure towards holding of exhibition namely "Dawn upon Delhi Rise of Capital" during the Centenary commemoration of Re-emergence of Delhi as National Capital.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.04.20.31- सामान्य सहायता अनुदान नव-नालन्दा महावीर और ह्वेन सांग मेमोरियल हॉल MH-2205 2205.00.102.04.20.31- Grants-in-aid General- Nava Nalanda Mahavihara and Huen T Sang Memorial Hall		1.80	0.50	4 प्रोफेसर्स की नियुक्ति के कारण प्रतिबद्ध व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the committed expenditure due to recruitment of 4 Professors.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.04.54.31- सामान्य सहायता अनुदान केन्द्रीय धरोहर स्वयंसेवक (सीएचवी) योजना MH-2205 2205.00.102.04.54.31- Grants-in-aid General- Central Heritage Volunteers (CHV) scheme		0.01	0.50	2011-12 के दौरान "सांस्कृतिक धरोहर युवा नेतृत्व कार्यक्रम" योजना के कार्यान्वयन हेतु। For implementation of the scheme "Cultural Heritage Youth Leadership Programme" during 2011-12.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.04.67.13- गुरुदेव रबिन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाना कार्यालय व्यय MH-2205 2205.00.102.04.67.13- Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore. Office Expenses		0.25	4.40	विदेशों और भारत में टैगोर प्रदर्शनी का आयोजन हेतु। For organizing Tagore Exhibition overseas and India.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.04.67.20- कार्यालय प्रशासनिक व्यय				भारतीय दूतावासों/उच्चायोगों को गुरुदेव रबिन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती मनाने संबंधी प्रकाशनों/अन्य कार्यों के संबंध में निधियां प्रदान करना।

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		MH-2205 2205.00.102.04.67.20- Office Administrative Expenses	0.02	2.00	To provide funds to Indian Embassies/High Commissions in connection with publications/other works related to Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore.
		मु.शी.-2205 2205.00.102.06.02.12- नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नई दिल्ली विदेश यात्रा भत्ता			विदेश और भारत में टैगोर प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए विदेश में प्रतिनियुक्तियों हेतु।
		MH-2205 2205.00.102.06.02.12- National Gallery of Modern Art, New Delhi Foreign Travel Expenses	0.08	0.20	For deputation abroad for organising Tagore Exhibitions overseas and India.
		मु.शी.-2205 2205.00.798.01.00.32- अंशदान - विश्व धरोहर निधि को अंशदान			विश्व धरोहर समिति के संबंध में भारत का अंशदान प्रदान करने हेतु।
		MH-2205 2205.00.798.01.00.32- Contributions - Contribution to World Heritage Fund	0.08	0.46	To make India's contribution towards World Heritage Committee.
		मु.शी.-2205 2205.00.104.01.03.13- कार्यालय व्यय - भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व			विद्युत्, टेलीफोन और जल बिलों का भुगतान
		MH-2205 2205.00.104.01.03.13- Office Expenses - National Archives of India	2.93	0.80	For Payment of electricity, telephones and water bills.
		मु.शी.-2205 2205.00.104.01.03.13- कार्यालय व्यय - भारतीय राष्ट्रीय पुरातत्व			जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के तहत कार्य कर रहे पुरातत्व सहायक/मेंडर्स/हेल्पर्स को भुगतान के संबंध में प्रतिबद्ध व्यय की पूर्ति।
		2205.00.104.01.03.31- सामान्य सहायता अनुदान			पाण्डुलिपि/दुर्लभ "पुस्तक संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता" योजना के तहत स्वयंसेवी संगठनों का पंजीकरण
		MH-2205 2205.00.104.01.03.13- Office Expenses- National Archives of India	3.20	2.00	To meet the committed expenditure towards payment to Archival Assistant/Menders/Helpers working under various projects on critical area.
		2205.00.104.01.03.31- Grants-in-aid General	0.20	0.50	Registration of voluntary organizations under the scheme "Financial assistance to preservation of Manuscripts/Rare books".
		मु.शी.-2205 2205.00.106.01.03.20- अन्य प्रशासनिक व्यय - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई)			

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	MH-2205 2205.00.106.01.03.20- Other Administrative Expenses - Archaeological Survey of India (ASI)		1.60	4.74	एएसआई के 150वें समारोह के संबंध में । In connection with celebration of 150th year of ASI
	मु.शी.-2205 2205.00.106.02.03.28- व्यावसायिक व्यय - भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 2205.00.106.10.00.50- प्रकाशन				2011-12 के दौरान एएसआई द्वारा सीआईएसएफ और निजी सुरक्षा आदि के अतिरिक्त विकास के सुरक्षा उपायों के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। विश्व धरोहर/राष्ट्रीय महत्व/संग्रहालय के स्मारकों के लिए विशेष रूप से तैयार कॉमन प्रवेश टिकट के मुद्रण हेतु।
	2205.00.106.10.00.50- अन्य प्रभार MH-2205 2205.00.106.02.03.28- Professional Expenses - Archaeological Survey of India		20.00	10.00	एएमएसआर अधिनियम 2010 के तहत सक्षम प्राधिकारी के कार्यालयों की स्थापना के संबंध में। To meet the additional expenditure on account of security measures like additional development of CISF and private security guards etc. by ASI during 2011-12.
	2205.00.106.01.03.16- प्रकाशन 2205.00.106.01.03.16- Publication		6.00	2.80	For printing of specially designed common entry ticket for monuments of world Heritage/ National Importance/Museums.
	2205.00.106.10.00.50- अन्य प्रभार 2205.00.106.10.00.50- Other Charges		1.00	0.90	Towards setting up of offices for competent authority under AMASR Act 2010.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.04.18.31- सामान्य सहायता अनुदान सांस्कृतिक संगठन योजना का विकास MH-2205 2205.00.102.04.18.31- Grants-in-aid General - Development of Cultural organization scheme		4.85	2.00	2011-12 के दौरान योजना के तहत स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की वर्धित संख्या पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure on increased number of proposals received from voluntary organizations under the scheme during 2011-12.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.03.15.31- सामान्य सहायता अनुदान केन्द्रीय हिमालयन सांस्कृतिक अध्ययन संस्थान MH-2205 2205.00.102.03.15.31- Grants-in-aid General - Central Institute of Himalayan Cultural Studies		0.00	0.70	वेतन, टेलीफोन, बिजली और आकस्मिक निवेश के भुगतान के सम्बन्ध में बार-बार होने वाले व्यय की पूर्ति हेतु। In order to meet the recurring expenditure towards payment of salary, telephone, electricity and contingencies exposes.
	मु.शी.-2205 2205.00.102.06.02.20- अन्य प्रशासनिक व्यय राष्ट्रीय मॉडर्न आर्ट गैलरी MH-2205 2205.00.102.06.02.20- Other Administrative Expenses - National Gallery of Modern Art		0.00	1.00	सुरक्षा सेवाओं, सफाई और अनुरक्षण सेवाओं के आउट सोर्सिंग पर हुए व्यय की पूर्ति तथा संविदा वाले कर्मचारियों को पारिश्रमिक हेतु। In order to meet the expenditure outsourcing security services, cleaning and maintenance services

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		मु.शी.-2205 2205.00.107.10.00.35- पूजा आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद - MH-2205 2205.00.107.10.00.35- Grants for creation of Capital Assets - National Council of Science Museum	0.50	4.90	and also for remuneration to contratual staff, etc. हाई एण्ड उपस्करों की अधिप्राप्ति और क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र, कोलकाता स्थित ताराघर में मुख्य निर्माण कार्य पर हुए अतिरिक्त व्यय की पूर्ति। To meet the additional expenditure on procurement of high end equipments and major renovation of planetarium at Regional Science Centers, Kolkata.
		मु.शी.-2205 3601.03.201.05.00.31- सामान्य सहायता अनुदान गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती समारोह MH-2205 3601.03.201.05.00.31- Grants-in-aid-General - Celebration of 150th Birth Anniversary of Gurudev Rabindranath Tagore	0.00	5.00	राज्य सरकारों को निधियां प्रदान करने हेतु। For providing funds to State Governments.
3.	व्यय विभाग Department of of Expenditure	राजस्व भाग मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.16-प्रकाशन Revenue Section Major Head 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.01.16-Publication	0.25	0.13	पेंशन संबंधी पुस्तिकाओं, लेखापरीक्षा में मेन्युअल और पीएओ निर्देशिका मुद्रण हेतु। For printing pension related booklets and Audit Manual and PAO Directory.
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.20-अन्य प्रशासनिक व्यय Major Head 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.01.20-Other Administrative Expenses	0.39	0.44	आर्थिक संपादक सम्मेलन, अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुल्क अदायगी और सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि की प्रतिबद्ध देयताओं के भुगतान हेतु। For payment of committed liabilities like Economic Editors' Conference, fees payment of mandatory training programmes and for conferences, seminars etc.
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.26-विज्ञापन और प्रचार Major Head-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure	0.01	3.72	2006 से पूर्व के पेंशनभोगियों के मामलों, पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र तथा पेंशनभोगियों की शिकायतों के लिए टॉलफ्री कॉलसेंटर्स की स्थापना से संबंधित विज्ञापन सूचना हेतु। For advertising information regarding pre-2006 pensioners' cases, Life Certificate of pensioners' and establishment of toll free call

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		10.01.26-Advertising & Publicity			centres for pensioners grievances.
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.27-लघु निर्माण कार्य			महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के नए भवन में कार्य करने हेतु।
		Major Head 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.01.27-Minor Work	0.82	0.60	For carrying out work in the new office building of Controller General of Accounts (CGA).
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.01.28-व्यावसायिक सेवाएं			सलाहकारों को शुल्कों के भुगतान, कानूनी सेवाओं और अध्ययन पुरस्कार भुगतान हेतु।
		Major Head 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.01.28-Professional Services	1.58	0.93	For payment of fees to consultants, payment towards legal services and award of studies
		मुख्य शीर्ष 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं 00.090-सचिवालय 10-व्यय विभाग 10.99.13-सूचना प्रौद्योगिकी			संविदा आधार पर लगाए गए डाटा एन्ट्री ऑपरेटर्स और आईटी स्टॉफ को भुगतान कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति और मौजूदा प्रणाली को अद्यतन करना तथा नई आई योजनाओं का विकास।
		Major Head 2052-Secretariat General Services 00.090-Secretariat 10-Department of Expenditure 10.99.13-Information Technology	2.95	5.54	For payment to Data Entry Operators and IT staff employed on contract basis, procurement of computer hardware/software and updating existing systems and developing new IT schemes.
		मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सामान्य सेवाएं 00.003-प्रशिक्षण 08-सिविल लेखा विभाग में प्रशिक्षण केन्द्र (आईएनजीएफ) 08.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकारी लेखा और वित्त संस्थान द्वारा आयोजित कार्यशाला के संबंध में शुल्कों के भुगतान हेतु।
		Major Head 2070-Other Administrative Services 00.003 - Training 08 - Training Centre in Civil Accounting Department (INGAF) 08.00.20 - Other Administrative Expenses	0.00	0.03	For payment of fees for mandatory training programme and towards workshops organized by Institute of Government Accounts and Finance(INGAF).
		मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सामान्य सेवाएं			बकाया भुगतानों के निपटान हेतु न्यू पेंशन

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		800-अन्य व्यय 35-एनएसडीएल को एनपीएस हेतु सेवा प्रभार 35.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय			स्कीम योजना और चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए जा रहे बिलों में वृद्धि हेतु नेशनल सिक्यूरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड को भुगतान हेतु।
		Major Head 2070-Other Administrative Services 800 - Other Expenditure 35 - Service Charges to NSDL for NPS 35.00.20 - Other Administrative Expenses	36.00	9.00	For payment to National Securities Depository Limited (NSDL) for New Pension Scheme for clearing pending payments and due to increase in the number of bills being received in the current financial year.
4.	मांग सं. 42 प्रत्यक्ष कर Demand No.42 Direct Taxes	राजस्व भाग मु.शी. आय और व्यय पर कर संग्रहण (मुख्य शीर्ष) 00.001-दिशा निर्देश और प्रशासन (लघु शीर्ष) 01-अन्वेषण			
		01.00.12 विदेश यात्रा व्यय			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की गई थी, जबकि अधिकारियों के स्वीकृत दौरे के व्यय की पूर्ति के लिए निधियां आवश्यक थीं।
		01.00.14 किराया, दरें और कर			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की गई थी, जबकि एअर इंटेलीजेंस यूनिट के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को किराया चुकाने के लिए निधियों की आवश्यकता थी।
		01.00.26 विज्ञापन और प्रचार			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की गई थी, तथापि, आयकर विभाग के 150 वर्ष के समारोह के लिए निधियों की आवश्यकता थी।
		01.00.28 व्यावसायिक सेवाएं			पुलिस विभाग को भुगतान के लिए आयकर विभाग के अन्वेषण स्कन्ध द्वारा अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी। तलाशी और अभिग्रहण अभियानों के दौरान उनकी सेवाओं और कोषकक्ष की सुरक्षा हेतु।
		01.00.28 अन्य प्रभार			पुरस्कार प्रस्तावों आदि के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति के लिए क्षेत्रीय प्रवर्तनों द्वारा और अधिक निधियों की आवश्यकता थी।
		01.99.13 सूचना प्रौद्योगिकी (ओई)			ब.अ.स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की गई थी, तथापि निधियां क्षेत्रीय प्रवर्तन द्वारा अनुमानित आईटी संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु आवंटित थी।
		Revenue Section: MH 2020 Collection of Taxes on Income & Expenditure (Major Head) 00.001 Direction and Administration (Minor Head) 01 Investigation			
		01.00.12 Foreign Travel Expenses	0	0.03	No funds were allotted at BE stage whereas funds were required to meet the expenses of sanctioned tours of officials.
		01.00.14 Rent, Rates & Taxes	0	0.50	No funds were allotted at BE stage whereas funds were required to pay rent to Airport Authority of India for Air Intelligence Unit.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	01.00.26 Advertising and Publicity		0	0.025	No funds were allotted at BE stage, however, funds were required for celebration of 150 years of Income Tax Department.
	01.00.28 Professional Services		0.20	0.185	Additional funds were required by Investigation Wing of Income Tax Department to make the payment to Police Deptt. For their services during Search and Seizure operations and security of Strong Room.
	01.00.50 Other Charges		0.15	0.10	More funds were required by the field formations to meet the expenditure towards rewards proposals etc.
	01 99.13 Information Technology (O.E)		0	0.82	No funds were allotted at the BE stage. However, funds were allotted to meet I.T related expenditure projected by field formation.
	02 अनुसंधान सांख्यिकी और प्रकाशन				निधियां चुनावों संबंधी यात्रा व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक है।
	02. घरेलू यात्रा व्यय				ब.अ. स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की गयी जबकि अधिकारियों के स्वीकृत दौरों के व्यय की पूर्ति हेतु अपेक्षित थीं।
	02.00.12 विदेशी यात्रा व्यय				आयकर विभाग के वार्षिक प्रचार कार्यक्रम हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता थी।
	02.00.26 विज्ञापन और प्रचार				
	02 Research Statistics and Publication				
	02. Domestic Travel Expenses		0.14	0.045	Funds are required to meet the travelling expenses related to elections.
	02.00.12 Foreign Travel Expenses		0	0.008	No funds were allotted at BE stage whereas, funds were required to meet the expenses of sanctioned tours of officials.
	02.00.26 Advertising and Publicity		78	20	Additional funds are required for annual publicity programme of Income Tax Department.
	03 संगठन और प्रबंधन सेवाएं				
	03.00.03 समयोपरि भत्ता				यह वृद्धि वाहन चालकों और अन्य सम्बद्ध स्टाफ द्वारा किए गए समयोपरि कार्य के संबंध में भुगतान की पूर्ति हेतु है।
	03.00.06 चिकित्सीय इलाज				यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटान हेतु है।
	103.00.11 घरेलू यात्रा व्यय				राज्यों में चुनावों से संबंधित यात्रा व्यय की पूर्ति हेतु अधिक निधियों की आवश्यकता है।
	03.00.12 विदेशी यात्रा व्यय				ब.अ. स्तर पर कोई निधियां जारी नहीं की गई थी। जबकि अधिकारियों के स्वीकृत दौरा कार्यक्रमों

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
					की पूर्ति हेतु ये निधियां अपेक्षित थीं।
	03.00.13 कार्यालय व्यय				यह वृद्धि प्रचालन वाहन किराए पर लेने, डाक टिकट आदि के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।
	03.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय				यह वृद्धि आईआरएस अधिकारियों के उन्नत मध्य करियर प्रशिक्षण के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।
	03.00.26 विज्ञापन और प्रचार				यह वृद्धि के 150 वर्ष के समारोह के व्यय की पूर्ति के लिए है।
	03.00.281 व्यावसायिक सेवाएं				यह वृद्धि व्यावसायिकों तथा वकीलों के बकाया बिलों के भुगतान की पूर्ति हेतु है।
	01.99.13 सूचना प्रौद्योगिकी (ओई)				ओ.ई. (आईटी) के तहत निधियां आयुक्तों और उनके कार्यालयों में थीं। अब निधियों का उचित प्रदर्शन हो गया है।
	03 Organisation and Management Services				
	03 00.03 Overtime Allowance	0.003		0.002	The Increase is to meet the payment towards Overtime Work done by Drivers and Other related Staff.
	03.00.06 Medical Treatment	0.086		0.114	The increase is to clear pending medical bills.
	103.00.11 Domestic Travel Expenses	0.635		0.385	More funds are required to meet the travelling expenses related to elections in the states.
	03.00.12 Foreign Travel Expenses	0		0.24	No funds were allotted at BE stage whereas, funds were required to meet the expenses of sanctioned tours of officials.
	03.00.13 Office Expenses	2.50		5.10	The increase is to meet the expenditure towards hiring operational vehicles, postage stamps etc.
	03.00.20 Other Administrative Expenses	0.06		8.37	The increase is to meet the expenditure towards advance Mid Career Training of IRS Officers.
	03.00.26 Advertising and Publicity	0.015		0.10	The increase is to meet the celebration of 150 years of the Department.
	03.00.281 Professional Services	0.03		0.12	The increase is to meet the payment of pending bills of professionals and lawyers fees etc.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	04-निरीक्षण				यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटान हेतु है।
	07.00.06-चिकित्सीय इलाज				
	07.99.13-कार्यालय व्यय				यह वृद्धि प्रचालन वाहन किराए पर लेने, पोस्टेज स्टाम्प के लिए व्यय को पूर्ति हेतु है। यह वृद्धि फील्ड वेतन यूनिट के लम्बित बिलों के भुगतान की पूर्ति हेतु है।
	04.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय				यह वृद्धि कम्प्यूटर आदि तथा ओई (एलटी) के तहत सम्बद्ध मदों की खरीद हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है।
	07.99.13-सूचना और प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)				यह वृद्धि कम्प्यूटर आदि तथा ओई (आईटी) के तहत सम्बद्ध मदों की खरीद हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है।
	04 Inspection				
	04.00.06 Medical Treatment	0.035	0.065		The increase is to clear pending medical bills.
	04.00.13 Office Expenses	0.60	0.41		The increase is to meet the expenditure towards hiring operational vehicles, postage stamps. The increase is to meet the payment of pending bills of field pay unit.
	04.00.20 Other Administrative Expenses	0.01	0.007		The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O.E (I.T.)
	04.99.13 Information Technology (O.E)	0	0.031		The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O. E (I.T.)
	07-आसूचना				
	07.00.06-चिकित्सीय इलाज				यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटान हेतु है।
	07.99.13-सूचना और प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)				यह वृद्धि कम्प्यूटर आदि तथा ओई (आईटी) के तहत सम्बद्ध मदों की खरीद हेतु व्यय की पूर्ति के लिए है।
	07 Intelligence				
	07.00.06 Medical Treatment	0.60	0.15		The increase is to clear pending medical bills.
	07.99.13 Information Technology (O.E)	0	0.50		The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O. E (I.T.)

1	2	3	4	5	6
	00.101-प्रभार संग्रहण-आयकर (लघु शीर्ष)				
	01-आयुक्त और उनके कार्यालय				
	01.01.11-घरेलू यात्रा व्यय				यह वृद्धि राज्यों में चुनावी ड्यूटी के सम्बन्ध में व्यय की पूर्ति हेतु है।
	01.01.12-विदेशी यात्रा व्यय				यह वृद्धि स्वीकृत विदेशी यात्राओं पर व्यय की पूर्ति हेतु है।
	01.01.28-व्यावसायिक सेवाएं				यह वृद्धि व्यावसायिक और वकीलों के शुल्क आदि के लम्बित बिलों के भुगतान की पूर्ति हेतु है।
	01.01.41-गुप्त सेवा व्यय				कर अपवंचकों तथा तलाशी और अभिग्रहण मामलों से संबंधित सूचना खरीदने के लिए क्षेत्रीय प्रवर्तनों को अधिक निधियों की आवश्यकता है।
	00.101 Collection Charges- Income Tax(Minor Head)				
	01 Commissioners and their Offices				
	01.01.11 Domestic Travel Expenses	31.72		9.35	The increase is to meet the expenditure towards election duty in the states.
	01.01.12 Foreign Travel Expenses	1.05		0.72	The increase is to meet the expenditure on sanctioned foreign tours.
	01.01.28 Professional Services	21.80		5.43	The increase is to meet the payment of pending bills of professionals and lawyers fee etc.
	01.01.41 Secret Service Expenditure	0.50		3.60	More funds are needed by field formations for purchase of information pertaining to tax evaders and search and seizure cases
	02- आयकर और संपत्ति कर मामले निपटान आयोग				
	02.00.03-समयोपरिभत्ता				यह वृद्धि वाहन चालकों और अन्य सम्बद्ध स्टाफ द्वारा किए गए समयोपरि कार्य के संबंध में भुगतान की पूर्ति हेतु है।
	02.00.06-चिकित्सा इलाज				यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटान हेतु है।
	02.00.13-कार्यालय व्यय				यह वृद्धि प्रचालन वाहन किराए करने, डाक टिकट आदि संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।
	02.00.20-अन्य प्रशासनिक व्यय				यह वृद्धि क्षेत्रीय भुगतान इकाई के बकाया बिलों के भुगतान की पूर्ति हेतु है।
	02.00.27-लघु कार्य				रखरखाव और लघु मरम्मत के संबंध में क्षेत्रीय प्रवर्तनों को अधिक निधियों की आवश्यकता है।
	02.99.13-सूचना प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)				यह वृद्धि ओ.ई.(आई.टी.) के तहत कम्प्यूटरों आदि और सम्बद्ध वस्तुओं की खरीद के संबंध में व्यय की पूर्ति है।

1	2	3	4	5	6
	02 Settlement Commission for Income Tax and Wealth Tax Cases				
	02.00.03 Overtime Allowance	0.008	0.01		The Increase is to meet the payment towards Overtime Work done by Drivers and Other related Staff.
	02.00.06 Medical Treatment	0.074	0.103		The increase is to clear pending medicals bills.
	02.00.13 Office Expenses	1.70	0.69		The increase is to meet the expenditure towards hiring operational vehicles, postage stamps etc.
	02.00 20 Other Administrative Expenses	0.006	0.015		The increase is to meet the payment of pending bills of field pay unit.
	02.00.27 Minor Works	0.10	0.10		More funds are required by field formations towards maintenance and minor repairs.
	02.99.13 Information Technology (O. E)	0	0.01		The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O.E (I.T.)
	04-प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का आंचलिक लेखा कार्यालय				
	04.99.13-सूचना प्रौद्योगिकी (ओ.ई.)				यह वृद्धि ओ.ई.(आई.टी.) के तहत कम्प्यूटरों आदि और सम्बद्ध वस्तुओं की खरीद के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।
	04 Zonal Accounts Office of Principal Chief Controller of Accounts				
	04.99.13 Information Technology (O.E.)	0	3.00		The increase is to meet the expenditure towards purchase of Computers etc. and related items under O.E (I.T.)
	02-अग्रिम निर्णय प्राधिकरण				
	02.00.06-चिकित्सा इलाज				यह वृद्धि बकाया चिकित्सीय बिलों के निपटान हेतु है।
	02.00.11-घरेलू यात्रा व्यय मु.शी. 4075-विविध पर पूंजी परिव्यय				यह वृद्धि अधिकारियों और कर्मचारियों के यात्राओं के संबंध में व्यय की पूर्ति हेतु है।
	00.204 सामान्य सेवाएं (मुख्य शीर्ष)				
	00.204-आयकर अधिनियम 1961 के अध्याय XX-ग के तहत अचल सम्पत्ति अधिग्रहण				क्षेत्रीय प्रवर्तनों को अधिक निधियों की आवश्यकता है।
	00.00.53-मुख्य निर्माण कार्य				
	02 Authority for Advance Rulings				
	02 00.06 Medical Treatment	0.02	0.005		The increase is to clear pending medical bills.
	02.00.11 Domestic Travel Expenses Capital Section MH 4075 Capital Outlay on Miscellaneous	0.04	0.03		The increase is to meet the expenditure towards tours and travels of Officers and staff.
	00.204 General Services (Major Head)				
	00.204 Acquisition of immovable Properties under Chapter XX-C of Income Tax Act, 1961				More funds are required by field formations.
	00.00.53 Major Works	1.00	0.70		

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
5.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग Department of Health & F.W.	2013.00.105.01 स्वास्थ्य मंत्रालय 2013.00.105.01 Ministry of Health	(आयोजना-भिन्न) 1.00 (Non-Plan)	0.40	गरीबों को दिए जाने वाली वित्तीय सहायता की दरों में संशोधन। Revision of rates of financial assistant to the poor.
		2071.01.118.01- केन्द्र सरकार पेंशनर्स 2071.01.118.01-Central Government Pensioners	(आयोजना-भिन्न) 604.00 (Non-Plan)	150.00	सीजीएचएस पेंशनर्स के अस्पताल खर्च में वर्धित व्यय। Increased expenditure on hospitalization of the CGHS pensioners.
		2210.01.103.24- डिस्पेंसरियां/ अस्पतालों की स्थापना 2210.01.103.24-Setting up of Dispensaries/ Hospitals	(आयोजना-भिन्न) 590.00 (Non-Plan)	80.00	वेतन, चिकित्सा उपचार, कार्यालय व्यय और आपूर्ति और सामग्री की अधिप्राप्ति पर वर्धित व्यय। Increased expenditure on Salaries, Medical Treatment, Office Expenses and procurement of Supplies & Materials.
		2210.01.110.19- सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली	(आयोजना) (आयोजना-भिन्न)		वेतन, कार्यालय व्यय, स्वच्छता/सुरक्षा सेवाएं तथा दवा और अन्य उपभोग्य की अधिप्राप्ति पर वर्धित व्यय।
		2210.01.110.19-Safdarjang Hospital, New Delhi	115.00 (Plan)	20.00	Increased expenditure on Salaries, Offices Expenses, sanitation/ security services and procurement of medicines and other consumables.
			183.00 (Non-Plan)	20.00	
		2210.01.110.20- डॉ. आर.एम.एल. अस्पताल, नई दिल्ली	(आयोजना) (आयोजना-भिन्न)		कार्यालय व्यय, आपूर्ति और सामग्री तथा लघु निर्माण कार्यों पर वर्धित व्यय।
		2210.01.110.20-Dr. R.M.L. Hospital N.Delhi	95.00 (Plan)	5.00	Increased expenditure on Office Expenses, Supplies & Materials and
			128.00 (Non-Plan)	3.25	Minor Works.
		2210.05.105.27- लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल	(आयोजना) (आयोजना-भिन्न)		वेतन, स्कॉलरशिप/वजीफा, कार्यालय व्यय, आपूर्ति और सामग्री, लघु निर्माण कार्यों पर वर्धित व्यय।
		2210.05.105.27-Lady Hardinge Medical College & Smt. S.K. Hospital	40.00 (Plan)	1.00	Increased expenditure on Salaries, Scholarship/Stipend, Offices
			114.00 (Non-Plan)	15.00	Expenses, Supplies & Materials and Minor Works.
		2210.06.104.02- केन्द्रीय ड्रग्स मानक नियंत्रण संगठन	(आयोजना)		कार्यालय व्यय, लघु निर्माण कार्य और उपस्करों की अधिप्राप्ति पर वर्धित व्यय।
		2210.06.104.02-Central Drugs Standards Control Organisation	17.00 (Plan)	7.56	Increased expenditure on Office Expenses, Minor works and procurement of equipments.
		2210.06.113.01- केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो नई दिल्ली	(आयोजना) (आयोजना-भिन्न)		डीएवीपी के माध्यम से मीडिया अभियान पर अतिरिक्त व्यय।
		2210.06.113.01 - Central Health Education Bureau, New Delhi	1.50 (Plan)	1.60	Additional expenditure on Media Campaign through DAVP.
			2.24 (Non-Plan)	0.06	

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	2210.06.101.08- राष्ट्रीय वेक्टर जनित बीमारी नियंत्रण कार्यक्रम (आयोजना-भिन्न)				डीडीटी वॉटर डिसपर्सिबल पावडर के दरों में संशोधन होने के कारण लागत में आए अन्तर की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है।
	2210.06.101.08 - National Vector Borne Disease Control Programme	359.15 (Non-Plan)		32.07	Additional funds are required to meet the differential cost towards revision in rates of DDT Water Dispersible Powder.
	2210.06.101.30- राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आयोजना-भिन्न)				यह प्रावधान ड्रग्स की अधिप्राप्ति के लिए किया गया है।
	2210.06.101.30 - National T.B. Control Programme	85.00 (Non-Plan)		15.00	The provision has been kept for Programme procurement of drugs.
	2210.06.800.26.01.35- ट्रामा सेन्टर की क्षमता निर्माण हेतु सहायता (आयोजना)				राज्यों में ट्रामा सेन्टरों की पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय।
	2210.06.800.26.01.35 - Assistance for Capacity Building for Trauma Centres	1.00 (Plan)		29.00	Additional expenditure for Grants for creation of capital assets for Trauma Centres in the States.
	2210.06.800.30.01.35- जिला अस्पताल (राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालय) का उन्नयन (आयोजना)				राज्य सरकार चिकित्सा महाविद्यालय उन्नयन राज्य हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय।
	2210.06.800.30.01.35 - District Hospitals (Upgradation of State Government Medical Colleges)	208.00 (Plan)		30.81	Additional expenditure for Grants for creation of capital assets for upgradation of State Government Medical Colleges.
	2210.06.800.31.03.35- स्वास्थ्य हेतु मानव संसाधन (नर्सिंग सेवा उन्नयन/ सशक्तिकरण (आयोजना)				नर्सिंग सेवा उन्नयन हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय।
	2210.06.800.31.03.35-Human Resources for Health (Upgradation/ Strengthening of Nursing Services)	20.00 (Plan)		56.00	Additional expenditure for Grants for creation of capital assets for upgradation of Nursing Services.
	2211.00.109.10- पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (आयोजना)				अतिरिक्त एसएनआईडी (उप-राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस) राउण्ड जिनकी पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति।
	2211.00.109.10-Pulse Polio Immunization Programme	212.34 (Plan)		8.81	To meet expenditure on additional SNID(Sub-National Immunization Day) rounds which were not anticipated earlier.
	2211.00.796.02- पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम (आयोजना)				आतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिनकी पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति।
	2211.00.796.02-Pulse Polio Immunization Programme	25.00 (Plan)		7.19	To meet expenditure on additional SNID rounds not anticipated earlier.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	2552.00.285.01- डिसपेंसरियों/ अस्पतालों की स्थापना	(आयोजना)			
	2552.00.285.01-Setting up of Dispensaries/ Hospitals	(Plan)	6.00	2.23	वेतन, चिकित्सा उपचार और आपूर्ति व सामग्री की अधिप्राप्ति पर वर्धित व्यय। Increased expenditure on Salaries, Medical Treatment and procurement of Supplies & Materials.
	3601.04.245.01- उप-केन्द्र	(आयोजना)			
	3601.04.245.01-Sub-Centres	(Plan)	2295.14	203.75	वेतन भुगतान के लिए राज्यों से प्राप्त मांग अधिक होने के कारण। Due to more demand from States for payment of salary.
	3601.04.246.03- पल्स पोलियो टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम	(आयोजना)			
	3601.04.246.03 - Pulse Polio Immunization Control Programme	(Plan)	272.42	76.30	आतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिनकी पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति। To meet expenditure on additional SNID rounds not anticipated earlier.
	3601.04.263.03- राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम-ग्रामीण(जीसी)	(आयोजना)			
	3601.04.263.03 - National Vector Borne Disease Control Programme - Rural (GC)	(Plan)	73.00	6.00	लार्वासाइड्स मदों के विकेन्द्रीयकरण के कारण, प्रावधान नगद अनुदान में प्रस्तावित है। Due to decentralisation of Larvacides items, the provision has been proposed in cash grants.
	3601.04.263.05- कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम	(आयोजना)			
	3601.04.263.05-Kala-Azar Control Programme	(Plan)	19.63	22.37	डीडीटी वॉटर डिसपर्सिबल पाव्डर के दरों में संशोधन होने के कारण लागत में आए अन्तर की पूर्ति करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है। Additional funds are required to meet the differential cost towards revision in rates of DDT Water Dispersible Powder.
	3601.04.789.07.05- पल्सपोलियो टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम-ईएसी	(आयोजना)			
	3601.04.789.07.05 - Pulse Polio Immunization Programme - EAC	(Plan)	60.30	15.20	अतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिनकी पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति। To meet expenditure on additional SNID rounds not anticipated earlier.
	3601.04.796.06.05- पल्सपोलियो टीकाकरण नियंत्रण कार्यक्रम-ईएसी	(आयोजना)			
	3601.04.796.06.05-Pulse Polio Immunization Control Program - EAC	(Plan)	32.90	8.50	अतिरिक्त एसएनआईडी राउण्ड जिनकी पहले आशा नहीं थी, पर व्यय की पूर्ति। To meet expenditure on additional SNID rounds not anticipated earlier.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
6.	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपेथी विभाग (आयुष)	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपेथी विभाग			(i) शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयुष विभाग को आवंटित नए भवन को सुसज्जित करने हेतु। (ii) किराया दर वृद्धि के कारण
	Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	2251.00.090.15-Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy	11.50	6.79	(i) For furnishing new building allotted to Deptt. of AYUSH by Ministry of Urban Development. (ii) Due to increase of rate of rent.
		सूचना, शिक्षा और संचार			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.02.001.05-Information, Education & Communication	13.50	0.50	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		आयुष के प्रयोग और स्वीकार्यता पर सर्वे			आयुष के प्रयोग और स्वीकार्यता पर एनएसएसओ द्वारा सर्वे करने हेतु
		2210.02.200.10-Survey on usage and acceptability of AYUSH	0.50	0.50	For conducting survey by NSSO on usages and acceptability of AYUSH.
		राष्ट्रीय औषध पौध बोर्ड			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.02.200.13-National Medicinal Plant Board	46.20	6.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		आयुष उद्योग को बाजार अवसर सृजन और विकास के लिए मेलों में भागीदारी/बाजार अध्ययन आयोजन के लिए प्रोत्साहन			प्राप्त प्रस्तावों की संख्या अधिक होने के कारण
		2210.02.200.19-Incentive to AYUSH Industry for participation in fairs/conducting market study for creating & developing market opportunity	0.35	0.10	Due to higher number of proposals received.
		राष्ट्रीय औषधीय पौध मिशन			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.02.200.29-National Mission on Medicinal Plants	44.34	8.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		आयुष अस्पतालों और डिस्पेंसरियों का विकास तथा आयुष को मुख्य धारा में लाना			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.02.200.30-Development of AYUSH Hospitals & Dispensaries and Mainstreaming of AYUSH	228.00	40.10	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
		केन्द्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.05.101.04-Central Council for Research in Ayurvedic Sciences	38.00	2.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.05.102.02-Central Council for Research in Homoeopathy	25.00	3.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.05.103.03-Central Council for Research in Unani Medicine	22.00	0.75	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		पूर्वोत्तर लोक औषध संस्थान, पासीघाट			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.05.200.08-North Eastern Institute of Folk Medicine, Passighat	0.00	8.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		पूर्वोत्तर आयुर्वेद व होम्योपैथी संस्थान, शिलांग			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.05.200.13-North Eastern Institute of Ayurveda & Homoeopathy, Shillong	0.00	19.00	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
		केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद			पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ वाली योजनाओं पर व्यय हेतु
		2210.05.200.01-Central Council for Research in Yoga & Naturopathy	17.00	0.90	For expenditure on schemes benefiting North Eastern Region.
7.	एड्स नियंत्रण विभाग	यूएनडीपी से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत अनुदान			योजना के उनके निधियन को जारी रखने के लिए यूएनडीपी के साथ समझौते की बढ़ी हुई अवधि के कारण प्रावधान बढ़ाना पड़ा।
	Department of AIDS Control	2210.06.101.33.14.31 Grants under UNDP Assisted Projects	1.00	4.54	Provision had to be increased due to Extended term of Agreement with UNDP for continuing their funding for scheme.

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
8.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	2202.04.200.14 वयस्क शिक्षा तथा दक्षता विकास योजना 14.00.28 व्यावसायिक सेवाएं	आयोजना		साक्षर भारत हेतु वेब आधारित पोर्टल तथा प्रबन्ध सूचना प्रणाली के विकास हेतु भुगतान।
		2202.04.001.01 वयस्क शिक्षा निदेशालय 01.00.20 अन्य प्रशासनिक व्यय	आयोजना		अन्तरराष्ट्रीय साक्षर दिवस समारोह, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन तथा प्रशिक्षणों पर व्यय, मूल्यांकनकर्ता एजेंसियों को भुगतान के संबंध में अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।
	Ministry of Human Resource Development Department of School Education & Literacy	2202.04.200-14 Adult Education & Skill Development Scheme 14.00.28 Professional Services	0.10 Plan	2.20	Payment for development of Web- based Portal and Management Information System (MIS) for Saakshar Bharat.
		2202.04.001.01 Directorate of Adult Education 01.00.20 Other Administrative Expenses	1.14 Plan	2.26	Additionality is required in connection with International Literacy Day celebration, International Confernece and expenditure on trainings, payment to evaluating agencies.
9.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	4225.01.789.02 राष्ट्रीय कमजोर वर्ग वित्त विकास निगम 02.00.54 निवेश			पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभग्राहियों हेतु वित्त निगमों को इक्विटी उपलब्ध कराने हेतु।
	Ministry of Social Justice and Empowerment	4225.01.789.02-National Finance Development Corporation for Weaker Section 02.00.54-Investment	129.00	8.00	For providing equity to the Finance Corporations for beneficiaries of NE Region and Sikkim.
-तदैव -		2251.00.090.02 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 02.10.06 चिकित्सा उपचार			अधिक चिकित्सा दावों की प्राप्ति के कारण
-do -		2251.00.090.02 Ministry of Social Justice and Empowerment 02.01.06 - Medical Treatment	0.17	0.07	Due to receipt of more medical claims.
-तदैव -		3601.04.789.17.01 मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति 17.01.31 सामान्य सहायता अनुदान			पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में स्थित राज्य सरकारों को सहायता अनुदान जारी करने हेतु।
- do -		3601.04.789.17.01-Post Matric Scholarship 17.01.31 - Grants-in-aid-General	2171.00	18.52	For releasing Grants-in-aid to the State Governments located in NE Region and Sikkim.
-तदैव -		3601.04.377.03 मैट्रिक पश्च छात्रवृत्ति योजना 03.00.31 सामान्य सहायता अनुदान			-तदैव -
- do -		3601.04.377.03-Post Matric Scholarship Scheme 03.00.31-Grants-in-aid - General	479.00	7.43	- do -

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
-तदैव -		2225.80.001.07 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग 07.00.13 कार्यालय व्यय			कार्यालय परिसरों के कमरों तथा अध्यक्ष और सदस्यों के आवास के नवीयन पर वांछित व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता तथा सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्राओं के लिए टैक्सी किराए पर लेना।
- do -		2225.80.001.07-National Commission for Safai Karamcharis 07.00.13 - Office Expenses	0.45	0.15	Due to additional requirement on expenditure requires for renovation of rooms of Office premises and residence of Chairperson and Members and hiring of taxis on account of visits by Members.
10.	गृह मंत्रालय (विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्र) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह Ministry of Home Affairs (UT without Legislature) Andaman and Nicobar Islands				
स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग	मु.शी. 2202 सामान्य शिक्षा 01.101 सरकारी प्राइमरी स्कूल 02. प्राइमरी शिक्षा	MH 2202- General Education 01.101 Government Primary Schools 02. Primary Education	144.73	11.14	वेतन तथा अन्य संस्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure on Salaries and other establishment related expenditure.
उच्च शिक्षा विभाग	मु.शी. 2202- सामान्य शिक्षा 02.109 सरकारी संकेण्डरी स्कूल 03 सेकेण्डरी स्कूल	MH 2202- General Education 02.109 Government Secondary Schools 03 Secondary Schools	80.97	9.30	वेतन तथा अन्य संस्थापना संबंधी व्यय पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure on Salaries and other establishment related expenditure.
सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय	मु.शी. 3055- सड़क परिवहन 00.104 सरकारी परिवहन सेवाएँ 02. प्रचालन	MH-3055- Road Transport 00.104 Govt Transport Services 02. Operation	29.05	6.87	कलपूजों तथा पीओएल आदि की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure on procurement of spares, POL, etc.
पोत परिवहन मंत्रालय	मु.शी. 3052 पोत परिवहन 02.103 पोत परिवहन सेवाएँ 02. मेनलैंड के प्रचालनात्मक प्रभार - द्वीप यान 04. अन्तर द्वीप जल यानों के प्रचालनात्मक प्रभार				

अनुदानों की पूरक मांगें 2011-2012 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

1	2	3	4	5	6
	Ministry of Shipping	MH-3052 Shipping 02.103 Shipping Services 02. Operational charges of Mainland - Island Vessels	41.20	10.00	मेनलैंड - द्वीप जल यानों के रख-रखाव पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure on maintenance of Mainland-Island vessels.
		04. Operational charges of Inter-Island Vessels	70.80	25.00	अन्तर द्वीप जल यानों के रख-रखाव और नए जल यानों के प्रारम्भ करने पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु। To meet the additional expenditure on maintenance of Inter-Island vessels and due to induction of new vessels.
	शहरी विकास मंत्रालय	मु.शी. 4055- पुलिस पर पूंजी परिव्यय 00.208. विशेष पुलिस 208.05. भारतीय रिजर्व बटालियन			भारतीय रिजर्व बटालियन हेतु सिविल कार्यों के निर्माण में हुई तीव्र प्रगति के कारण।
	Ministry of Urban Development	MH-4055- Capital Outlay on Police 00.208. Special Police 208.05. India Reserve Battalion	2.00	6.00	Due to accelerated progress in construction of Civil Works for India Reserve Battalion.
	संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	मु.शी. 5225- दूरसंचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय 209 - ऑप्टिकल फाइबर केबल मुख्य निर्माण कार्य			मेनलैंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय की पूर्ति हेतु।
	Ministry of Communications and Information Technology	MH- 5225 - Capital Outlay on Telecommunication Services 209 - Optical Fibre Cable System Major Works	0.01	23.99	To meet the additional expenditure on laying of under sea Optical fibre cable between Mainland and Andaman and Nicobar Islands.